लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

[द्वितीय माला, खण्ड ५६--अंक १ से १०--२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १६६१/२६ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १--सोमवार, २० नवम्बर, १६६१/२६ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव---	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–६०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	६०–६२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य को दोषसिद्धि	६२–६५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	६५–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०६
प्रत्यर्पण विधेयक	१०६
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०६
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०६
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२६–३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ९३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६९, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८९ . .	१३९–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७९, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५ .	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१ . . .	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति-- . .	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि .	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड . .	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित . .	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१ .	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक . . .	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक . .	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . २९२-३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५९
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा राश बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—९१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १९६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६९ और २७० . . .	५९३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५९७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०९
खंड २ से ३९ और १	७०९—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०९ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ७०२ और ७०४ से ७०६ . .	७८६–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९१
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४९० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो की परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० कों० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

क

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टु कप्पल्ली, श्री जार्ज़ थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातिया)

चावल, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)

जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद---रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़---खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर---रक्षित---अनुसूचित ---जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब ,श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानावाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवो द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कड्डलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़—दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पल्लकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीरं)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बसुम्तारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)
बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झूंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारेड्डि, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र---(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमहेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित---अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा---रक्षित---अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)

वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)

वेद कुमारी, मोते (एलूरू)

वैरावन, श्री अ० (तंजौर)

वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरय्या, श्री (मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)

शोभाराम, श्री (अलवर)

श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सवंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स---(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर---उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूवेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता---उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर---रक्षित---अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले---रक्षित---अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी सामान्य

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसंग सुइसी

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानो

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामो

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह--सभापति

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन--सभापति

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन––सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य–सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक–सभा

श्री सत्य नारयण सिंह ––सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू ० एस० बालिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण , आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१

६ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय :** सचिव उन माननीय सदस्यों का नाम पुकारें जिसे संविधान के अधीन शपथ लेनी अथवा प्रतिज्ञापन करना है।

†**सचिव :** श्री सांझी रूप जी ढोडिया

†**संसदीय कार्य-मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** श्रीमन्, मुझे आप से और आप के जरिये सभा से सांझी रूप जी ढोडिया जिन्हें दादरा तथा नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये राष्ट्रपति ने नामनिर्देशित किया है का परिचय कराने में बड़ी प्रसन्नता है ।

[इसके पश्चात् माननीय सदस्य श्री सांजी रूपजी ढोडिया ने शपथ ली और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया ?।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शक्ति के साधनों[1] के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

†*३०४. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्ति के नये साधनों के बारे में रोम में होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में किसी भारतीय वैज्ञानिक ने व्यक्तिगत रूप में या सरकारी या किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sources of Energy.

1598 (ai) LSD—1.

(ख) यदि हां, तो क्या उस वैज्ञानिक ने इस संबंध में और इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा संस्थापित सूर्य के ताप से चलने वाले विद्युत् उत्पादन यंत्र के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) क्या उस विद्युत्-उत्पादन यंत्र का कोई अध्ययन इस दृष्टि से किया गया है कि हमारे देश में सूर्य से मिलने वाली शक्ति का मितव्ययतापूर्ण उपयोग किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उस अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) जी हां । ग्यारह भारतीय वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(ख) जी नहीं । सम्मेलन की कार्यवाही, जिस में इजरायली वैज्ञानिकों की द्वारा संस्थापित सूर्य की गर्मी से चलने वाले बिजली पैदा करने वाले यूनिट के बारे में रिपोर्ट शामिल है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित की जायगी ।

(ग) और (घ). जी नहीं । सम्मेलन में प्रदर्शित यूनिट एक प्रयोगात्मक नमूना था और उसमें और अधिक विकास की आवश्यकता है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या हमें इस बात की कल्पना मिल सकती है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किन-किन विषयों में भाग लिया ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: इस विचार गोष्ठी का मुख्य विषय था "शक्ति के नये साधन"। उस में २४३ प्रविधिक लेख और रिपोर्टें थीं जिन में से १११ सौर-शक्ति के बारे में, ७७ भूतापीय शक्ति के बारे में, ४० विद्युत् शक्ति के बारे में, ७ मिले जुले प्रयोगों के बारे में हैं तथा ८ सामान्य रिपोर्टें हैं।

†**श्री नारायण दास** : क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा सौर शक्ति के उपयोग का अभी तक वहां कोई हुआ था और यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं नहीं समझता कि हम अभी उस हालत तक पहुंच चुके हैं जबकि हम दुनिया को कोई बहुत आश्चर्यजनक परिणाम दिखा सकें ।

†**श्री गोरे** : कुछ साल पहले हमें बताया गया था कि हमने सौर–भट्ठी (सोलर स्टोव) तैयार किया है । क्या हमने उस स्थिति से आगे भी प्रगति की है ?

†**श्री च० द० पांडे** : वह एक पुरानी कहानी है, वह एक गप थी ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने सभा को पहले बताया था, मैं स्वयं उस स्टोव से बहुत संतुष्ट नहीं था और गत वर्ष हमने सौर शक्ति के उपयोग के प्रश्न की छानबीन करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की थी । अब हम स्टोव की समस्या पर नहीं बल्कि रेफ्रिजरेटरों की समस्या पर छान बीन कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन

+

*३०५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाश बीर शास्त्री :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देब :
श्री राम कृष्ण गुप्ता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों में संशोधन करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है और

(ख) उस निश्चय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में तारांकित प्रश्न संख्या १९४ के दिनांक २३ नवम्बर, १९६१ को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । तदनुसार इस अधिवेशन के दौरान में सदन के सामने एक वक्तव्य दूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, जहां तक मुझे याद है पिछली बार माननीय गृह-मंत्री जी ने यह बतलाया था कि इस सम्बन्ध में सदन के इसी अधिवेशन में विधेयक लाया जायेगा । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में देरी होने के क्या कारण हैं ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, मैं ने यह नहीं कहा था कि कोई विधेयक यहां लाया जायेगा । मैंने यह कहा था कि इस सम्बन्ध में मैं जो सरकारी वक्तव्य है वह हाउस में दूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् क्या माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य का यह आशय है कि वर्तमान व्यवस्था अगले चुनावों तक रहने दी जायेगी, और जो भी संशोधन होंगे वे इस चुनाव के बाद जारी किये जायेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अगर माननीय सदस्य थोड़े दिन इन्जार करें तो मैं इसी अधिवेशन में अपना वक्तव्य और अपनी राय देने वाला हूं । उसमें इन सब बातों को स्पष्ट करूंगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली राज्य की ओर से गृह मंत्रालय को इस प्रकार की प्रेरणायें या कुछ स्मरण पत्र दिये गये हैं जिन में कहा गया है कि दिल्ली में विधान सभा का निर्माण किया जाय ? और गृह मंत्री जी जो वक्तव्य देने वाले हैं, उसमें दिल्ली के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट निर्देश रहेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : दिल्ली के कुछ लोगों ने अपनी राय दी हो या भेजी हो लेकिन दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इस प्रकार का सुझाव नहीं मिला है । लेकिन मैंने उस बार भी कहा था कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनसे मैं दिल्ली को अलग रखना चाहता हूं, इस लिये दिल्ली के सम्बन्ध में कोई विशेष बात कहने का मेरा इरादा नहीं है ।

†**श्री बजराज सिंह** : संघ राज्य क्षेत्रों की जनता में जो असन्तोष फैला हुआ है और जो अन्दोलन वह चला रहे हैं उस पर विचार करते हुये क्या सरकार यह नहीं समझती कि इस अंतिम दौर में नीति विषयक वक्तव्य से लोक-सभा तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये एक साथ होने वाले आगामी सामान्य निर्वाचनों में उन्हें कोई लाभ नहीं होगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अभी और अगले सामान्य निर्वाचनों के बीच हमारे पास अब अधिक समय नहीं है। यदि कोई वैधानिक कार्यवाही करनी हो तो हम बाद में ही कर सकते हैं। यदि कोई बड़ा परिवर्तन किया जाना हो तो, वह केवल विधान के संशोधन से ही हो सकता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि संवैधानिक कठिनाइयों जैसी रुकावटें भी हमारे सामने में हैं। इसलिये कोई निर्णय करने से पहिले इन अनेक बातों पर सावधानी से विचार करना होगा। इन चीजों में अवश्य ही कुछ समय लगेगा।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुये कि प्रतिनिधि सरकार की मांग है, खास कर मनीपुर में, जहां उसने एक अन्दोलन का रूप पकड़ लिया है, क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधि सरकार बनाने के बारे में कोई निश्चय किया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम तीनों ही संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् त्रिपुरा,मनीपुर और हिमांचल प्रदेश के लिये इस विषय पर विचार कर रहे हैं। हम उनमें भेद भाव नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने श्री भक्त दर्शन के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है, माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे मेरे अंतिम वक्तव्य तक इन्तजार करें।

†**श्री लं० अचौसिंह** : क्या यह सच है कि माननीय गृह मंत्री ने मनीपुर और त्रिपुरा के अभी हाल के अपने दौरे में यह इच्छा व्यक्त की थी कि सभी विकास-विभाग क्षेत्रीय परिषद् जैसे किन्ही लोक तंत्रात्मक निकायों को सौंप दिये जाने चाहिये और क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, १९५६ उसी प्रकाश में संशोधित किया जा रहा है।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह ठीक है कि मैंने यह कहा था कि विकास सम्बन्धी सभी काम काज क्षेत्रीय परिषद् को सौंप दिया जाना चाहिये। मैं अब भी वही कहता हूं। मैं पूर्णतः उसके पक्ष में हूं। लेकिन यह तो आवश्यक नहीं है कि क्षेत्रीय परिषद को ये विभाग सौंपने के लिये कानून में संशोधन करना होगा। मैं बराबर विधि मंत्रालय के सम्पर्क में हूं। वास्तव में मैंने कई बार माननीय विधि मंत्री के साथ बात चीत भी की थी। ये बातें मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुये कि संसद का अधिवेशन शीघ्र ही समाप्त हो रहा है, क्या संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों में निर्वाचन प्रतिनिधियों के बारे में माननीय गृह मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य आगामी निर्वाचनों में कार्यान्वित किया जायेगा और क्या यह संसद सभी आवश्यक कानूनी कार्यवाही करेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह अधिक अच्छा होता कि हम प्रतीक्षा करें। मैं समझता हूं कि मेरे वक्तव्य से उसका भी उत्तर मिल जायेगा।

†**श्री हेम राज** : क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों में व्यवस्था एक-सी होगी या भिन्न-भिन्न होगी ?

†**श्री लाल बहादुरशास्त्री** : जहां तक मैं समझता हूं, वह एक-सी होगी, और वह एक-सी होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लै० अची सिंह :** अभी हाल में माननीय मंत्री के इस कथन को देखते हुये कि किसी नये विधान की आवश्यकता नहीं है, क्या यह परिवर्तन आगामी सामान्य निर्वाचनों से पहले कार्यान्वित करना संभव होगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मैंने माननीय सदस्य से अपनी सहमति व्यक्त कर दी है । मैंने बता दिया है कि मैं जो वक्तव्य देने वाला हूं उसमें मैं यह सभी बातें स्पष्ट कर दूंगा ।

उड़ीसा में छावनी

†*३०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कुम्भार :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में राज्य सरकार के परामर्श से एक छावनी स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). उड़ीसा में एक छावनी स्थापित करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है और राज्य सरकार के परामर्श से ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं । अंतिम रूप से योजना तैयार हो जाने के लिये अभी कुछ और समय लगेगा ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : पिछले एक सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि कुछ स्थानों के विषय में विचार हो रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि ये जगहें कौन-कौन सी हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** राज्य सरकार की सलाह से छावनी भुवनेश्वर में स्थापित करने का फैसला किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल में नयी कोयला खानें

†*३०७. **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री :** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्र में नये खनन क्षेत्रों के विकास की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने विदेशी सहयोग के साथ राज्य सरकार द्वारा नयी कोयला खानें चलाने का एक प्रस्ताव रखा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तीसरी योजना में, रानी गंज कोयला क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्र के अपने अपने कार्यक्रम हैं। गैर सरकारी-क्षेत्र इस सम्बन्ध में अपनी योजना कार्यान्वित कर रहा है लेकिन सरकारी क्षेत्र ऐसा नहीं कर सकता क्यों कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा जारी करके राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को उन क्षेत्रों में काम करने से जो कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अर्जित किये जाने वाले थे, रोक दिया है।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुछ कोयला खानों से कोयला निकालने की इच्छा व्यक्त की है। अभी इस मामले पर राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार, दोनों ही, अभी विचार कर रही हैं।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या भारत सरकार को सिद्धांत रूप से इस बात में कोई आपत्ति है कि राज्य सरकार अपने सरकारी क्षेत्र में कोयला खानें खोल दें बशर्ते कि ये योजनायें केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिये पेश की जायें? क्या सिद्धांत रूप से इसमें कोई आपत्ति है कि कोई राज्य सरकार कोयला खानों से कोयला निकाले ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह एक काल्पनिक प्रश्न है। ठीक-ठीक स्थिति यह है कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में कोयला विकास के लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाये गये हैं और उस योजना पर संसद में बहस हो चुकी है। वहां यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त कोयला निकालने की जिम्मेदारी वास्तव में किन-किन अधिकरणों को सौंपी गयी है। इसलिये जब तक कि कोई निश्चित मामला उत्पन्न न हो, शेष सभी काल्पनिक बातें हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार का राज्य में नई कोयला खानें चलाने का विचार है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उसका जवाब देने की कोशिश की है। मैं ने बताया है कि पश्चिम बगाल राज्य में राज्य सरकार ने कुछ कायला खानों से कोयला निकालने की इच्छा प्रकट की है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल कोयला कम्पनी को दिये गये खनन पट्टों की अवधि बढ़ा दी गई है, भारत सरकार को इसमें क्या आपत्ति है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को नई खानों में काम करने के लिये अनुमति दे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक गैर-सरकारी कम्पनियों को पट्टों की अवधि बढ़ाने का संबंध है, यह प्रश्न उससे उत्पन्न नहीं होता। केवल इस कारण कि किसी गैर-सरकारी कम्पनी का पट्टा बढ़ा दिया गया है, उसे राज्य सरकार द्वारा खानों के विकास के लिये अनुमति देने की नीति से जोड़ना नहीं चाहिये। इन दानों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कौन सी कोयला-खानें चालू किये जाने के बारे में उस ने बताया है ? क्या पुरुलिया और बांकुरा जिलों की नई कोयला खानें शामिल की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह ब्यौरे की बात है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री ने कोयला उत्पादन के लक्ष्यों का उल्लेख किया था । चूंकि हमारे पास कोयले की कमी है और ज्यादा कोयला वांछनीय होगा, इसलिये क्या उन लक्ष्यों में परिवर्तन नहीं हो सकेगा यदि राज्य सरकार ऐसी कोई परियोजना प्रस्तुत करती है जिसे केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया हो ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि लक्ष्यों में परिवर्तन किया जाना है, तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा कि यह अतिरिक्त मात्रा कौन उत्पादन करे । लेकिन इस समय लक्ष्य वही है जिन का उल्लेख तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया है और जिन पर ससद् में वास्तव में चर्चा हो चुकी है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस बात को देखते हुए कि पश्चिम बंगाल में कोयले की कमी है और जिस कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने नई कोयला खानें खोलने का प्रस्ताव रखा है, सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोयले की यह कमी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य ने दानों बातें एक साथ जोड़ दी हैं । पश्चिम बंगाल तथा दूसरे राज्यों में भी कोयले की कमी है । इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है । मुख्य कठिनाई परिवहन मिलने की है । कमी चाहे जितनी हो, इस बात की कोशिश की जा रही है कि यह कमी बराबर बराबर हिस्से में बट जाय । किसी विशेष राज्य की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अतिरिक्त उत्पादन को सर्वांगीण कोयला विकास तथा देश के लिये उपयोग-योजना से सम्बद्ध करना होगा । हम अलग अलग प्रत्येक राज्य पर विचार नहीं कर सकते । एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय योजना अवश्य होनी चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पश्चिम बंगाल सरकार के जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गये हैं क्या वे अस्वीकार कर दिये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के अन्तिम वाक्य को शायद नहीं सुन सके हैं । मैं ने बताया है कि इस विषय पर विचार हो रहा है ।

सुई गैस

\+

†*३०९. **श्री हेम बरुआ :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त
सरदार इक बाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने अपने यहां से सुई गैस देने के सम्बन्ध में अब कोई उत्तर दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री हेम बरुआ : अप्रैल, १९६१ में, सुई गैस के विषय पर पाकिस्तानी शिष्टमंडल के साथ अन्वेषक बातचीत हुई है । क्या इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान की औद्योगिक आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गई थी क्योंकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भी विकासशील अर्थव्यवस्था है जैसे कि अभी फिलहाल दोनों देशों के बीच राजनैतिक संबंध भी विकासशील हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : जी नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय तेल मंत्री का इस बातचीत से क्या सम्बन्ध है ? श्री सरहदी ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : क्या यह समझा जा सकता है कि बातचीत विफल हो गई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मालूम होता है कि बातचीत जारी रखने की हमारी इच्छा का अब वे कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि यह गैस हमारी सीमा के निकट उपलब्ध है, क्या हमारे क्षेत्रों में इसी तरह की गैस ढूंढने की कोशिश की गई है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हमें पहले ही मालूम है कि भूगर्भ विद्या की दृष्टि से अपने क्षेत्र में कुछ गैस और तेल प्राप्त करना संभव है । इसलिये हम इस संबंध में अपनी निजी तैयारियां करने और गैस तथा तेल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या कुछ फ्रांसीसी विशेषज्ञ जैसलमेर क्षेत्र में गये थे और उनकी रिपोर्ट तथा जैसलमेर क्षेत्र में अपना गैस पाने की संभावना को देखते हुए क्या हमें अब सुई गैस में दिलचस्पी है ?

†श्री के० दे० मालवीय : इस ओर संभावना के संबंध में फ्रांसीसियों की कोई रिपोर्ट नहीं है । हम ने अनुमान लगाया है और हमें उस के बारे में मालूम है । यदि हमें फ्रांसीसी पार्टी की मदद की आवश्यकता हो, तो वह हमें मदद देंगे । अगर हम कोई गैस ढूंढ भी लेते हैं तो भी इस ओर से गैस स्तेमाल करने के लिये गुंजाइश होगी अगर पाकिस्तान हमें बेचना चाहे ।

एयर फोर्स कालिज हैदराबाद

+

†*३१०. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में एक एयर फोर्स कालिज स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कितनी रक़म स्वीकार की गई है ; और

(ग) योजना का अन्य ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) इस प्रयोजन के लिये एक प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और उस की छानबीन हो रही है ।

(ख) अभी तक कोई रकम मंजूर नहीं की गई है ।

(ग) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या हैदराबाद के अलावा अन्यत्र भी कहीं एयरफोर्स कालेज खो का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं, इस ढंग का नहीं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह कालेज, आगरा, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों का समन्वय करेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं । यह सेन्ट्रल कालेज नहीं है । यह एक फ्लाईंग कालेज है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या बेगमपेट और हकीमपेट में स्थापित कोई प्रतिष्ठान और उपकरण इस कालेज में लाया जायगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं । इस के साथ साथ हीं इन दो प्रतिष्ठानों का उपयोग किया जायगा क्योंकि वे छात्रों को उड्डयन का उच्च प्रशिक्षण देते हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या इस कालेज की इमारत बनाने के लिये जमीन आन्ध्र प्रदेश सरकार से पहले ही ले ली गई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : भूमि के अर्जन के बारे में जानकारी देने की प्रथा नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हैदराबाद में यह कालेज स्थापित किये जाने के कारण, जोधपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी तरह कोई असर पड़ेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में उचित नहीं होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु । "लोक हित में" तथा "इसकी प्रथा नहीं है" इस में क्या अन्तर है ? दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : 'लोक हित' प्रथा से बिलकुल अलग है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जब वह लोक हित में है, तब तो हम समझ सकते हैं । लेकिन जब यह कहा जाता है कि जानकारी देने की प्रथा नहीं है, तब हम उसे समझ नहीं पाते । यही जानकारी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रथा से मतलब यह है कि वे खुद होकर जानकारी नहीं देंगे । लेकिन सभा में यदि कोई जानकारी मांगी जाती है तो कोई भी माननीय मंत्री इस कारण इन्कार नहीं कर सकते कि ऐसी प्रथा नहीं है । इसलिए, प्रथा है या नहीं इस का निर्णय सभा पर या मुझ पर छोड़ दिया जाना चाहिये । यदि माननीय मंत्री की यह धारणा हो कि वह लोकहित में नहीं है तो वह वैसा बतायें । मैं यह उन्हीं पर छोड़ देता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** प्रथा शब्द का प्रयोग मैं ने केवल इसी कारण किया कि वह सुरक्षा हित के वर्गीकरण के अन्तर्गत नहीं आता । भूमि अर्जन के बारे में जानकारी इस कारण नहीं दी जाती कि उससे भूमि अर्जन में कठिनाइयां पैदा होंगी । अगर आप चाहते हैं कि जानकारी दी जाये, तो मैं दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** बातचीत के मामले में कठिनाइयां मुझे समझ में आती हैं, कि दाम चढ़ जायेंगे इत्यादि । जब वह तय हो जाये, तब हमें जानकारी दी जाये ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह प्रश्न बातचीत की दौरान में था और अब भी उस पर बातचीत चल रही है । वह उसी श्रेणी में नहीं आता जो सुरक्षा हित में आता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि हैदराबाद में जो कुछ किया जायगा उस से जोधपुर स्थित एयर फोर्स प्रशिक्षण केन्द्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा । क्या वह आश्वासन अब भी लागू होगा या उस के विपरीत होने के कोई कारण हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे खेद है कि वर्तमान परिस्थितियों में मैं कोई अधिक जानकारी नहीं दे सकता ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान विभागों का पुनर्गठन

+

†*३११. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान विभागों के पुनर्गठन की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस से क्या परिणाम निकलने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण का पुनर्गठन १ सितम्बर, १९६१ से कार्यान्वित किया जा चुका है । १ सितम्बर, १९६१ से तीन प्रादेशिक निदेशालय कायम किये गये हैं और वे काम कर रहे हैं ; एक पूर्वी प्रदेश के लिए जिस का मुख्य कार्यालय कलकत्ता है, एक उत्तरी प्रदेश के लिये जिसका मुख्य कार्यालय लखनऊ है, और एक दक्षिण प्रदेश के लिये जिसका मुख्य कार्यालय हैदराबाद है ।

केरल और गुजरात को छोड़ कर सभी राज्यों में तीनों प्रदेशों के अधीन मंडल कार्यालय भी स्थापित किये गये हैं ।

भारतीय खान विभाग के पुनर्गठन पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) नई व्यवस्था के अधीन लाभ इस प्रकार है :

(१) प्रशासन कार्य को शिल्पिक कार्य से अलग कर देना जिससे वैज्ञानिक कर्मचारी अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों की ओर अधिक से अधिक ध्यान दे सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) क्षेत्रीय-कार्य का प्रभावी निरीक्षण जो काफी संख्या में कम अनुभवी कर्मचारियों के आने के कारण अत्यन्त आवश्यक हो गया है ;

(३) राज्य सरकारों के साथ घनिष्ट सम्पर्क ;

(४) मुख्य कार्यालय दफ्तरों में उपलब्ध सेवाओं के अलावा प्रदेशों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कर्मशाला (वर्कशाप) संबंधी सुविधाओं का मिलना ;

(५) अखिल भारतीय आधार पर आयोजन, अनुसंधान और समन्वय में प्रादेशिक/मंडलीय पदाधिकारियों का प्रत्यक्ष सहयोग ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जो प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं वे मुख्य कार्यालय जितने ही बड़े होंगे या उस से कम ?

†**खानऔर तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** प्रादेशिक कार्यालयों का कार्यक्षेत्र कलकत्ता स्थित केन्द्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र से भिन्न होगा । दोनों प्रकार के दफ्तरों में काम बांट दिया गया है । कलकत्ता कार्यालय का केन्द्रीय महत्व है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** प्रविधिक कर्मचारियों के संबंध में किस प्रकार का और कितना विस्तार हुआ है और क्या उन की संख्या दुगनी, तिगुनी या चौगुनी कर दी गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कब से ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** १ सितम्बर, १९६१ से, जब इन का पुनर्गठन किया गया था ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस विकेन्द्रीकरण योजना के फलस्वरूप कोई बहुत बड़ा वित्तीय परिवर्तन नहीं हुआ है । लेकिन योजना चालू होने पर, और अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिये हमारे प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना संभव हो सकेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय मंत्री ने बताया कि प्रादेशिक केन्द्रों में प्रयोगशाला सुविधायें उपलब्ध होंगी । मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी प्रयोगशाला-सुविधाएं होंगी और क्या नई प्रयोगशालाएं कायम की जा रही हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय:** शायद कुछ नई प्रयोगशालाओं पर विचार हो रहा है ।वर्तमान प्रयोगशालाएं अनुसंधान कार्य करने और खनिजों की छानबीन करने के लिये हैं । यह प्रयोगशाला-कार्य मुख्यत: मुख्य कार्यालयों में किया जाता है । कुछ काम प्रादेशिक कार्यालयों को भी सौंपा जा सकता है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** राज्य सरकारों तथा इन प्रादेशिक कार्यालयों में सम्पर्क अथवा सहयोग बनाये रखने के लिये कौन सा तरीका अपनाया गया है ? क्या कोई विशेष पदाधिकारी होगा या और कोई तरीका होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** ये प्रादेशिक कार्यालय राज्य सरकारों के निकट परामर्श से कायम किये गये हैं । इन प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन मंडल कार्यालय भी खोले गये हैं । अब प्रत्येक राज्य सरकार का एक मंडल कार्यालय है । इन मंडल कार्यालयों का समन्वय प्रादेशिक कार्यालयों में और प्रादेशिक कार्यालयों का समन्वय कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय में किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** ये प्रादेशिक केन्द्र स्थापित करने में कितना अतिरिक्त खर्च होगा और क्या मुख्य कार्यालय में कोई बचत होगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं नहीं समझता कि इस योजना से कोई बचत होगी। वास्तविक वित्तीय बातों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे एक दूसरा प्रश्न पूछें। मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि यह क्षेत्रीय कार्यालय अभी कई प्रान्तों के लिये बनाये गये हैं, क्या गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि यदि काम आगे बढ़े तो सभी राज्यों में इस तरह के कार्यालय स्थापित किये जायें ?

श्री के० दे० मालवीय : केवल केरल और गुजरात को छोड़ कर बाकी तमाम राज्यों में तो कार्यालय स्थापित हो ही चुके हैं जिन को कि हम सर्किल आफिसेज कहते हैं और वहां की आवश्यकता के अनुसार उस प्रान्तीय दफ्तर की कार्यवाही होगी और उस का संगठन बढ़ेगा।

†**श्री वेंकट सुब्बैया :** क्या ऐसी कोई धारणा है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण में पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं और यदि हां तो क्या इस संपूर्ण प्रश्न का पूरा पूरा और व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह सच है कि खनिज खोज के संबंध में मूलभूत जांच पड़ताल करने और उस पर देखरेख रखने के लिए हमें और अधिक प्रविधिक पदाधिकारियों की जरूरत है लेकिन इन पदाधिकारियों के परिपक्व होने में समय लगता है। हम ने अपनी संख्या काफी बढ़ा दी है लेकिन अभी हमें अब भी काफी संख्या में उन की जरूरत है। यह केवल समय की बात है कि वे हमें पर्याप्त संख्या में मिलें।

†**श्री हेम राज :** क्या इन मंडल कार्यालयों का पूरा पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार उठाती है या उस में राज्य सरकारें भी अंशदान देती हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वह केवल केन्द्रीय सरकार उठाती है।

दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग

\+
*३१२. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग को उन्नत करने की कोई योजना बनाई जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल में ही क्रियान्वित हो सकेगी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों एवं उन प्रदेशों की सरकार का भी मत जानने का यत्न करेगी ; और

(घ) दक्षिण में कहीं हिन्दी माध्यम का एक पृथक विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में भी क्या सरकार से आग्रह किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभागों के विकास के लिए योजना आरंभ की थी । इस योजना पर तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में भी अमल किया जायगा ।

(ग) आयोग की सारी योजनाएं जिन में ऊपर लिखी योजना भी शामिल है ; विश्वविद्यालयों/संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से चलाई जाती हैं ।

(घ) जी, हां । मैसूर सरकार से इस संबंध में जनवरी १९६० में एक प्रस्ताव आया था, किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि मैसूर सरकार ने अपने राज्य-क्षेत्र में हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया, जिस को स्वीकार नहीं किया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निर्णय के क्या आधार हैं और उस अनुरोध को क्यों स्वींकार नहीं किया गया ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने इस प्रश्न पर विचार किया था और उन्होंने समझा कि अगर अभी दक्षिण के सभी विश्वविद्यालयों के हिन्दी डिपार्टमेंट्स को विकसित किया जाये, तो वह ज्यादा लाभकर होगा बनिस्बत इस के कि वहां पर एक हिन्दी युनिवर्सिटी बनाई जाये ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि दक्षिण भारत में इस समय निजी संस्थाओं और सरकारी विश्वविद्यालयों और महा-विद्यालयों के द्वारा हिन्दी की प्रगति के लिये जो प्रयत्न हो रहेहैं क्या उन को देख कर सरकार इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं करती कि दक्षिण में हिन्दी माध्यम का एक विश्वविद्यालय स्थापित हो ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन का जो विचार था, वह मैंने निवेदन कर दिया है । उन के पास चो कुछ सीमित धन और दूसरे साधन हैं, उनको और जो इस वक्त की हवा है,उस को देखते हुए उस ने यह ज्यादा उचित समझा कि दक्षिण की यूनिवर्सिटीज में जो हिन्दी डिपार्टमेंट्स हैं, (**अन्तर्बाधा**) उन को विकास करने का मौका दिया जाये और उसके लिये यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने सहायता दी है ।

इस के अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले मिनिस्ट्री आफ एडूकेशन के पास हैदराबाद से एक प्रस्ताव आया था कि वहां पर हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले एक हिन्दी कालेज की स्थापना की जाये । मिनिस्ट्री ने आन्ध्र सरकार को और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इस सम्बन्ध में परामर्श किया और उन की अनुमति से एक हिन्दी कालेज की स्थापना हो गई है । उस की स्थापना के वक्त मैं ने विश्वास दिलाया था कि अगर इस कालेज का विकास होगा, तो सम्भव है कि वह धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का रूप ले ले और इस में भारत सरकार पूरी सहायता देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न के खंड (क) और (ख) के उत्तर में बताया है कि इस सम्बन्ध में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्रबन्ध किये गये थे, वे तीसरी पंच-वर्षीय योजना में भी जारी रहेंगे। इस का मतलब यह है कि इस बारे में तेजी से कोई कदम नहीं उठाये जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दक्षिण के राज्य स्वयं इस सम्बन्ध में उत्सुक हैं तो इस बारे में और तेजी से कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य ने यह अनुमान क्यों लगा लिया है कि तेजी से कार्य नहीं किया जाता है। इस का अर्थ तो यह है कि जो स्कीम दूसरी पंच-वर्षीय योजना में शुरू की गई थी, वह इतनी अच्छी है कि तीसरी पंच-वर्षीय योजना में भी उस पर अमल किया जायगा।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने हवा का कुछ जिक्र किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि जब तामिलनाड को छोड़ कर दक्षिण में आन्ध्र, केरल और मैसूर में इस प्रकार की हिन्दी-विरोधी कोई हवा नहीं है, तो इस परिस्थिति में मैसूर सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था—वह भी दक्षिण की एक सरकार है —क्या सरकार उस पर फिर से विचार करेगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो निर्णय था, क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह उस से कुछ आगे जाने की कोशिश करेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न पर भिन्न भिन्न रायें हो सकती हैं। यह विवाद का विषय है, प्रश्न का विषय नहीं हो सकता है। मैं ने अभी बताया है कि हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास दक्षिण में शुरू हो गया है और हैदराबाद में एक कालेज खोल दिया गया है। जिन्होंने ने वह कालेज खोला है, उनको, आन्ध्र गवर्नमेंट और उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मैं ने यह आश्वासन दिया है कि अगर इस कालेज का विकास होगा और धीरे-धीरे प्रगति हो जायेगी तो भारत सरकार उस को विश्वविद्यालय का रूप लेने में पूरी सहायता देगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का जो हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के स्थान पर एक हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का विचार था, जिस के विषय में हैदराबाद सरकार और लोगों ने यह राय दी थी कि उस्मानिया विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एक अलग हिन्दी विश्वविद्यालय बनाया जाये, क्या सरकार ने उस विचार को त्याग कर यह कालेज खोला है और यदि नहीं, तो सिर्फ हिन्दी कालेज ही क्यों खोला गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उस विचार को त्याग कर ऐसा नहीं किया गया है। उस वक्त आन्ध्र गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त की गई थी कि अगर वह उस्मानिया यूनिवर्सिटी को भारत सरकार को सौंप दे, तो उस की हिन्दी विश्वविद्यालय बनाने का विचार था। आन्ध्र सरकार इस बारे में राजी नहीं थी। जहां तक यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है, एक-दम यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हो सकती है। धीरे धीरे विकास होता है। वहां एक कालेज खड़ा हुआ है और अगर धीरे धीरे काम बढ़ता रहा, तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह एक विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं, माननीय सदस्य उन को समझें। विश्वविद्यालय खोलने के लिये प्रोफेसर चाहियें, पाठ्य पुस्तकें चाहियें, काफी साधन चाहियें। एक दिन में विश्वविद्यालय नहीं खोला जा सकता है। कालेज का काम शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि कालेज ही धीरे धीरे विश्वविद्यालय का रूप लेते हैं।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती :** क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है, कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पढ़ाने के विभिन्न प्रतिमान हैं अैर ,यदि हां , तो क्या सरकार ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलने का विचार करने के पूर्व माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों और अध्यापन के तरीकों का पुनरीक्षण किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मूल प्रश्न के सम्बन्ध में कैसे उत्पन्न होता है। मेरा विचार है कि यदि शिक्षा अपनी भाषा के माध्यम से दी जाये तो स्तर ऊंचा होता है गिरता नहीं है । यह इस मामले में मेरा व्यक्तिगत विचार है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरे प्रश्न का तात्पर्य यह नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि सरकार को विश्वविद्यालय खोलने के पूर्व प्रतिमान निर्धारण करना चाहिये और पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और अंडर ग्रैजुएट कक्षाओं में अध्यापन तथा पाठ्य-पुस्तकों का स्तर ऊंचा उठाना चाहिये । प्रश्न यह है कि क्या इस संबंध में कोई पुनरीक्षण किया गया है । विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वे प्रयत्न किये जा रहे हैं । वे जांचें भी साथ साथ की जा रही हैं ।

डा० मेलकोटे : क्या यह बात सही है कि दक्षिण में मैसूर, मद्रास, ट्रावन्कोर और आन्ध्र प्रदेश में लगभग दस लाख के ऊपर स्टुडेंट्स हिन्दी के एग्जामिनेशन्ज में बैठा करते हैं, यदि हां, तो वहां पर सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जरिये एक हिन्दी विश्वविद्यालय कायम करने में क्या दिक्कतें हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यह राज्य के ही अधिकार की बात है। वह कल ही विश्वविद्यालय खोल सकती है। जहां तक विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। अगर वहां काफी हिन्दी समझने वाले और हिन्दी द्वारा शिक्षा देने वाले लोग हैं तो राज्य को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। विश्वविद्यालय स्थापित करने में। हम इस को हिन्दी के विकास की दृष्टि से, हिन्दी की प्रगति की दृष्टि से देख रहे हैं और इसी दृष्टि से इस पर वचिार किया जा रहा है। जैसा मैं ने कहा इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। और इसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जायगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं एक औचित्य प्रश्न पेश करना चाहता हूं। मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की थी कि चूंकि उनके पास धन की कमी है इसलिये केन्द्रीय सरकार को उन्हें एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिये धन देना चाहये जिसे वे उचित समझते हैं। अब माननीय मंत्री कहते हैं कि विश्वविद्याय की स्थापना राज्यसरकर के पर्यालोकन में है। राज्य सरकार के साथ मुख्य कठिनाई यह है कि उनके पास आवश्यक धन नहीं है। भाषा का विकास करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है । परन्तु वे रास्ते में अड़चन डाल रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** आपने मुझे पूरी बात नहीं कहने दी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतने से ही समझ गया हूं कि माननीय सदस्य क्या कहने जा रहे हैं। वह सरकार को यह जतलाना चाहते हैं कि उन्हें अनुदान वितरित करके राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिये ताकि वे विश्वविद्यालय खोल सकें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

यह एक सर्वथा भिन्न मामला है । माननीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यवाही न किये जाने से यह स्पष्ट है कि वे अभी तक हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। यदि वे उसे खोलना चाहते तो उन्हें केन्द्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें धन की आवश्यचता है तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करनी चाहिये ।

दिल्ली के स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा

+

†*३१३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री चंद्र शंकर :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री ४ मई, १९६१ के अतरांकित प्रश्न संख्या ४५९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के सभी स्कूलों ने १ मई, १९६१ से आरम्भ होने वाले शिक्षा वर्ष से आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा चालू कर दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : हां, श्रीमान् ; समस्त सरकारी और सरकार की सहायता प्राप्त सकूलों में। दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित एवं सहायता दिये जाने वाले स्कूलों में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा १ जुलाई, १९६० से चालू की गई थी ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या विद्यार्थियों की भर्ती के लिये कोई उच्चतम अथवा निम्नतम आयु सीमा निर्धारित की गई है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई भी आयु सीमा नहीं है। आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री जी ने अभी बताया कि निःशुल्क शिक्षा सरकारी और सरकार की सहायता प्राप्त स्कूलों में चालू की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली निगम द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली समस्त संस्थाओं में भी निःशुल्क शिक्षा चालू की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि निगम अथवा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा संचालित अथवा सहायता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षा निःशुल्क है । मैं गैर सरकारी संस्थाओं की बात नही कर रहा हूं जिन्हें सरकार से कोई सहायतार्थ अनुदान नहीं मिल रहा है ।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिल्ली के स्कूलों में भर्ती के लिये सीटों की कमी के कारण उन्हें शिक्षा की दुकानों की शरण लेनी पड़ती है जो बहुत अधिक फीस लेती हैं ? क्या सरकार उनकी फीस के सम्बन्ध में कोई अधिक तम सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** जी नहीं, यह सर्वथा गलत है । दिल्ली में भर्ती की कोई कमी नहीं है । वास्तव में, मैंने यह सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया था कि यदि किन्ही संरक्षकों को भर्ती के सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो रही हो तो उन्हें मुझे सूचित करना चाहिये । हमें अभी कहीं से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं और सब लड़कों को भर्ती कर लिया गया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उन संस्थाओं को कोई राशि घाटे के अनुदान के रूप में मंजूर की जाती है जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा के स्कूल स्थापित किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्राइवेट संस्थायें ।

†डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक सहायता प्राप्त स्कूलों का संबन्ध है, मेरे पास इस समय सूचना नहीं है । परन्तु मैं समझता हूं कि निगम की उन संस्थाओं के साथ कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

झरिया और रानी गंज में पीने के पानी की कमी

†*३१४. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्रीगजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) और (ख). झरिया और रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में कभी कभी, विशेषत: गर्मी के महीनों में पीने के पानी की कमी महसूस की जाती है । परन्तु राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों इस सम्मस्या के हल के लिये प्रयत्नशील हैं और पानी की कमी को यथासंभव दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । बिहार में झरिया जल बोर्ड स्थापित किया गया है और पश्चिम बंगाल सरकार रानीगंज क्षेत्र में ऐसा ही बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है । झरिया जल बोर्ड ७५ लाख रुपये की लागत की एक समेकित जल संभरण योजना क्रियान्वित कर रही है । इसी प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार लगभग ४.२२ करोड़ रुपये की लागत की एक समेकित योजना पर विचार कर रही है । इन जल संभरण योजनाओं को समय समय पर कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से वित्तीय सहायता भी मंजूर की जाती है ।

उपरोक्त प्रमुख योजनाओं के अतिरिक्त इन कोयला क्षेत्रों में एक कुंये खोदने की योजना भी है जिसके अन्तर्गत निर्माण लागत का ५० प्रतिशत कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से भुगतान किया जाता है और शेष लागत सामान्यत: कोयला खान मालिकों द्वारा लगाई जाती है ।

†श्री सुबोध हंसदा : कोयला क्षेत्रों में यह पानी की कमी कब से महसूस की जा रही है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : जब वर्षा अच्छी हो जाती है तो कठिनाई कम होती है और जब पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो कठिनाई होती है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : सरकार को झरिया में पानी का संभरण करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि जहां तक झरिया का सम्बन्ध है, वहां एक बोर्ड स्थापित किया जा चुका है जो पानी के सम्भरण की समस्त व्यवस्था कर रहा है। वह कार्य जारी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पानी का संभरण किया जा रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कोयला खान मालिक भी श्रमिकों को पीने के पानी के संभरण के लिये कोई प्रबन्ध करते हैं ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : मैंने अपने उत्तर के उत्तरार्ध में यह कहा है कि कोयला खान मालिकों को ५० प्रतिशत राजसहायता दी जाती है जो पीने के पानी के संभरण की व्यवस्था करते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : अभी बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग ४.२२ करोड़ रुपये के लागत की योजना पेश की है। क्या इस राशि का ५० प्रतिशत सरकार द्वारा भुगतान किया जाना है और क्या श्रम कल्याण निधि संगठन इतनी सहायता देने की स्थिति में है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : उस पर विचार किया जायेगा। यह कार्यवाही के लिये सुझाव मालूम होता है। जब राज्य सरकारें कोई योजनायें प्रारम्भ करती हैं तो लागत के भुगतान के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं जो सर्वविदित हैं।

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अधिकांश कोयला क्षेत्रों में गहरे नलकूप बनाये जा सकते हैं परन्तु बहुत थोड़े से नियोजक इस ५० प्रतिशत की योजना का लाभ उठाते हैं ? क्या सरकार कोयला क्षेत्रों की जल की कमी को देखते हुये इस ४.२२ करोड़ रुपये की योजना का क्रियान्वन होने के पूर्व-जिसमें तीन या चार वर्ष लगेंगे– कोयला खान मलिकों से ये गहरे नलकूप बनाने के लिये कहेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कमी तो अवश्य महसूस की जाती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बहुत अधिक कमी ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : परन्तु उसे बहुत अधिक कमी कहना ठीक नहीं होगा। यह एक समेकित योजना है और मैं समझता हूं कि जब वह क्रियान्वित होगी तो संभरण की स्थिति काफी सुधर जायेगी। इस बीच में यदि कोई अन्य अस्थायी कदम उठाये जा सकते हैं और वे व्यवहारिक होंगे तो उन पर भी विचार किया जा सकता है ।

†**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : क्या इनमें से किसी योजना में उन कोयला खानों में, जिनमे मजदूर रहते हैं, पाइप के पानी के संभरण की कल्पना भी है अथवा केवल नलकूप और कुंए ही खोदे जायेंगे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ब्योरे की बात है कि संभरण का साधन क्या होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : परन्तु वह श्रमिकों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ब्योरा माननीय मंत्री के पास नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : ४ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसमें वितरण भी सम्मिलित है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां पाइप डाले जा सकते होंगे वहां वे डाले जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठलराव : चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार की योजना को राज सहायता लगभग २ करोड़ रुपये के होगी और चूंकि कल्याण बोर्ड में इतनी राशि नहीं है, इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना के लिये अन्य संसाधनों से रुपया लेगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य द्वारा बताई गई यह कठिनाई श्रम मंत्रालय को सूचित कर दूंगा ।

जमीन के भीतर आग बुझाने की मशीनें.

†*३१५ { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने जमीन के भीतर आग बुझाने की मशीन खरीदी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मशीनें खरीदी गई हैं ;

(ग) क्या कोयला क्षेत्रों के गैर-सरकारी मालिकों से इन मशीनों के खरीदने के लिये कोई अंशदान मांगा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने कितनी रकम दी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने जमीन के भीतर आग बुझाने की कोई मशीनें नहीं खरीदी हैं। आग बुझाने के यंत्र तथा उपकरण कोयला खान रक्षा नियमों के अन्तर्गत स्थापित रक्षा केन्द्रों में रखे जाते हैं । कोयला खानों में सामान्यतः आग बुझाने के यंत्र (फायर एक्सटिंगुइशर्स) हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के किसी उपकरण की खरीद के लिये गैर-सरकारी कोयला खान मालिकों से अंशदान मांगने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि अन्य देशों में ऐसे आग बुझाने के यंत्र हैं जो रक्षा केन्द्रों में भी रखे जाने वाले यंत्रों से भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसे उपकरण का आयात करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : मेरे पास अन्य देशों के ऐसे उपकरण के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना नहीं है । परन्तु जैसा कि मैं बता चुका हूं, हमारे देश में प्रमुख कोयला खानें में ऐसे उपकरण हैं ।

†श्री स० चं० सामन्त : हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं कि आसन सोल के निकट कोई कोयला खान है जो जल रही है और जो कभी-कभी भड़क उठती है । क्या उसे बुझाने के लिये आग बुझाने के उपकरण भेजे जायेंगे ?

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यह सच है कि धनबाद और आसनसोल के निकट कुछ कोयला खानें जल रही हैं । उसे फैलने से रोकने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती कृष्णा मेहता : लगभग तीन वर्ष हुए हमारे कुछ संसद् सदस्य झरिया गये थे तब वहां बड़े जोर की आग लगी हुई थी। वे जहां उन लोगों से भी मिले थे जो नजदीक के रहने वाले थे और जिनको बहुत नुक्सान होता था मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाया है जिसमें कि नुकसान होने से पहले इस चीज का इलाज हो सके ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : झरिया में जो आग लगी है वह कोई नई नहीं है, पुरानी है, और पूरी कोशिश है कि यह आग बढ़ने न पाये। इसके लिये सदन के सामने हमारे मिनिस्टर साहब ने कई बार जवाब दिया है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या यह सच है कि जब झरिया कोयला खानों की जमीन के भीतर की आग का सर्वप्रथम पता लगा था तो उसे बुझाने के लिये पर्याप्त उपकरण नहीं थे और इसलिये उसे फैलने दिया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि कोयला बोर्ड नए उपकरण के अर्जन से आग फैलने को रोकने में कहां तक समर्थ रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** झरिया कोयला खानों की यह जमीन के भीतर की आग कई वर्ष पूर्व—लगभग २० वर्ष पूर्व—शुरू हुई थी। मैं समझता हूं कि कोयला बोर्ड द्वारा समय समय पर उठाये गये कदमों से इस आग के सम्बद्ध क्षेत्रों में फैलना काफी रुका है। हमें यह याद रखना चाहिये कि जब जमीन के भीतर आग लगती है तो उसे बुझाना आसान काम नहीं है। समस्त प्रयत्न उसे सम्बद्ध क्षेत्रों में फैलने से रोकने की दिशा में किया जाता है।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या यह सच नहीं है कि यह आग चालीस वर्ष पहले लगी थी और अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** झरिया में ?

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** हां, श्रीमान।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हो सकता है कि माननीय सदस्य की बात सही हो क्योंकि वह उसी क्षेत्र के हैं। मैंने २० वर्ष पूर्व कहा था ; हो सकता है वह २० वर्ष से पहले लगी हो। यह तथ्य है और यह मामला यहां अनेक बार आ चुका है। परन्तु जो प्रयत्न किये गये हैं उससे इस आग का फैलना रुक गया है। जब बड़ी बड़ी खानों में आग लग जाती है तो उसे बुझाना आसान नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय :** चूंकि यह आग ४०वर्ष अथवा काफी लम्बे समय से लगी हुई है उसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या किसी वैज्ञानिक खोज की सहायता इस आग को रोकने के लिये नहीं ली जा सकती ? संभवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस प्रकार की आग संसार भर की कोयला खानों में पाई जाती है और एक बार लग जाने पर उसे बुझाना आसान मामला नहीं है विशेषतः जब कोयले के बड़े निक्षेप आग पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक तरीका आक्सीजन को जाने से रोकना और रेत की दीवार खड़ी करना है ताकि वह फैल न सके। एक बार आग लग जाने पर उसे बुझाना आसान नहीं होता जब तक कि वह छोटे से क्षेत्र में सीमित न हो। जो उपाय अभी तक संसार को ज्ञात हैं वे यहां भी हमारे संसाधनों के अन्दर किये जाते हैं। हमें यह भी देखना चाहिये कि आग बुझाने में जितना खर्च होता है वह उस से अन्यथा होने वाली हानि की अपेक्षा कम है या अधिक।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या भारत सरकार को यह मालूम हुआ है कि बिहार सरकार के खान तथा भूतत्व विज्ञान निदेशक ने सरकार को एक प्रतिवेदन पेश किया है और आग बुझाने के लिए युद्ध के स्तर पर प्रयत्न करने के लिए कहा है और बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि भी इस मामले की केन्द्रीय सरकार के साथ चर्चा करने के लिये आया है? सरकार ने आग को फैलने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सही है कि बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने इस मामले का उल्लेख किया है और उसके संबंध में हमें लिखा है और हमने इस मामले की चर्चा की है। हमने बिहार सरकार के विशेषज्ञों से इस मामले की कोयला बोर्ड के विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के लिये कहा है।

†**श्री तंगामणि** : हाल में ब्रिटेन से एक विशेषज्ञ दल हमारे देश में आया था। क्या उन्होंने इन खानों का निरीक्षण किया था और क्या उनसे इस आग के बुझाने के सम्बन्ध में परामर्श किया गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि इस प्रयोजन के लिये कोई दल यहां आया था। वह दल कुछ नई खानों के विकास कार्य के लिये आया था। इस मामले की चर्चा उनके साथ नहीं की गई थी, जहां तक मुझे याद है।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह** : इस आग के कारण कितना धातुकार्मिक कोयला नष्ट हो गया है जिसका संभरण इस देश में अत्यन्त सीमित है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं और न यह इस प्रश्न के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है जो राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के आग बुझाने के उपकरण से संबंधित है। यह अन्य चीजों पर लपकना है।

जीवन बीमा निगम की विनियोजनीय निधियां

†*३१६. { **श्री नौशीर भरूचा** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम की विनियोजनीय निधियों को अपने हाथ में लेने के बारे में आगे क्या विचार किया गया है ? और उस पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सरकार ने जीवन बीमा निगम की अविनियोजनीय निधियों से संबंधित प्राक्कलन समिति के १३४वें प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिश पर विचार किया है। प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर सरकार के विचार उस निकाय को सूचित कर दिये गये हैं। सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है। इस मामले पर अग्रेतर चर्चा करना तभी ठीक होगा जबकि प्राक्कलन समिति सरकार के विचारों पर विचार करे के अपने निष्कर्ष सभा को सूचित कर दे।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या इस प्रश्न के संबंध में पुनर्विचार किये जाने की गुंजाइश है अथवा सरकार ने प्राक्कलन समिति की सिफारिशें अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कर लिया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार का निर्णय अन्तिम है। परन्तु एक तरह से कोई भी चीज अन्तिम नहीं है जबकि प्रत्येक चीज़ पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नौशीर भरूचा :** माननीय मंत्री ने अभी कहा कि उनका विचार प्राक्कलन समिति को सूचित कर दिया गया है और जब समिति उस पर विचार कर लेगी तब अग्रेतर विचार किया जायेगा। इसलिये मैं यह पूछ रहा हूं कि जीवन बीमा नि म की निधियों की विनियोजन नीति के संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम है अथवा अन्तर्कालि ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** अन्तर्कालीन कु भी नहीं है ; वह अन्तिम है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां तक प्राक्कलन समिति का संबंध है, माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि जब कभी उसके द्वारा सिफारिशें की जाती हैं वे सरकार के साथ परामर्श करने और उसे अपनी बात कहने का अवसर देने के पश्चात की जाती हैं। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जहां तक उनका संबंध है वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वे उसे क्रियान्वित नहीं कर सकेंगे। उन्होंने इसकी सूचना प्राक्कलन समिति को भेज दी है। अब सरकार द्वारा बताये गये कारणों पर विचार करना प्राक्कलन समिति का कार्य है। संभव है प्राक्कलन समिति उस पर पुनर्विचार करे और सरकार द्वारा बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए इस सिफारिश पर आग्रह न करे। अथवा अन्ततः वे कोई समझौता कर लें। एक भी मामला ऐसा नहीं है जिसमें दोनों ने एक दूसरे की बात न मानी हो। मुझे विश्वास है कि उनमें कुछ समझौता ही हो जायेगा। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता कि क्या उनका निर्णय अन्तिम है ? माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि जहां तक प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का संबंध है उनकी सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये और सभा की मंजूरी नहीं ली जाती है। यदि कोई मंत्री किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और यदि किसी सिफा रिश के संबंध में चर्चा की जाती है तो वह उसे अपने दल द्वारा मतदान में हरा सकते हैं। इसलिये हम इस प्रकार की चर्चा कभी नहीं करते हैं। स्थिति यह है कि सरकार ने कुछ कारण बताये हैं और यदि समिति उन पर विचार करके अपने कारण पेश करती है तो उन पर सरकार द्वारा पुनः विचार किया जा सकता है। इस मामले में कोई चीज अन्तिम नहीं होती है। जब तक उसे क्रियान्वित नहीं किया जाता अथवा वापस नहीं लिया जाता तब तक वह अन्तिम नहीं है।

†**श्री नौशीर भरूचा :** श्रीमान, मैं आप के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। आप ने अभी कहा कि प्राक्कलन समिति की सिफारिशें सभा की सिफारिशें होती हैं परन्तु वह कहते हैं कि सरकार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है और यह अन्तिम निर्णय है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य से इस प्रश्न के सम्बन्ध में अधिक छानबीन न करने के लिए कहना चाहता था ताकि माननीय मंत्री उसे अंतिम कहने में विवश न हो जायें। यह भी कहा गया कि इस संसार में कोई भी चीज अन्तिम नहीं है। माननीय मंत्री उन्हें ऐसी बात कहने के लिए विवश क्यों करते हैं ! माननीय सदस्यों को प्राक्कलन समिति की सिफारिशों का सम्मान करना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि माननीय मंत्री उन्हें स्वीकार कर लें तथा उन्हें यह कहने के लिये बाध्य न करें कि मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री तंगामणि :** हमारी एक कठिनाई है। हम केवल सिफारिशों के आधार पर ही अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अब यदि माननीय मंत्री कहते हैं कि वह उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते तो कोई समयावधि होनी चाहिये जिसके अन्दर अन्तिम निर्णय हो जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवतः माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझ सके। माननीय मंत्री ने कहा हम वह सिफारिश स्वीकार नहीं कर सके। कुछ सिफारिशें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें सरकार तुरन्त स्वीकार न कर सके। और अपनी कठिनाइयां प्राक्कलन समिति को पेश करे। प्राक्कलन समिति ने

---

†मूल अंग्रेजी में

उसे यह कह कर वापस नहीं किया है कि हम इन आधारों को स्वीकार नहीं करते हैं अथवा विचार करने के लिए कोई अन्य आधार देते हैं। अब प्राक्कलन समिति उस पर विचार कर रही है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं समिति से शीघ्रता करने के लिये कहूंगा। इस मामले में माननीय मंत्री को तनिक भी दोष नहीं दिया जा सकता। कभी कभी कुछ मंत्री सम्मानपूर्वक यह कहते हैं कि वे सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। प्रश्नों का घंटा समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कानपुर में धातु मिश्रित इस्पात का कारखाना

†*३०८. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एक विशेष धातु मिश्रित इस्पात कारखाना बनाने के सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उसके लिये वर्तमान युद्ध-सामग्री कारखाने को ही बढ़ाया जायेगा या अलग से एक कारखाना बनाया जायेगा ; और

(ग) उसके लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) परियोजना संबंधी प्रतिवेदन तयार किया जा चुका है और प्रतिरक्षा मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है।

(ख) प्रस्ताव वर्तमान फैक्टरी के बिलकुल साथ एक अलग इकाई स्थापित करने के बारे है।

(ग) परियोजना अभी मंजूर नहीं हुई है ; परियोजना की अनुमानित लागत २० करोड़ रुपये के लगभग होने की संभावना है।

अप्रविधिक विषयों में प्रशिक्षण के लिये बाहर जाने वाले विद्यार्थी

†*३१७. श्री हेम बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अप्रविधिक विषयों में प्रशिक्षण के लिये बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को रोकने के लिये क्या उपाय सोचे हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : भारत सरकार शिक्षा कार्यों के लिये विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों के अन्तर्गत इस समय लागू किये गये प्रतिबन्धों के अलावा और कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार नहीं करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के गायब नक्शे

†*३१८. { **श्री वें० च० मलिक :**
श्री चुनी लाल : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भंडार जांच समिति ने इस बीच तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के गायब नक्शों के बारे में अपना काम समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने भंडार से कुछ नक्शे गायब पाये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) अभी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

पठानपुरम् में तेल

†*३१९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानपुरम् ताल्लुक के पीरवन्तूर गांव में सितम्बर, १९६१ में खोदे गये गड्ढों की कीचड़ में मिट्टी के तेल के कुछ तत्वों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की तेल क्षमता का निर्णय करने के लिये क्या वहां इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ?

कोरबा कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना

†*३२०. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोरबा कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप स्थापित करने के प्रस्ताव सम्बन्धी पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) निर्णय के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). कोरबा कोयला क्षेत्रों में केन्द्रीय वर्कशाप स्थापित करने से संबंधित संशोधित परियोजना प्रतिवेदन सरकार द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुमोदित किया जा चुका है। रूस वर्कशाप की मशीनरी और उपकरण देगा तथा वर्कशाप का वास्तविक निर्माण राष्ट्रीय कोयला विकास निगम समिति के द्वारा आरम्भ किया जायगा। वर्कशाप की स्थापना, वर्कशाप की क्षमता का पूर्ण उपयोग उठाने के लिये इस क्षेत्र में सूरा कछार और बांकी भूमिगत तथा कोरबा खुली खानों के चलने के साथ साथ होगा। वर्तमान संकेतों के अनुसार १९६४ में वर्कशाप द्वारा कार्य आरम्भ किये जाने की आशा की जाती है।

पंजाब राज्य में सीमा व्यय

†*३२१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्कर व्यापारियों तथा अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को घुसने से रोकने के लिये सीमा पर तनात पुलिस पर पंजाब राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय में अंशदान देने का क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सीमाओं पर पुलिस की व्यवस्था की कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से कुछ प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं। तथापि लोक-हित की दृष्टि से ब्यौरा नहीं बताया जा सकता।

न्यायाधीश मुल्ला द्वारा की गई आलोचना

†*३२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय का ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के न्यायाधीश श्री ए० एन० मुल्ला द्वारा "भारतीय पुलिस सेवा" के बारे में व्यक्त किये गये अपमान-जनक विचारों की ओर गया है ; और

(ख) उक्त माननीय न्यायाधीश द्वारा व्यक्त विचारों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुल्ला के द्वारा भारतीय पुलिस बल के संबंध में की कई आलोचनाओं के बारे में प्रेस के समाचार देखे हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने उस आलोचना को निकलवा देने की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय में अपील करनें का कदम उठाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र

†*३२३. श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० च० सामन्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में अन्य देशों के साथ वार्ता में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी टैंडरों के विशिष्ट ब्यौरे बना रही है और विदेशों की फर्मों से खुले टैंडर शीघ्र ही मांगे जाने की आशा है ।

दिल्ली में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह

†*३२४. श्री सं० अजी सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० गं० देव :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अक्तूबर, १९६१ में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो युवक समारोह में किन-किन विश्वविद्यालयों ने भाग लिया और भारत सरकार ने कुल कितना धन खर्च किया ;

(ग) इस समारोह में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया ;

(घ) क्या २९ अक्तूबर को हुई वर्षा के फलस्वरूप तम्बू और शामयाने गिर पड़े थे

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों के चोटें आईं; और

(च) तम्बुओं में हरे लोगों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) समारोह में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । समारोह पर १.८० लाख रुपये के व्यय का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

७वें अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह में भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों की सूची

१. आगरा	२. अलीगढ
३. इलाहाबाद	४. आन्ध्र
५. अन्नामलै	६. बनारस
७. बड़ौदा	८. भागलपुर
९. बिहार	१०. बर्दवान
११. बम्बई	१२. कलकत्ता
१३. दिल्ली	१४. गोहाटी
१५. गोरखपुर	१६. गुजरात
१७. जबलपुर	१८. जम्मू तथा काश्मीर
१९. कर्णाटक	२०. केरल
२१. लखनऊ	२२. मराठवाडा
२३. नागपुर	२४. पटना
२५. रांची	२६. सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ
२७. सागर	२८. एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय
२९. उत्कल	३०. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
३१. जामिया मिलिया	३२. भारतीय औद्योगिकी संस्था, खड़गपुर
३३. काशी विद्यापीठ	३४. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, दिल्ली
३५. जाधवपुर	३६. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय

(ग) १६ नेपाली और १२५ एन० डी० एस० वालंटियरों को छोड़ कर ७५८ ।

(घ) ये शामियाने गिर गये थे परन्तु किसी भी तम्बू को, जिनमें ये ठहरे हुए थे, कोई क्षति नहीं पहुंची ।

(ङ) केवल एक व्यक्ति को थोड़ा बिजली का झटका लगा ।

(च) चिकित्सा सहायता के अतिरिक्त, जिन को आवश्यकता थी, उनको मुक्त रूत से कंबल दिये गये ।

लिग्नाइट का प्रयोग

†*३२५. **श्री झूलन सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लिग्नाइट को काम में लाने योग्य बनाने के बाद उसे न केवल "लो-शौफ्ट" भट्टियों में वरन् धमन भट्टियों में भी काम में लाने की संभावना की जांच की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र के विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, जिसने निवेली के लिग्नाइट की उपयुक्तता का परीक्षण किया था, मद्रास राज्य के कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये संयंत्र स्थापित करने की संभावना का परीक्षण करने के लिये स्थापित की गयी समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि प्रयोगशाला स्तर पर किये गये प्रारम्भिक प्रयोगों के परिणामों से यह पता चलता है कि निवेली के लिग्नाइट से लोहा बनाना संभव होना चाहिये। इस लिये समिति ने सिफारिश की है कि संयंत्र के आकार, निर्माण की जाने वाली वस्तुओं और अपनाये जाने वाले तरीके के बारे में निर्णय किये जाने से पूर्व लिग्नाइट के प्रतिनिधि नमूनों के साथ अधिक विस्तृत वाणिज्यिक प्रयोग किये जाने चाहियें।

निवेली के लिग्नाइट के छोटे नमूने नार्वे और पश्चिम जर्मनी को भेजे गये हैं कि वे अग्रिम प्रयोगों के कार्यक्रमों के बारे में सुझाव दें। राज्य सरकार ने भी जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणतंत्र को बड़ी मात्रा में लिग्नाइट भेजने के लिये प्रबन्ध किये हैं, जहां शीघ्र ही बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रयोग किये जायेंगे।

मुस्लिम सम्मेलन

*३२६. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुये मुस्लिम सम्मेलन जैसे सम्मेलनों की अन्तर्गर्भताओं के बारे में सरकार जो विचार कर रही थी, उसपर क्या निर्णय हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): भारत सरकार, राजनैतिक मामलों का साम्प्रदायिक आधार पर विचार करने के लिये किये जाने वाले सम्मेलनों का अनुमोदन नहीं करती। इस प्रकार के सम्मेलन अक्सर अस्वस्थ प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं।

दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग पर पटाखे का विस्फोट

†*३२७. **श्री कुन्हन** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९ सितम्बर, १९६१ को रात के लगभग ८ बज कर ४० मिनट पर प्रधान मंत्री

†मूल अंग्रेजी में

के दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग से गुजरने के बाद ही एक पटाखे का विस्फोट हुआ था

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच इस घटना की जांच कर ली गई है ; और

(ग) जांच का क्या परिणाम निकला ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :(क) से (ग) जी हां, अनुसंधान कार्य तुरन्त आरम्भ किया गया था, किन्तु अभी वह पूरा नहीं हुआ है ।

हिन्दी का प्रचार

†*३२८. श्री हेम राज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के प्रचार के लिये विभिन्न अहिन्दी-भाषी राज्यों को वर्ष १९६१–६२ के लिये कितना अनुदान दिया गया अथवा दिया जाने वाला है ;

(ख) इन राज्यों में हिन्दी प्रचार के लिये कौन से अभिकरण काम में लाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या हिन्दी के प्रचार के लिये इन अभिकरणों द्वारा किये गये कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर जाता है ।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा अहिन्दी-भाषी राज्यों को प्रचार के लिये निम्नलिखित तीन योजनाओं के लिये अनुदान दिये जाते हैं :

(१) हिन्दी के प्रोत्साहन के लिये वित्तीय सहायता ;

(२) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति ; और

(३) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालिज खोलना और हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाना ।

(१) और (२) योजनाओं के अधीन भारत सरकार उनके व्यय का ६० प्रतिशत देती है जब कि (३) योजना के अधीन १०० प्रतिशत खर्च दिया जाता है। (१) और (२) योजनाओं के अधीन वर्ष १९६१–६२ के लिये अनुदान राज्य सरकार द्वारा पहली तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक खर्च और चालू वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में पूर्वाशित व्यय के आधार पर दिये जायेंगे। (३) योजना के अधीन वर्ष १९६१–६२ में अब तक निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये हैं :

आन्ध्र प्रदेश––८,४१४ रुपये

केरल––२,७५,००० रुपये

मैसूर––८४,३७० रुपये

(ख) राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में किसी अभिकरण द्वारा जिसे वे सर्वोत्तम समझें, हिन्दी के प्रचार का काम करा सकती हैं। योजना (१) के अन्तर्गत राज्य सरकारें हिन्दी के प्रचार के लिये सम्बन्धित विभिन्न कार्यवाहियों के लिये ऐच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अनुदान देती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जब राज्य सरकारों द्वारा ऐच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं तो वे ही अपनी वित्तीय सहायता से ऐसे अभिकरणों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं। जहां ऐच्छिक हिन्दी संस्थाओं को सीधे भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं,तो उन संस्थाओं को सरकार को उस वर्ष के लेखा-परीक्षित लेखे, जिसमें अनुदान का इस्तेमाल किया गया हो, एक शासप्राप्त लेखापाल के प्रमाणपत्र समेत कि अनुदानों का इस्तेमाल उस प्रयोजन के लिये हुआ है जिसके लिये ये मंजूर किये गये थे, भेजने पड़ते हैं। संस्थाओं को सरकार को सामयिक प्रगति प्रतिवेदन भी भेजने पड़ते हैं और जहां आवश्यक होता है, शिक्षा मंत्रालयों के पदाधिकारियों को संबंधित संस्थाओं की जांच के लिये भेजा जाता है।

दक्षिण भारत में तेल शोधक कारखाना

†*३२९. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि दक्षिण भारत में सरकारी क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित होने जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ग) तेल शोधक कारखाने की क्षमता क्या होगी ; और

(घ) इसको बिना साफ किया हुआ तेल कहां से पहुंचाया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होता।

भारतीय विमान बल के वायुयान की तेजपुर के निकट दुर्घटना

†*३३०. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री कोडियान :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल के जेट विमान पाइलट आफिसर, जो विमान में एक मात्र यात्री थे, की ४ अक्तूबर, १९६१ को आसाम में तेजपुर के निकट विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो विमान किन परिस्थितियों में दुर्घटनाग्रास्त हुआ ;

(ग) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है ;

(घ) जांच की क्या उपपत्तियां हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (ग) . विमान चालक प्रशिक्षण सम्बन्धी उड़ान कर रहा था। दुर्घटना की जांच करने के लिये जांच न्यायालय को आदेश दिया गया है। न्यायालय की उपपत्तियां या निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए है ।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में निर्धारित समय के बाद बैठने के लिये भत्ते

†*३३१. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय के नान गजटेड सिविलियन कर्मचारियों को निर्धारित समय के बाद बैठने और रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन कार्यालय में उपस्थित रहने के लिये विशेष भत्ते दिये जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त कार्यालय में इसे लागू करने का विचार रखती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

सिंगरेनी कोयला खान

†*३३२. — **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ७ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खान प्रीमियर कोल माइन कम्पनी के प्रबन्ध में नियंत्रण कारी हित रखने के लिये सरकार ने इस बीच कोई नियंत्रण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** (क) और (ख). इस मामले पर अभी यह मंत्रालय विचार कर रहा है और शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

युवक होस्टल के लिये डलहौजी में पोर्टलैंड हाल का अर्जन

†*३३३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन् १९५५ में सरकार ने डलहौजी में पत्थर से बनी **पोर्टलैण्ड** हॉल नामक एक इमारत को युवक होस्टल के रूप में निर्मित करने के लिये खरीदा था ;

(ख) क्या यह सच है कि यूथ होस्टल एसोसिएशन आफ इंडिया को आमंत्रित किया गया था तथा वह इस होस्टल का प्रबन्ध तथा कार्य संचालन अपने हाथ में लेने के लिये सहमत थे ;

(ग) क्या यह सच है कि यूथ होस्टल एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा अनेक अभ्यावेदन देने पर भी उप क्त इमारत उनके सुपुर्द कभी नहीं की गई एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा बाद में इसे प्रयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो किन निश्चित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप यह विषय लगभग छः वर्ष तक अनिर्णीत बना रहा ; और

(ङ) इस इमारत को विध्वंस होने देने के लिये क्या उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है और उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है ।

विवरण

सरकार ने एक युवक होस्टल स्थापित करने के लिये मई, १९५६ में डलहौजी में 'पोर्टलैण्ड हाल' नामक एक दुमंजिली इमारत खरीदी थी ।

जायदाद खरीदने के तुरन्त पश्चात् ही भारत के युवक होस्टल संघ से यह बताने को कहा गया कि क्या वह इस इमारत को ठीक ठाक कर के इस का युवक होस्टल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं । भारत का युवक होस्टल संघ ऐसा करने को भी तैयार था जब सरकार पूरी अनावर्ती लागत और आवर्ती व्यय में घटती को पूरा करे ।

क्योंकि भारत सरकार ने भारत के युवक होस्टल संघ द्वारा अनुबाधित शत प्रतिशत व्यय की शर्तों को नहीं माना, संघ द्वारा कई अभ्यावेदन देने के बावजूद उन को इमारत देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह सच है कि अब केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग ने बताया है कि यह इमारत असुरक्षित है ।

भारत सरकार इस इमारत को सर्वोत्तम ढंग से इस्तेमाल करने की विभिन्न संभावनाओं का पता लगाना चाहती थी । इस बारे में भारत के युवक होस्टल संघ, पंजाब की राज्य सरकार, परिवहन मंत्रालय (: पर्यटन विभाग, केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग, भारत स्काउट और गाइड आदि से परामर्श करने पड़े ।

मई, १९५६ में इमारत को खरीद के बाद से इस के खराब होने के लिये ध्यान न दिये जाने की जिम्मेदा ी लादने का प्रश्न विचाराधीन है ।

छावनी निधि कर्मचारी नियम

†*३३४. **श्री चुनी लाल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्ड कर्मचारियों के विवाद के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुसार छावनी निधि कर्मचारी नियम, १९३७ में परिवर्तन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या परिवर्तन को अन्तिम रूप प्रदान करने के पहले मंत्रालय अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचा ी फेडरेशन के प्रतिनिधियों से भी सलाह करेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन** : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट को ध्यान में रखते हुए छावनी निधि कर्मचारी नियमों, १९३७ में प्रस्तावित संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं । क्योंकि छावनी अधिनियम, १९२४ के वर्तमान उपबन्ध सरकार को छावनी निधि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता, अधिनियम में उचित रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छावनी निधि कर्मचारी नियमों, १९३७ के संशोधन अन्तिम रूप में स्वीकार किये जाने से पूर्व, लोगों की उन से प्रभावित होने की संभावना है, उन से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिये प्रकाशित किये जायेंगे । इस प्रारम्भिक गजट अधिसूचना के उत्तर में अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी फेडरेशन से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सरकार के द्वारा विचार किया जायगा ।

इस्पात उत्पादन

†*३३५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की अपेक्षा भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन में गिरावट तथा रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में अत्यधिक कमी के कारणों की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो स के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सभी स्थानों पर प्रबन्ध कर्मचारियों में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा कोई बड़ा परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). भिलाई का उत्पादन इस की निर्धारित क्षमता की तुलना में, इस्को एवं टिस्को की तुलना में बहुत कम नहीं रहा है । फिर भी इस स्तर पर जांच करना आवश्यक समझा गया है, क्योंकि दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्र अभी संचालन के प्रारम्भिक प्रक्रम में हैं । इन तीनों स्पात संयं ों का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

इस्पात का निर्यात

†*३३६. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित इस्पात के निर्यात के लिये कोई दीर्घ-कालीन नीति बनाई है ;

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस से कितनी विदेशी मुद्रा मिलने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को पहली प्राथमिकता दी जायगी । केवल उतने तैयार और अर्ध-तैयार इस्पात का निर्यात करने का रादा है, जितना इस काम के लिये समय समय पर फालतू हो । इस समय उस निर्यात की लागत का अनुमान लगाना कठिन है ।

मानव के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विकास का इतिहास

†*३३७. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनैस्को का 'मानव का वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विकास का इतिहास' का खण्ड १ अभी प्रकाशित होने को है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सम्बन्धी अध्यायों में आवश्यक शुद्धि कर दी गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

इतिहास के खंड १ के प्रारूप पाठ में भारत संबंधी सूचनाओं के बारे में अशुद्ध वर्णन और अपर्याप्त वर्णन के बारे में, इतिहास तैयार करने और उस के प्रकाशन के लिये उत्तरदायी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को बताया गया है ।

अन्त र्राष्ट्रीय आयोग ने संशोधन पाठ तैयार करते समय विचार करने के हेतु खंड १ के लेखक-सम्पादकों को भारतीय पदाधिकारियों के विचार भेजे । आयोग ने एक सामान्य आश्वासन भी दिया है कि वह खंडों के पाठ के अन्दर और टिप्पणों में, राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं व्यक्तिगत विशेषज्ञों के विचा ों को स्थान देने की ओर विशेष ध्यान देगा ।

इतिहास के खंड १ में भारतीय सूचना संबंधी अशुद्ध और अपर्याप्त वर्णन किस सीमा तक दूर किया जाता है यह इस खंड के प्रशिक्षित पाठ के उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही मालूम हो सकेगा ।

दिल्ली में प्लाट

†*३३८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी तक मकान बनाने के लि` कितने प्लाट तैयार किये गये हैं ;

(ख) विभिन्न प्रकार के प्लाटो का क्षेत्रफल कितना है ;

(ग) विभिन्न प्रकार के प्लाटों के लिए प्रति वर्ग गज कितना मूल्य रखा गया है ; और

(घ) विभिन्न प्रकार के प्लाटों का प्रति वर्ग गज अर्जन मूल्य और विकास लागत क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (घ). सूचना दर्शाने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) २१०० प्लाट । अभी इन का पूरी तरह से विकास नहीं किया गया है परन्तु जब तक इन के आवंटन का समय आयेगा, आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था कर दी जावेगी ।

(ख) विभिन्न प्रकार के प्लाटों का क्षेत्र निम्न प्रकार है :

८० वर्ग गज
१०० वर्ग गज
१२० वर्ग गज
१२५ वर्ग गज
१५० वर्ग गज
२०० वर्ग गज
३०० वर्ग गज
३४० वर्ग गज
३६० वर्ग गज
५०० वर्ग गज
६४० वर्ग गज
८०० वर्ग गज

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निम्न आय वर्ग के लोगों को जो 'पर्चियां' डाल कर' प्रथम दृष्टया ६०० प्लाट दिये गये जा रहे हैं उन के लिये निम्नलिखित दरें निर्धारित की गयी हैं :

(१) नजफ़गढ़ रोड के प्लाट :

साइज़	मूल्य प्रति वर्ग गज
८० वर्ग गज	२५ रुपये
१०० वर्ग गज	२५ रुपये
१२० वर्ग गज	२८ रुपये गज
१५० वर्ग गज	३० रुपये गज

(२) सफदरजंग अस्पाताल के पश्चिम के प्लाट :

१२५ वर्ग गज	३५ रुपये

(घ) अर्जन की लागत, जो जमीन जमीन पर भिन्न होती है और जिला न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों पर निर्भर है, अतः इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि अर्जन की वास्तविक लागत क्या होगी। तथापि, निम्न आय-वर्ग में प्रथम व्यक्तियों को ६०० प्लाटों के आवंटन के लिये अर्जन की एकीकृत लागत नजफ़गढ रोड क्षेत्र में ३ रुपये प्रति वर्ग गज ली गयी है और सफदरजंग क्षेत्र में ५ रुपये प्रति गज ली गयी है।

विकास की लागत, ऊगरी और ब्याज शुल्क समेत, ७ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से लगायी गयी है।

उपरोक्त दरों का हिसाब लगाने में कुल क्षेत्र के अर्जन और विकास की लागत को सक्षम स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे में शुद्ध प्लाट क्षेत्र में विभाजित किया गया है। नजफ़गढ रोड क्षेत्र में और सफदरगंज क्षेत्र में कुछ क्षेत्र से शुद्ध क्षेत्र की प्रतिशतता क्रमशः ३८ और ४० है।

उच्च वायुमण्डल के भौतिक तत्वों का अध्ययन

†*३३९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च वायुमन्डल और १००० किलोमीटर तक के अन्तरिक्ष, जिसका नैनीताल की वेधशाला द्वारा एक माडल तैयार किया गया है, के भौतिक तत्वों के अध्ययन के परिणामों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या नैनीताल की वेधशाला में आवश्यक उपकरणों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में वेधशाला के अग्रेतर विकास कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ऐसा कोई नमूना तैयार नहीं किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर ६० "रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप लेने का विचार है।

निवेली परियोजना

†*३४०. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से निवेली परियोजना का कार्य प्रारम्भ हुआ है लगभग २५ मजदूर मर चुके हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १२ नवम्बर, १९६१ को तापीय विद्युत् संयंत्र में एक इलेट्रीकल असिस्टेंट की मृत्यु हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो मृत्यु के कारण क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। ये कर्मचारी १९५७ से आजतक की अवधि में दुर्घटनाओं के कारण मर गये हैं।

(ख) जी हां, बिजली के संयंत्र का एक सहायक १२-११-१९६१ को मर गया था।

(ग) वह बिजली का धक्का लगने से मरा, जब वह टीक की लकड़ी के खंभे पर काम कर रहा था, मौसम का असर न होने वाली लाइन को उखाड़ कर मार्ग की बिजली से मिला रहा था, तभी एक क्रेन उधर से निकल सके।

शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व युवक कल्याण समन्वय समिति

*३४१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती मैमना सुल्तान :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री २५अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या इस बीच उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(छ) यदि हां, तो क्या उस समिति की रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) यदि अभी रिपोर्ट नहीं मिली तो इतनी देरी होने का क्या कारण है; और

(घ) कब तक उस समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल जाने की आशा की जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परीक्षाधीन विषयों का सावधानी से अध्ययन और मूल्यांकन करना है, जिसके लिये समिति सदस्यों के दूसरे कर्त्तव्यों का पालन करने के साथ साथ लगातार भरसक प्रयत्न कर रही है।

(घ) मार्च, १९६२ तक।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐच्छिक माध्यम के रूप में हिन्दी

*३४२. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिये की जाने वाली प्रतियोगी-परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम को भी ऐच्छिक रूप से लागू करने की तिथि के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि, अभी निश्चय नहीं हुआ है, तो कब तक निश्चय हो जाने की आशा की जाती है?

गृह कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर) : (क) और (ख). सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और आशा है कि अंतिम फैसले की घोषणा जल्दी ही कर दी जायगी ।

आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र

†*३४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री न० म० देव :
श्री वारियर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन

†*३४४. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६१ में प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन की एक बैठक दिल्ली में हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या नई वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने का निर्णय किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में निम्न विषयों पर चर्चा की गई थी :--

(१) अब तक जो स्टोर और सामान विदेश से मंगवाया जाता है उस की प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकता के बारे में यथासंभव स्वावलंबनता प्राप्ति को शीघ्रता से बढ़ाने के मार्गोपाय ;

(२) अब जो सामान विदेश से मंगवाया जाता है उसके उत्पादन के लिये तथा असैनिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए सामान के निर्माण के लिये इस समय फालतू और युद्ध रक्षित माल क्षमता दोनों क्षमताओं का उपयोग करना ;

(३) यथासंभव विदेशी मुद्रा व्यय को घटाने और प्रतिरक्षा उत्पादन संगठनों में बनाई गई चीजों के निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का प्रश्न ।

(ग) और (घ). सम्मेलन का उद्देश्य उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना या उत्पादन के लिये विशेष रूप से नई चीजों के नाम रखने का निर्णय करना नहीं था । मुख्य उद्देश्य कुशलता में अन्तर आने दिये बिना विदेशी मुद्रा के व्यय को घटाने की आवश्यकता की ओर ध्यान केन्द्रित करना था ।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†*३४५. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या असाधारण योग्यता वाले विद्यार्थियों को उपयुक्त संख्या मेंछात्रवृति देने योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना दर्शाने वाला :वरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(ख) योजनाओं का ब्योरा निम्न प्रकार है :

(१) तृतीय योजना काल में प्रति वर्ष २४०० छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, १८०० स्कूल की परीक्षाओं के परिणामस्वरूप और इन्टर और डिग्री परीक्षाओं के परिणाम-स्वरूप क्रमश: ४०० और २०० ।

(२) प्रत्येक राज्य को शिक्षा के सम्बन्धित प्रक्रम पर पंजीयन के आधार पर कोटा आवंटित किया गया है ।

(३) चयन राज्य में परीक्षक निकायों की योग्यता सूची द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर किया जायेगा ।

(४) दर निम्न प्रकार होंगे :

इन्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये क्रमश: ५०, ७५ और १०० रुपये प्रति माह । प्रथम व्यावसायिक डिग्रियों के लिये दर भी १०० रुपये प्रति मास होगी । पी० एच० डी० के लिये दर २०० रुपये प्रति मास होगी । रेजिडेन्स में प्रत्येक मामले में १० रुपये प्रति मास अधिक दिये जायेंगे ।

(५) छात्रवृत्ति की दर **उपाय परीक्षा** के अनुसार निम्न प्रकार होगी :

(१) जिन छात्रों के अभिभावकों की आय ५०० पये प्रति मास है, उन को पूरी छात्र-वृत्ति मिलेगी ।

(२) जिन छात्रों के अभिभावकों की आय ५०० पये प्रतिमास से अधिक है और १००० रुपये प्रति मास से कम है, उन को आधी दरों पर छात्रवृत्ति मिलेगी ।

(३) जिन छात्रों के अभिभावकों की आय १००० पये प्रति मास से अधिक है, उन को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी परन्तु उन को एक प्रमाणपत्र दिया जायेगा कि यदि यह उपाय परीक्षा के आधार पर न होता, तो उन को छात्रवृत्ति मिलती । तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य छात्रों की तरह अग्रेतर अध्ययन के लिये उपयुक्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार होगा ।

(६) एक बार दी गयी छात्रवृत्ति, यदि छात्र सदा प्रथम श्रेणी में आता रहे, अनुसंधान प्रक्रम तक पूरे अध्ययन के लिये दी जावेगी ।

(७) छात्र भारत में कहीं भी कोई भी अध्ययन कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्था

†*३४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की स्थापना कर दी है ;

(ख) यदि हां तो संस्था का गठन किस प्रकार है ; और

(ग) इसके कृत्य क्या ह ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण स ा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

एक राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं स्वायत्त शासी निर्णय के तौर पर स्थापित की गई थी तथा भारत सहकार के पांच अधीनस्थ विभाग उसको सौंप दिये गये ह । ये विभाग राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के केन्द्रबिन्दु होंगे, जिसका यह परिषद् नियंत्रक निर्णय होंगा ।

(१) अनुसंधान विकास, शिक्षा संबंधी प्रशासकों, अध्यापक शिक्षकों और शिक्षा के लिये अपेक्षित अन्य उच्च स्तर के कर्मचारियों के उच्च प्रशिक्षण (सेवा पूर्व और सेवा बीच दोनों) तथा विस्तार सेवाओं की व्यवस्था के लिये एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्था स्थापित करना ;

(२) देश के विभिन्न भागों में आम तौर पर अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण एवं विस्तार के लिये तथा खास तौर पर बहुद्देश्यीय माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये प्रादेशिक संस्थाएं स्थापित करना और उन का संचालन करना ;

(३) शिक्षा संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार संबंधी सूचना और विचारों के लिये सभाशोधन गृह के तौर पर काम करना ; और

(४) भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं एवं संगठनों को शिक्षा संबंधी मामलों के बारे में मंत्रणा देना ।

स्टेनवैक द्वारा पश्चिम बंगाल का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*३४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनवैक ने पश्चिम बंगाल का भूतत्वीय सर्वेक्षण प्रतिवेदन भारत सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां ।

(ख) भारत स्टेनवैक पेट्रोलियम परियोजना का अध्ययन करने से मालूम होता है कि वहां की परतों में हाइड्रोकार्बन या तो है नहीं अथवा उस की खोज बहुत कठिन है । भूतत्वीय तहों के परीक्षणों से अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं । स्टैनवैक के प्रतिवेदन के अन्त में लिखा है कि भूतत्वीय तहों के लिए रियायती क्षेत्र में परीक्षण खतरनाक होगा ।

केंद्रीय शिक्षा बोर्ड

†*३४८. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई इस योजना में, कि एक ऐसा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिये जिस के साथ एकता पाठ्यक्रम और शिक्षा माध्यम वाले स्कूल सम्बद्ध हों, कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) खोले जाने वाले स्कूलों की क्या संख्या है और वे कहां पर खोले जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्तमान माध्यमिक बोर्ड, अजमेर का पुनर्गठन कर के माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया है ।

(ख) जहां पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अधिक संख्या में हैं उन स्थानों की संस्थाओं को अनुदान देने का विचार है जिस से इन स्कूलों में समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा सके । यदि एक क्षेत्र में स्कूल है तो वहां पर पूरी तरह से नये स्कूल खोलने का विचार है । योजना पर राज्य सरकार विचार कर रही है और इस की क्रियान्विति के लिये निम्नलिखित नगरों का चुनाव कर लिया गया है :—

१. बम्बई
२. कलकत्ता
३. दिल्ली
४. मद्रास
५. इलाहाबाद
६. पूना
७. हैदराबाद
८. मेरठ
९. बंगलौर
१०. देहरादून
११. कुरनूल
१२. अम्बाला
१३. शिलांग
१४. लखनऊ
१५. नागपुर
१६. अजमेर
१७. कानपुर
१८. मंडपम
१९. त्रिवेन्द्रम
२०. रांची
२१. अहमदाबाद
२२. जयपुर
२३. ग्वालियर
२४. पटना
२५. बड़ौदा
२६. करनाल
२७. कोटापुर (अथवा जगदलपुर)

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में मेंगनीज अयस्क का खनन

†*३४९. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मेंगनीज़ अयस्क के संयुक्त रूप से खनन के लिये भारत और एक ब्रिटिश सार्थ, दि सेन्ट्रल प्राविन्स मेंगनीज़ ओर कम्पनी, के बीच एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) करार की बातों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरदार पटेल की प्रतिमा की स्थापना

*३५०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, डाक व तार भवन के पास वाले चौराहे पर, सरदार पटेल की कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक यह प्रतिमा स्थापित हो जायेगी ;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पहले सरदार पटेल की प्रतिमा विजय चौक में स्थापित करने का निश्चय किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उस विचार में फिर क्यों परिवर्तन किया गया है ;

(ङ) दिल्ली में क्या किन्हीं अन्य स्थानों पर भी कुछ भारतीय नेताओं की प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिये ग हैं ; और

(च) यदि हां, तो वे प्रतिमायें किस किस की हैं और कहां कहां लगाई जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक समिति बम्बई को, जिस ने यह प्रस्ताव रखा सूचित कर दिया गया है कि सरकार ने स्वर्गीय सरदार पटेल की प्रतिमा पार्लियामेंट मार्ग तथा अशोक मार्ग के संगम के चक्कर पर बनाने की बात स्वीकार कर ली है, तथा उन्हें सूचित कर दिया गया है कि इस काम को प्रारम्भ करें।

(ग) और (घ). विजय चौक के पास साउथ ब्लौक के पूर्व की ओर स्थापित करने की बात उचित नहीं समझी गयी ।

(ङ) और (च). सरकार ने पं० मोती लाल नेहरू की प्रतिमा को पार्लियामेंट हाउस के प्रांगण में स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। कोई और प्रस्ताव इस सम्बन्ध में विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में एक क्लर्क द्वारा आत्म हत्या

†*३५१. **श्री विभूति मिश्र :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, के एक लोअर डिवीजन क्लर्क, श्री एन० एन० बोस ने शनिवार, २३ सितम्बर, १९६१ को केन्द्रीय सचिवालय के नार्थ ब्लाक से कूद कर आत्महत्या कर ली ; और

(ख) यदि हां तो घटना का पूरा ब्योरा क्या है और आत्महत्या के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी, हां। (ख) एक विवरण संलग्न है ?

विवरण

प्रतिदिन के समान ही २५-९-१९६१ को भी २३-९-६१ के सबेरे श्री एन० एन० बोस दफ्तर आ थे तब वह ठीकठाक नजर आते थे। परन्तु लगभग ४-४५ म० प० केन्द्रीय सचिवालय भवन (नार्थ ब्लाक) पर से श्री बोस कूदे और वहीं पर मर गये। इस समाचार की खबर मिलते ही मंत्रालय के कल्याण अधिकारी तुरन्त उस स्थान पर पहुंच गये।

बाद में पुलिस को कुछ डाक में नहीं डाले गये पत्र मृत के पास से मिले। उनसे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों के कारण आत्म हत्या की है। मृत के अपने एक पत्र में लिखा है कि वह अपनी छोटी बहन का विवाह न करने के कारण आत्म हत्या कर रहे हैं।

भावात्मक एकता

†*३५२. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री हेम बरूआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत के विश्वविद्यालयों और कालिजों के अध्यापकों की भावात्मक एकता की कोई ोजना अपना ी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क). और (ख). १६/१७ अप्रैल, १९५८ को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय एकीकरण के संबंध में एक गोष्ठी संगठित की थी। आयोग द्वारा रिपोर्ट बनाने के लिये तथा गोष्ठी

---

†मूल अंग्रेजी में

की सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये विश्वविद्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के लिये ठोस सुझाव देने के लिये एक समिति स्थापित की गई थी। समिति की सिफारिशों में से एक यह है कि :

"प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा कालिज को इसका पता लगाना चाहिये कि देश के अन्य भागों से उचित अनुपात में अध्यापकों को नियुक्ति होनी चाहिये। इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों को यात्रा अथवा अन्य आकस्मिक व्यय के लिये वित्तीय सहायता देना आवश्यक है।"

समिति की अन्य सिफारिशों के साथ साथ यह सिफारिश भी आयोग ने विश्वविद्यालयों को परिचालित करदी थी। विश्वविद्यालयों से प्राप्त टिप्पणियों समेत सिफारिशों पर आयोग ने ३०/३१ दिसम्बर, १९६० की अपनी बैठक में विचार किया था। आयोग ने देखा कि गोष्ठी की सिफारिशों को विश्वविद्यालयों ने अपने यहां कई योजनायें लागू करके क्रियान्वित कर दिया है। अध्यापकों की अदला बदली के बारे में सिफारिशों के बारे में यह सुझाव दिया गया कि इन सुझावों को प्रभावोत्पादक बनाने के लिये अध्यापकों को दीर्घकाल के लिये विश्वविद्यालयों के काम करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये और ऐसे मामलों में उन को आकस्मिक व्यय देना चाहिये।

कोयला धोने के कारखानों का निर्माण

†*३५३. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयला धोने के कितने कारखाने निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाओं में हैं ; और

(ख) उन में से कितनों में निर्माण-कार्य लक्ष्य के मुताबिक चल रहा है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) तीन कोयला धोने के कारखाने एक दुगड़ा में, एक भोजूडीह में और पाथेरडीह में ?

(ख) दुगड़ा कोयला धोने का कारखाना जो १९६१ के आरम्भ में तैयार हो गया था अब आशा है कि दिसम्बर, १९६१ में चालू हो जायेगा। आशा है कि भोजूडीह का कोयला धोने का कारखाना ठेके के अनुसार चालू हो जायेगा। पाथेरडीह कोयला धोने के कारखाने का ठेका सन् १९६१ में दिया गया था और ठेके की शर्तों के अनुसार आशा है कि यह कारखाना १९६३ की तीसरी चौथोई में उत्पादन आरम्भ कर देगा। यह भी उल्लेखनीय है कि करगली का कोयला धोने का कारखाना चाल हो गया है।

विश्वविद्यालयों के कर्त्तव्यों और अधिकारों का अतिक्रमण

†*३५४. **श्री हेम बरुआ :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अभी हाल में मद्रास में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा लगाये गये उन कुछ आरोपों की ओर दिलाया गया है जिन में विश्वविद्यालयों के मान्यता-प्राप्त कर्तव्यों और अधिकारों का शिक्षणोत्तर निकायों द्वारा अतिक्रमण की प्रवृत्तियों की निन्दा की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन आरोपों के सम्बन्ध में कोइ जांच की गयी है और इस बात की ओर ध्यान देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि इस प्रकार का 'अतिक्रमण' सभी प्रकार से रोका जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) मामले पर अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

†*३५५. { **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या निर्णय के सभी उपबन्ध कार्यान्वित किये जा चुके हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

(घ) जो उपबन्ध अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं वे किस प्रकार के हैं ; और

(ड़) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) से (ड़). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

न्यायाधिकरण का पंचाट सरकार ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश दे दिये गये थे कि कम से कम विलम्ब से इन को लागू कर दे। वेतन निर्धारण में तथा बकाया के भुगतान में विलम्ब न होने देने के लिये स्थानीय अधिकारियों को परामर्श दिया गया कि वेतन निर्धारण के प्रोफोर्मा की बाद में लेखापरीक्षा के स्थान पर पहले लेखापरीक्षा करा ली जाये। भारत के सभी छावनी बोर्डों के कर्मचारियों को अब पुनरीक्षित वेतनक्रम के अनुसार वेतन मिल रहा है। भविष्य निधि में बढ़ी हुई दरों पर अंशदान का लाभ भी कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६० से दिया जा हा है जिससे उसको कर्मचारियों के भाग के अनुसार बना दिया जाये।

पंचाट के कुछ उपबन्धों की क्रियान्विति के कारण छावनी कर्मचारी निधि नियम, १९३७ तथा छावनी अधिनियम, १९२४ में संशोधन करने की आवश्यकता हुई। नियमों में संशोधन करने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और छावनी अधिनियम, १९२४ में संशोधन तभी किये जायेंगे जब सरकार के विचाराधीन अन्य विस्तृत संशोधनों को इसमें किया जायेगा। जिन उपबन्धों की क्रियान्विति नहीं हो सकी वह इस प्रकार है :—

(क) छावनी निधि कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की भरती, पदोन्नति आदि और अधीक्षण कर्मचारियों तथा विभागीय अध्यक्षों का राज्य/कमान के अन्तर्गत स्थानान्तरण।

(ख) चिकित्सा सुविधायें ;

(ग) अन्य आनुषंगिक संशोधन और प्रशासनिक कठिनाइयां दूर करने के लिये संशोधन।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का पुनर्वास

†*३५६. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में भूमि सम्बन्धी कानून से सेवामुक्त सैनिक कर्मचारियों को इस कारण बहुत अधिक नुक्सान हुआ है कि वे अपनी जमीनें काश्तकारों से खेती के लिये वापिस नहीं ले सकते ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेना के लिए अच्छे लोग मिलने में यही मुख्य अड़चन है ; और

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को सेवामुक्त होने के बाद खुद खेती करने के लिये जमीन दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) यह सच है कि पंजाब में भूमि संबंधी कानून से सेवामुक्त सैनिक कर्मचारियों को इस कारण बहुत अधिक नुकसान हुआ है कि वे अपनी जमीनें काश्तकारों से वापिस नहीं ले सकते ।

(ख) पंजाब से पर्याप्त संख्या में सैनिक मिलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

(ग) योजना आयोग ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के कहने पर पंजाब सरकार से सिफारिश की है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये पंजाब सरकार से सिफारिश करें कि वह भूमि कानून में संशोधन कर दें । उस सरकार से अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अश्लील सिनेमा पोस्टर

*३५७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि अभी तक कोई निश्चय नहीं हो पाया है, तो कब तक इस बारे में निश्चय हो जाने की आशा की जाती है ?

गृह-कार्य उप-मंत्री (श्री मती आल्वा) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है तथा निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की आशा है ।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

†*३५८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात तेल शोधक कारखाना परियोजना के सम्बन्ध में रूसी सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी, उस का क्या नतीजा निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : बातचीत अभी भी जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला लाना ले जाना

†*३५९. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला लाने ले जाने के ढांचे में किसी आमूल परिवर्तन पर चर्चा करने के लिये अभी हाल में दिल्ली में एक उच्चस्तरीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस में क्या-क्या निर्णय किये गये ;

(घ) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६१ के महीने में कोयले और सौफ्ट-कोक का दाम बढ़ गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो कीमतों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). १३ तथा १४ सितम्बर, १९६१ को एक कोयला सम्मेलन बुलाया गया था। अन्य बातों के साथ साथ कोयले के लदान तथा इस लदान में शीघ्रता करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में भी बातचीत हुई थी। यह कार्यवाही निम्न है :—तटीय नौवहन के द्वारा कोयले के लदान की योजना ; कोयले के भांडारों का निर्माण, सड़क द्वारा कोयले का उदारता से लदान ; रेलों का आयोजित आवागमन, और तेल का उपयोग करने वाले कुछ उद्योगों की संभावना की खोज। इन कार्यवाहियों को करना इसलिये आवश्यक हो गया क्योंकि कोयले के लदान की बढ़ती हुई मांग को रेलवे परिवहन क्षमता के द्वारा पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) और (ङ). कोयले तथा सोफ्ट-कोक के मूल्य अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ और कोयला खान नियंत्रण आदेश, १९४५ द्वारा नियंत्रित हैं। सरकार को मालूम नहीं है कि अक्तूबर १९६१ के महीने में नियंत्रित मूल्यों से अधिक मूल्य लिये गये हैं।

सशस्त्र सेना पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति-आयु में वृद्धि

†*३६०. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार शस्त्र सेना के पदाधिकारियों के सेवा विस्तार की अवधि निर्धारित सेवानिवृत्ति-आयु से और आगे बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं। आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु सेना के विशेष सूची अधिकारियों की आयु में वृद्धि की स्वीकृति हाल में ही की गई है।

(ख) मास्टर्स-एट-आर्म्स के अतिरिक्त अन्य सभी विशेष सूची के अधिकारियों की सेवावृत्ति आयु ५२ से बढ़ा कर ५५ वर्ष कर दी गई है। मास्टर्स-एट-आर्म्स की आयु ५० से ५३ वर्ष कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अशोधित तेल का उत्पादन

†*३६१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सामान के सम्भरण और अन्य प्रबन्धात्मक समस्याओं के विषय में, जोकि अशोधित तेल के उत्पादन कार्यक्रम में पैदा हुई है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) यंत्रों के संभरण की अनुसूची में कुछ विलम्ब हुआ है । उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में संगठन की समस्याओं में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) रूसी अधिकारियों से यंत्रों का संभरण करने में शीघ्रता करने का अनुरोध किया गया है ।

तेल खोज कार्यक्रम

†*३६२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ और २२ सितम्बर, १९६१ को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की एक-दो दिन की बैठक देहरादून में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तेल खोज कार्यक्रम के भविष्य के बारे में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम प्रगति के आधार पर तीसरी योजनावधि में कार्यक्रम पर आयोग ने विचार कर लिया है जिस से काम में शीघ्रता लाई जाये और सरकार के विचारार्थ सिफारिशें भेजी हैं ।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना में हड़ताल

†*३६३. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात, परियोजना के ड्राइवरों ने १८ सितम्बर, १९६१ को हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) दुर्गापुर इस्पात उप-नगर के बाहर स्थानीय बाज़ार में बाहरी आदमी से झगड़ा हो जाने के कारण १८ सितम्बर, १९६१ की प्रातः परियोजना परिवहन का एक ड्राइवर मर गया था । इस के कारण ड्राइवरों में पर्याप्त उत्तेजना फैल गई थी और उन्होंने काम करना बन्द कर दिया था । १९ की शाम से उन्होंने पुनः काम करना आरम्भ कर दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पश्चिम भारत में गैस क्षेत्र

†*३६४. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पश्चिम भारत में किन्हीं गैस-क्षेत्रों की वाणिज्यिक संभावना सिद्ध हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आम चुनाव

†*३६५. **श्री हेम राज :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समाचार में क्या सचाई है कि १९६२ में लेखानुदान पहले की तरह पुरानी संसद् से न करा कर नई चुनी हुई संसद् से मार्च, १९६२ में पारित कराने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि नये राष्ट्रपति का चुनाव उस समय तक नहीं हो चुका होगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस समय तक हिमाच्छादित क्षेत्रों में चुनाव समाप्त नहीं हो सकेंगे और उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदन में नहीं बैठ सकेंगे ;

(घ) सरकार का इस विषय में कब तक निर्णय करने का विचार है ; और

(ङ) तीसरे आम चुनावों के लिये कब तक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है ?

†**विधि उप-मंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) से (ङ). २३ नवम्बर, १९६१ को प्रधान मंत्री ने आगामी आम चुनावों के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत वक्तव्य दिया था । वक्तव्य की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय द्वारा सदस्यों में परिचालित कर दी गई हैं ।

विश्व बैंक दल का प्रतिवेदन

†५९८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पूंजी विपणन विकास का अध्ययन करने के लिये भारत का दौरा करने वाले विश्व बैंक दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) दल का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

साहित्य अकादमी

†५९९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी को इस के आरम्भ से भारत सरकार द्वारा कितनी रकम की वित्तीय सहायता दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उपरोक्त सहायता के खर्च करने पर सरकार का कोई नियन्त्रण है; और

(ग) यदि हां, तो यह रकम किस प्रकार व्यय की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ३०,८१,३१५ रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध अकादमी के वार्षिक प्रतिवेदन में जानकारी दी गई है।

"वन्डर वर्ल्ड ऑफ साइन्स"

†६००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "वन्डर वर्ल्ड आफ साइन्स" के हिन्दी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में नौ खण्डों के प्रकाशन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : **खंड १** : हिन्दी, बंगला, मराठी तथा तमिल भाषा में संस्करण सरकार की वित्तीय सहायता से प्रकाशित हो चुके हैं ।

तेलग, गुजराती, मलयालम, उड़िया और उर्दू में संस्करण प्रकाशित करने के लिये समझौता हुआ है और आशा है कि प्रकाशक दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक में बिक्री के लिये दे देंगे ।

खंड २ :

हिन्दी, बंगला, मराठी और तमिल के संस्करणों के बारे में समझौता हुआ है । आशा है कि प्रकाशक उसको जनवरी १९६२ में बिक्री के लिये दे देंगे ।

खंड ३ :

हिन्दी, बंगला, मराठी तथा तमिल के संस्करण निकालने के लिये प्रकाशकों से समझौता हुआ है । आशा है कि प्रकाशक उसको फरवरी १९६२ के अन्त तक बिक्री के लिये दे देंगे ।

खण्ड २ तथा ३ के अन्य भाषाओं के संस्करण तथा शेष खण्डों के अनुवाद के बारे में बाद में काम किया जायेगा ।

महिलाओं के लिये पालीटेक्नीक

†६०१. **श्री नरेन्द्र बहादुर सिंहजो** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केवल महिलाओं के लिये स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित २४ पालीटैक्निकों के स्थान के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के क्या नाम हैं; और

(ग) ये पालीटैक्नीक कब स्थापित किये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). राज्यों की पुनरीक्षित योजना में महिलाओं के लिये २६ पालीटैक्नीक की व्यवस्था है जिसमें से काकिनाडा, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में चार में इस वर्ष कार्य आरम्भ हो गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारें इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं कि बाकी कब और कहां चालू किये जायें।

दिल्ली में हत्यायें

†६०२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६१ से अक्तूबर, १९६१ तक के महीनों में दिल्ली में कितनी हत्यायें की गयीं; और

(ख) उनके क्या कारण थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) ३२।

(ख)

(१) पुरानी शत्रुता . .	७
(२) किराया-मकान मालिक झगड़ा	१
(३) अचानक लड़ाई .	६
(४) यौन सम्बन्धी मामले	५
(५) धन के ऊपर झगड़ा	६
(६) कारण जिनका पता नहीं	७
कुल	३२

इस्पात का उत्पादन

†६०३. **श्री पांगरकर :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक की अवधि में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष १९६० में इतनी ही अवधि में उत्पादन से इसकी क्या तुलना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) इस अवधि में तैयार इस्पात का उत्पादन ९७७,३०० मीटरिक टन रहा।

(ख) वर्ष १९६० में इतनी ही अवधि में उत्पादन ७१९,७०० मीटरिक टन था, अतः उत्पादन में ३५ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र के लिये इस्पात का आवंटन

†६०४. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अपने इस्पात के वार्षिक अभ्यंश में वृद्धि के लिये अनुरोध किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस्पात की कितनी मात्रा मांगी है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां। अब इस्पात के आवंटन की अभ्यंश पद्धति केवल चादरों (१४ गेज से पतली) तार, घेरे और टीन की चादरों पर लागू है। इनके अलावा अन्य वस्तुओं के लिये उपभोक्ता और स्टाकिस्ट अपनी आवश्यकताओं के लिये बिना किसी अभ्यंश सर्टिफिकेट के इन्डेन्ट भेज सकते हैं। छट दी गयी श्रेणियों की मांग / इन्डेन्ट पूर्ण रूप से पूरी की जाती हैं।

(ख) और (ग). राज्यों के अभ्यंश की मांग केवल चादरों और तारों के लिये प्राप्त होती है और उन्हीं का आवंटन किया जाता है। महाराष्ट्र की मांग और उनको आवंटन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(मीटरिक टनों में)

	मांग	आवंटन
वर्ष १९६०–६१ की दूसरी छमाही	५१,९२४	२६,१७९
वर्ष १९६१–६२ कप्रथ छमाही	५०,३९८	२२,३१६
वर्ष १९६१–६२ की दूसरी छमाही	५८,५४८	अभी नहीं किया गया

अन्य राज्यों की तरह मांग को पूर्व रूप से पूरी करना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रतिबन्धित श्रेणियों की उपलब्धता कुल मांग से कम है।

हिन्दू सम्मेलन

†६०५. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, १९६१ में दिल्ली में हुए हिन्दू सम्मेलन के प्रस्तावों को देखा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कर्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित हिन्दू सम्मेलन की कार्यवाहियों की रिपोर्ट पढ़ी है।

(ख) प्रस्तावों में निर्दिष्ट विभिन्न मामलों पर सरकार की नीति स्पष्ट है और सरकार अनुसरण करेगी।

डिप्लोमा तथा डिग्री होल्डरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये वृत्तिकाएं

†६०६. **श्री चुनी लाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में विभिन्न प्रविधिक संस्थाओं के डिप्लोमा और डिग्री होल्डरों में से व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये वृत्तिकाओं के लिये छात्रों का कब ओर किस आधार पर चयन करती है; और

(ख) उनको प्रशिक्षण कहां पर और कितने समय तक दिया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना के अधीन विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

दोनों औद्योगिक संस्थापनों में या तो मन्त्रालय के प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा या स्वयं मन्त्रालय द्वारा सुविधायें प्राप्त की जाती हैं। ये सुविधायें दो श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं।

(१) प्रादेशिक सुविधायें जो सभी प्रदेशों में उपलब्ध हैं; और

(२) अखिल-भारत सुविधायें—विशेष प्रकार की सुविधायें जो सभी प्रदेशों में उपलब्ध नहीं हैं।

इन दोनों श्रेणियों के लिये अभ्यर्थियों का चयन जुलाई और सितम्बर में विभिन्न संस्थाओं के परिणाम प्रकाशित होने के बाद किया जाता है।

प्रत्येक प्रदेश में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये सम्बन्धित प्रादेशिक समितियों द्वारा नियुक्त की गयी विशेष चयन समिति है और चयन संस्थाओं के मुखियाओं की सिफारिश पर केवल गुणों के आधार पर किया जाता है।

प्रादेशिक सुविधाओं के लिये प्रदेश में स्थित संस्थाओं से उपलब्ध अभ्यर्थियों में से चयन किया जाता है और अखिल भारत सुविधाओं के लिये चयन प्रदेश में जहां विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं, विशेष चयन समिति द्वारा अखिल भारत आधार पर किया जाता है।

प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः एक से दो वर्ष है।

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिए ऋण सुविधायें

†६०७. **श्री न० म० देव :**
श्री वारियर :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पातखान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी रूरकेला संयंत्र के लिये ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने को राजी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की क्या शर्तें हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान वित्त मन्त्री महोदय द्वारा २२ अगस्त १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१० उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है। उस विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

मंत्रियों का दौरा

†६०८. **श्री सुगन्धि** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर और नवम्बर, १९६१ में अभी तक मंत्रि-परिषद् के किसी मंत्री, राज्य-मंत्री और उपमंत्रियों ने मैसूर राज्य का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) प्रत्येक ने इन दौरों पर अपने लिये और कर्मचारियों के लिये कितना यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"ख" श्रेणी के नगर

६०९. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कबाल नगरों में से किन-किन को 'ख' श्रेणी के नगर घोषित किया गया है ;

(ख) क्या इलाहाबाद को 'ख' श्रेणी का नगर घोषित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कानपुर, आगरा, बनारस (वाराणसी) और लखनऊ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कारण यही है कि १९६१ की जन-गणना के अनन्तिम (प्राविजनल) आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद की आबादी ५ लाख से ज्यादा नहीं है और यही सीमा किसी नगर को 'ख' श्रेणी का नगर घोषित करने के लिए निर्धारित की गयी है।

अखिल भारत पुलिस साइन्स कांग्रेस

†६१०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सब भागों से अपराध वेत्ता बम्बई में पिछले सितम्बर में अखिल भारत पुलिस साइंस कांग्रेस में मिले थ ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गयी ;

(ग) क्या कांग्रेस ने सरकार के विचारार्थ कोई सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस सिफारिश की प्रमुख बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सितम्बर, १९६१ में बम्बई में हुई "पुलिस साइंस कांग्रेस" में जिसमें पुलिस पदाधिकारियों, कानून विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और जन-प्रतिनिधियों ने भाग लिया, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गयी :

(१) पुलिस के कार्य में वैज्ञानिक तरीके

(२) आपराधिक नियम

(३) अपराध और आपराधिक रिकार्ड का संगठन

(४) अपराध रोकने का संगठन

(५) पुलिस प्रशासन की समस्या

---

† मूल अंग्रेजी में

(६) यातयात नियंत्रण

(७) ग्राम्य क्षेत्रों में पुलिस रखना

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अधिवक्ताओं के नाम लिखने के लिये स्टाम्प शुल्क

†६११. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **विधि** मंत्री ६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में अधिवक्ताओं के नाम लिखने के लिये स्टाम्प शुल्क समान करने के लिये उठाये गये कदमों का क्या परिणाम निकला ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने जून, १९६० में श्रीनगर सम्मेलन में किये गये निर्णय को, कि दोनों फीसें ५०० रुपये से अधिक न हों, क्रियान्वित कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जून, १९६० में श्रीनगर में हुए विधि मंत्री सम्मेलन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला किया है और उन्होंने बताया है कि इस कार्य के लिये आवश्यक विधान बनाने के लिये बहुत जल्दी कार्यवाही की जावेगी । मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि उन्होंने अधिवक्ता के लिये नाम लिखने की फीस ८३३ पये ५ आने से घटा कर ६२५ रुपये कर दी है और जिन व्यक्तियों के नाम अधिवक्ता के रूप में १ नवम्बर, १९५६ से पूर्व लिखे गये थे उनकी फीस सारी वापस कर दी गयी है । उन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक निधि को ध्यान में रखते हुए स्टाम्प शुल्क में और कमी करने में असमर्थता प्रकट की है । उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वे उच्च न्यायालय के रजिस्टर में अधिवक्ताओं का नाम लिखने के लिये दिये जाने वाले शुल्क में कोई कमी करने की स्थिति में नहीं है । महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि क्योंकि उन्हें तृतीय पचवर्षीय योजना के लिये धन जुटाने में कठिनाई पड़ रही है, वे स्टाम्प शुल्क में कमी करना या उसको वापस करना नहीं चाहते; उड़ीसा सरकार ने अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा ५० की ओर निदेश करते हुए कहा है कि उसके उपबन्धों के अनुसार भारतीय विधि-व्यवसायी परिषद् अधिनियम, १९२६ की धारा ८ का, जिसमें पंजीयन से पूर्व स्टाम्प शुल्क देने की व्यवस्था है, उस तिथि से स्वयं निरसन हो जायेगा जब से उस अधिनियम का तीसरा चैप्टर लागू होगा और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार स्टाम्प अधिनियम के अनुसरण में पंजीयन के समय स्टाम्प शुल्क देने का प्रश्न नहीं उठेगा । पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ का निर्देश किया है और कहा है कि उस अधिनियम के लागू होने से स्टाम्प अधिनियम के उपबन्धों का निरसन हो जाता है और अब अधिवक्ता के रूप में नाम लिखाने के लिये कोई स्टाम्प शुल्क देने की आवश्यकता नहीं । बाकी राज्य सरकारों ने बताया है कि वे अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम में पहाड़ी आदिम जातियों के लिये आयोग

†६१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम में पहाड़ी आदिम जातियों को स्वायत्तता प्रदान करने के प्रश्न का जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : अभी तक ऐसें आयोग की नियुक्ति के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

बैंकों का पुनर्गठन

†६१३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों के पुनर्गठन के बारे में बैंक संघ की उप-समिति की रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अभी सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बीकानेर डिवीजन में पुरातत्वीय खुदाई

†६१४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर डिवीज़न में वर्ष १९६१-६२ के लिये खुदाई के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक, अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां

(ख) काली बनगान में खुदाई जारी रहेगी ।

गोंडल नरेश

†६१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत गोंडल के भूतपूर्व नरेश की गिरफ्तारी के बारे में जांच पड़ताल सम्बन्धी रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने निर्णय किया है कि मामले की परिस्थितियों से सरकारी रहस्य अधि नियम के अधीन महामहिम गोंडल नरेश की गिरफ्तारी का औचित्य नजर नहीं आता ।

हिमाचल प्रदेश का ठेकेदार

†६१६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक-निर्माण विभाग के पदाधिकारियों द्वारा जारी किये गये क्रेडिट नोटों को जाली बनाने और इस प्रकार अधिकारियों से १७,००० रुपये के स्थान पर २,५०,००० रुपये निकालने के लिये ठेकेदार के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में जांच पड़ताल कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित मामले

†६१७. {श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित लम्बित मुकदमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) १ जनवरी, १९६० के पश्चात् अभी तक लम्बित मामलों की कुल कितनी संख्या है ; और

(ग) १ जनवरी, १९६१ से अभी तक कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये हैं और निर्णय हो गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) यह स्पष्ट नहीं है कि किन लम्बित मामलों की ओर निर्देश किया गया है। विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज होते रहते हैं और एक निश्चित समय तक लम्बित सब मामलों पर एक साथ ही अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है। फिर इन मामलों का स्वरूप ही ऐसा है कि उनकी समुचित जांच और कार्यवाही के लिये समय चाहिये। नियमों को लागू करने वाले निदेशक द्वारा भरसक यह प्रयत्न किया जाता है कि लम्बित मामलों पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय किया जाय ।

(ख) १ नवम्बर, १९६१ को प्रवर्तन निदेशक के पास २९६ मामले १ जनवरी, १९६० के पश्चात् लम्बित थे ।

(ग) १ जनवरी, १९६१ से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक प्रवर्तन निदेशक के पास ३२९ मामले निर्णीत किये जा चुके हैं। इस अवधि में प्रवर्तन निदेशक द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक कर्मचारी

†६१८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिये नियुक्त शंकर कमिटी की विभिन्न सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये अन्तिम कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस समिति को क्या क्या सिफारिशें हैं ; और

(घ) यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** :(क) से (ग). द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के दौरान यात्रा रियायतें सम्बन्धी सिफारिश पर विचार किया गया है और औद्योगिक या गैर औद्योगिक कर्मचारियों में भेदभाव मिटाने के लिये सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं। कमिटी को, सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की इन श्रेणियों में सामाजिक विषमता दूर करने के लिये भी सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं।

चिकित्सा छुट्टी, प्रसूतिकाल छुट्टी, विशेष छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी सम्बन्धी सिफारिशों की भी द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को दृष्टिगत करते हुए जांच की गई है और प्रतिरक्षा कर्मचारियों के सम्बन्ध में शीघ्र ही सरकारी आदेश जारी कर दिये जायेंगे। अभी अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं और समय से पूर्व यह सूचना नहीं बताई जा सकती है।

(घ) यह रिपोर्ट २० अगस्त, १९५८ को प्रस्तुत की गई थी।

इस्पात उत्पादन की लागत

†६१९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलई, रूरकेला और दुर्गापुर के तीन इस्पात कारखानों में उत्पादन लागत समान है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इनमें कितना अन्तर है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्थित तीन इस्पात कारखाने अभी उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में हैं। कारखानों में उत्पादन कुछ समय तक पूर्णतः चलने के बाद ही उत्पादन लागत का यथार्थ तुलनात्मक लेखा मालूम किया जा सकता है।

पलाई और लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान

†६२०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई और लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को अदायगी कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) पलाई सेन्ट्रल बैंक के कुल ७६,६८६ खातेदारों में से ६१,६५० खातेदारों में १५ नवम्बर, १९६१ तक २५० रुपये के वरीयता लाभांश के रूप में अथवा उनके खाते में जमा रकम जो भी राशि कम हो, ७३,०६,९३७ रुपये के कुल मूल्य के चैक प्राप्त हो गये हैं। ११ नवम्बर १९६१ तक लक्ष्मी बैंक के १७,५३८ में से ८,३०७ बचत बैंक खातेदारों को चैक और मनीआर्डर के रूप में १०,२५,६५९ रुपये की अदायगी की जा चुकी है।

(ख) इसमें विलम्ब के मुख्य कारण हैं--पलाई सेन्ट्रल बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल जिसके फलस्वरूप कुछ समय तक काम में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और लक्ष्मी बैंक के रिकार्ड ढूंढन में कठिनाई एवं बैंक के खातेदारों की रकम की पुष्टिकरण है। फिर भी बैंक के सरकारी समापक यथासंभव शीघ्र भुगतान करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उड़ीसा में कोयले के भंडार

†६२१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोयले की कमी के बारे में भारत सरकार के कोयला नियंत्रक और उड़ीसा सरकार के बीच चर्चा हुई थी ;

(ख) क्या उड़ीसा में चार स्थानों पर कोयले का भंडार स्थापित करने का निर्णय किया गया है जहां रेलवे द्वारा कोयला संग्रहीत किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों का चुनाव किया गया है ; और

(घ) इन स्थानों में कुल कितना कोयला एकत्रित किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : : (क) जी हां। उड़ीसा राज्य में कोयला और कोक की सप्लाई के प्रश्न, उस राज्य में कोयले को एकत्र करने की ओर विशेष रूप से निर्दिष्ट करते हुए, पर उड़ीसा सरकार और कोयला नियंत्रक के बीच सितम्बर, १९६१ में चर्चा हुई थी।

(ख) से (घ). उड़ीसा सरकार ने प्रयोगात्मक रूप से कटक, झारसुगुडा, बरहामपुर और बालासोर में कोयले का भंडार स्थापित करने का निर्णय किया गया है। चूंकि अभी कोयले के भंडार स्थापित नहीं हुए हैं अभी यह बताना संभवन नहीं है कि इन में से प्रत्येक स्थान पर कितनी मात्रा में कोयला एकत्र किया जायेगा।

राज्यों में अधिकारी

†६२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलक्टर के पद अथवा इनके समक्ष अथवा उच्च पदों पर राज्य सेवा और संवर्ग के अधिकारी काम कर रहे हैं ;

(ख) इन पदों की संख्या और स्वरूप क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). सामान्यतया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलक्टर और अन्य प्रशासनिक पद जो भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग में सम्मिलित हैं, पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी काम कर रहे हैं। किन्तु यदि उपयुक्त संवर्ग अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो राज्य सिविल सर्विस और राज्य सेवा अधिकारियों को भारतीय

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, १९५४ में सन्निहित उपबन्धों के अनुसार इन पदों पर काम करने की अनुमति दे दी जाती है। भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों में राज्य सिविल सर्विस/राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों में संवर्ग पदों पर आसीन व्यक्तियों की संख्या ३० जून, १९६१ तक ११० थे।

हिन्दी सीखने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

†६२३. **श्री प्र० गं० देव:**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
डा० राम सुभग सिंह:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक हिन्दी शिक्षण पूर्ण कर लिया है ; और

(ख) इस व्यवस्था पर अभी तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ७८,८२० कर्मचारी हिन्दी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हुए थे, इसमें हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी भी शामिल है। ३१,१२० कर्मचारियों ने निर्धारित परीक्षाएं पास कर ली हैं।

(ख) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ तक ३८,९८,२२३ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

पाकिस्तानीयों की गिरफ्तारी

†६२४. **श्री दी० चं० शर्मा:** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी में यात्रा करने वाले दो पाकिस्तानी अम्बाला स्टेशन पर ८ सितम्बर, १९६१ को यात्रा नियमों का उल्लंघन करने के लिये विदेशी अधि-नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

कोयला उत्पादन में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता

†६२५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रामम् :
श्री त० ब० विट्ठल राव:

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला उत्पादन कार्यक्रम में सहायता करने के लिये कितने विदेशी विशेषज्ञ इस समय काम कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निगम के कोयला उत्पादन कार्यक्रम में तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि में काम करने के लिये कितने और विशेषज्ञों के आने की संभावना है तथा वे किन किन देशों से आयेंगे ; और

(ग) उनकी सेवाओं की शर्तें एवं अवस्थाएं क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) वर्तमान में तीन पश्चिम जर्मन विशेषज्ञ, एक ब्रिटिश विशेषज्ञ और एक टी० सी० एम० विशेषज्ञ हैं जो कोयला उत्पादन कार्यक्रम में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सहायता कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) टी० सी० एम० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से और भारत फ्रांसीसी टेक्नीकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन फ्रांस से और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन से और विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे । रूस और पोलैंड से भी इन देशों के साथ किये गये ऋण समझौते के अधीन विकास योजनाओं पर काम करने के लिये कुछ विशेषज्ञ आयेंगे । प्रत्येक योजना की आवश्यकता पर ही विशेषज्ञों की निश्चित संख्या निर्भर करती है और बातचीत के आधार पर यह बात तय की जायेगी ।

जिन शर्तों और अवस्थाओं के अन्तर्गत यह विशेषज्ञ आयेंगे वे उन देशों के साथ किये गये समझौते के अनुसार है और सामान्यतया भारत में स्थानीय लागत को पूरा करने के लिये उपबन्ध स्वरूप ह अर्थात दैनिक भत्ता, आवास, चिकित्सा सुविधाएं और परिवहन ।

स्क्रैप (रद्दी लोहा)

†६२७. **श्री मो० ब० ठाकुर**: क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में जापान के दूतावास के प्रथम सचिव के उस प्रतिवेदन की ओर आकर्षित किया गया है, जो २० मई, १९६१ के "इण्डियन ट्रेड जर्नल" में प्रकाशित हुआ था और जिसमें कहा गया था कि भारतीय स्क्रैप (रद्दी लोहे) का सी० आई० एफ० जापान मूल्य, अमरीकी स्क्रैप के सी० आई० एफ० मूल्य से अधिक है और जापानी खरीदार घटिया किस्म के भारतीय स्क्रैप के मुकाबले बढ़िया किस्म के अमरीकी स्क्रैप को कहीं ज्यादा पसन्द करते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी बताया गया है कि भारतीय स्क्रैप के सी० आई० एफ० मूल्य के अधिक ऊंचे होने का मुख्य कारण भारतीय नौवहन पर लगाया गया निर्यात-उपकर है और भारतीय स्क्रैप को पसन्द न करने का मुख्य कारण यह है कि भारतीय निर्यातकों को घटिया किस्म के स्क्रैप के साथ बढ़िया किस्म का स्क्रैप नहीं मिलाने दिया जाता ; और

(ग) क्या सरकार भारतीय दूतावास के प्रतिवेदन के प्रकाश उपकर हटा कर और घटिया किस्म के स्क्रैप के साथ काफी मात्रा में देर से पिघलने वाला (हैवी मैल्टिंग) स्क्रैप मिलाने की अनुमति देकर भारतीय स्क्रैप के निर्यात को सुविधाओं में वृद्धि नहीं करना चाहती ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय स्क्रैप के निर्यात पर कोई उपकर नहीं है । अच्छी किस्म के स्क्रैप देशीय भट्टियों वाले उपयोग में ले सकते हैं । इसलिये सरकार, देशीय उद्योग को हानि पहुंचा कर, ऐसे स्क्रैप के निर्यात को बढ़ावा देना नहीं चाहती । सरकार ने कुछ समय पहले एक स्क्रैप समिति नियुक्त की थी जिसका प्रतिवेदन कुछ ही दिनों में आ जायेगा । समिति का प्रतिवेदन मिल चुकने के बाद ही सरकार स्क्रैप सम्बन्धी नीति में आवश्यक परिवर्तनों की बात सोचेगी ।

---

†मूल अंग्रजी में

टर्निंगस् और बोरिंग्स

†६२७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९६० और १९६१ के प्रथम छः महीनों में टर्निंगस और बोरिंग्स और कास्ट आइरन बोरिंग्स का कितना एराइजिंग, घरेलू उपभोग और निर्यात हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि स्क्रैप सम्बन्धी जुलाई दिसम्बर, १९६१ की नीति में निश्चित किया गया है कि टर्निंग्स और बोरिंग्स के प्रत्येक निर्यातक को प्रति १०० टन निर्यात के पीछे १० टन हैवी मैल्टिंग स्क्रैप लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा नामजद देशीय भट्टी के मालिक को देनी पड़ेगी ; और

(ग) यदि देशीय भट्टियों के मालिक टर्निंगस और बोरिंग्स का उपभोग कर सकते हैं, तो तो टर्निंग्स और बोरिंग्स के निर्यातकों को हवी मैल्टिंग स्क्रैप के रूप में उपकर देने पर विवश क्यों किया जाता है और टर्निंग्स और बोरिंग्स के निर्यात पर इस उपकर का क्या औचित्य है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) टर्निंग्स और बोरिंग्स और कास्ट आइरन बोरिंग्स के 'एराइजिंग' और उपभोग के आंकड़े सुलभ नहीं हैं । निर्यात सम्बन्धी आंकड़े भी १९५४ से ही उपलब्ध हैं, जो नीचे दिये जा रहे हैं :—

वर्ष	इस्पात टर्निंग्स और बोरिंग्स	कास्ट आइरन बोरिंगस और टर्निंग्स
	(टनों में)	(टनों में)
१९५४	४,२१५	—
१९५५	७,५०५	—
१९५६	९,९५२	—
१९५७	२,०००	—
१९५८	१८,८६४	—
१९५९	३५,०७१	९,०८८
१९६०	४८,४९६	२२,४६६
१९६१ (पूर्वार्द्ध)	३०,४८४	१९,०८६

(ख) जी, हां ।

(ग) देशीय भट्टियों के मालिक तो केवल साफ की हुई बोरिंग्स और टर्निंग्स का ही उपभोग कर सकते हैं । वे जंग खाई हुई बोरिंग्स और टर्निंग्स का उपभोग नहीं करते और उन्हीं का निर्यात किया जाता है । निर्यातक गण देश के विभिन्न भागों से स्क्रैप इकट्ठी करते हैं । इसलिये देशीय भट्टियों के मालिकों को इसी में आसानी रहती है कि वे अपने उपयोग के लायक स्क्रैप सीधे निर्यातकों से ले लें । यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि देश में स्क्रैप का अधिकतम उपयोग किया जा सके ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम

†६२८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी उस मामले पर विचार कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा

†६२९. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या शिक्षा मंत्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

भारत में इंगलैण्ड द्वारा विनियोजन

†६३०. श्री वै० च० मलिक : क्या वित्त मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सराकार ने इंगलैंड द्वारा भारत से कमाये मुनाफे की राशि को यहीं पुनःनि ोजित करने के सम्बन्ध में सूचना संग्रह करने की कोई कोशिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). वास्तव में मुनाफे की रोकी हुई राशि और पुनः नियोजित राशि में कोई भेद नहीं है । इसलिये मुनाफे की रोकी हुई राशि के सम्बन्ध में ९ अगस्त, १९६१ को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या २४५ के भाग (ग) के उत्तर में जो सूचना ी गई थी, पुनः नियोजन के सम्बन्ध में भी वही लागू होती है ।

सट्टे पर प्रतिबन्ध

†६३१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों के सभापतियों का एक सम्मेलन सट्टे की रोक थाम के लिये की जाने वाली कार्यवाहियों पर चर्चा करने के लिये बम्बई में हुआ था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं; और

(ग) उन उपायों को अपनाने की दिशा में अभी तक क्या प्रगति की गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ?

विवरण

गत सितम्बर में बम्बई में देश के विभिन्न मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सभापतियों के सम्मेलन में, वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार सट्टा बाजार की आन्तरिक स्वायत्तता में तब तक कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहती जब तक कि वे स्वयं सट्टे की अति को रोकने के लिये कारगर उपाय निकालने की सोच रहे हैं। सम्मेलन में यह तय हुआ कि विभिन्न मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सभापतियों की एक स्थायी समिति गठित की जाये, जिसका संयोजक वित्त मंत्रालय स्टाक एक्सचेंज डिवीजन का उपसचिव हो। वह स्थायी समिति सट्टा बाजार के विनियमनों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे।

स्टाक एक्सचेंज के सभापतियों की समिति की पहली बैठक ४ अक्तूबर, १९६१ को बम्बई में हुई थी। समिति ने सीमान्तों की एक व्यवस्था का अनुमोदन किया था, जिस के अन्तर्गत हर निबटारे के बाद शेष रहने वाले प्रत्येक सदस्य के व्यवसाय पर २ से ३ प्रतिशत तक की क्रमिक दरों पर सीमान्त-निक्षेप रोपित किये जायेंगे और जब भी किसी शेयर के मूल्य में पिछले हिसाब के समय निर्धारित मूल्य से १० प्रतिशत या उस से अधिक घटा बढ़ी हो, या पिछले हिसाब से पहले के हिसाब के समय के निर्धारित मूल्य से १५ प्रतिशत या उस से अधिक घटा-बढ़ी हो, तब प्रत्येक सदस्य के शेष सौदे पर मूल्यान्तर के आधे के बराबर सीमान्त-निक्षेप अदा किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत, सदस्य को अपने ग्राहकों से निक्षेप की राशि जमा करने के लिये कहने का अधिकार होगा। अपने आप निश्चित हो जाने वाले सीमान्तों की इस योजना का लाभ यह है कि वह मूल्यों की एकाएक घटा-बढ़ी के समय तुरन्त प्रवर्तित हो जायेगी। यह योजना शीघ्र ही सभी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों पर प्रभावी हो जायेगी।

न्यायालय के अवमान सम्बन्धी विधि का संशोधन

†६३२. **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालय के अवमान से सम्बन्धित विधि के संशोधन के बारे में सुझाव देने के लिये कोई विभागीय समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति का गठन किस प्रकार का है; और

(ग) उसके ठीक ठीक पद-निर्देश क्या हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार का है :—

(१) श्री एच० एन० सान्याल,
अतिरिक्त महाभ्यर्थी, सभापति

†मूल अंग्रेजी में

(२) डा० वामन शियोदास वालिगे, संसद् सदस्य — सदस्य

(३) श्री जी० आर० राजगोपाल, विधि मंत्रालय के विधान विभाग के विधि आयोग के विशेष सचिव और सदस्य — सदस्य

(४) श्री एल० एम० नदकर्णी, गृह-कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव — सदस्य-सचिव

(५) श्री एच० सी डेगा, विधि मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और वैधानिक सलाहकार — सदस्य-सचिव

(ग) समिति के पद-नि र्देश निम्नलिखित हैं :—

(१) न्यायालयों के अवमान सम्बन्धी विधि की सामान्य रूप से, और अवमान की परिभाषा सम्बन्धी विधि और उसके दण्ड सम्बन्धी विधि की विशेष रूप से परीक्षा करना;

(२) आवश्यक स्थलों पर विधि को स्पष्ट बनाने और उस का सुधार करने की दृष्टि से संशोधनों के सुझाव देना; और

(३) समिति द्वारा की गई परीक्षा के आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने के लिये सिफारिशें करना ।

पंजाब में नाट्य–संगठनों को सहायता

†६३३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में अभी तक पंजाब के नाट्य-संगठनों को कोई सहायता दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो किस को, कितनी सहायता दी गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां । भारतीय सांस्कृतिक संस्था, अमृतसर को ९८० रुपये ।

दुर्गापुर में एक्सिल्स और ह्वील्स का उत्पादन

†६३४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में एक्सिलों (धुरियों) और ह्वीलों (पहियों) के उत्पादन में क्या प्रगति हुई और उस से भारतीय रेलवेज की आवश्यकताओं की पूर्ति कहां तक होगी; और

(ख) इस क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). दुर्गापुर में ह्वील और एक्सिल्स के कारखाने में इसी महीने में परीक्षण के तौर पर अपना उत्पादन आरम्भ किया है और

---

†मूल अंग्रेजी में

आशा है कि मार्च, १९६२ के आस पास वह ह्वील्स सैटों का उत्पादन नियमित रूप से आरम्भ कर देगा। कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता ४५,००० ह्वील सैट प्रति वर्ष होगी, जिसे प्रति वर्ष ७५,००० ह्वील सैट तक बढ़ाने का विचार है। आशा है कि दुर्गापुर का विस्तारित ह्वील्स और एक्सिल्स के कारखाने और जमशेदपुर के टिस्को कारखाने का उत्पादन मिल कर भारतीय रेलवेज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा।

पंजाब में कलाकारों और साहित्यकों को सहायता

†६३५. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में आर्थिक रूप से तंग कलाकारों और लेखकों या उन के परिवारों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत कितने कलाकारों और साहित्यकों को सहायता दी जा रही है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर):** (क) तीन।

(ख) पंजाब से चार।

पंजाब के लिये कोयला

†६३६. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९६० के आवंटन के आधार कोयले का कोटा निर्धारित करने के विरुद्ध प्रतिनिधित्व किया है, क्योंकि १९६० में परिवहन के गतिरोध के कारण, जिस में राज्य सरकार का अपना कोई दोष नहीं था, पंजाब को कम कोयला मिला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य में कोयले की कमी के कारण उद्योगों के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) (ख) और (ग) अन्य राज्य सरकारों की भांति, पंजाब सरकार ने भी कोयले की कमी और उसके उद्योगों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के सम्बन्ध में शिकायत की है। सरकार ने उस के बारे में निम्नलिखित उपाय किये हैं जिन के फलस्वरूप पंजाब सहित, विभिन्न राज्यों को अधिक कोयला पहुंचने की आशा है :—

(१) बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों से दक्षिणी और पश्चिमी भारत के तटीय राज्यों को रेल और समुद्री मार्गों द्वारा कोयला भेजना। मंशा यह है कि इस प्रकार, जहाजों में स्थान मिलने पर, कुल २० लाख टन कोयला भेजा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) कम दूरी के स्थानों पर सड़क द्वारा कोयला भेजना ।

(३) सभी कोयला खानों में सात-दिवसीय लदान लागू करना ।

(४) उपयुक्त उपभोग-केन्द्रों में कोयले के भंडार रखना । पंजाब में दो स्थानों पर ऐसे केन्द्र बनाये जा चुके हैं ।

(५) जुलाई, १९६१ से मुगलसराय के उत्तर की दिशा के स्टेशनों में परिवहन क्षमता १९०० माल डिब्बों से बढ़ा कर २१०० माल-डिब्बे प्रति दिन कर दी गई है । पंजाब इसी दिशा में पड़ता है ।

दिल्ली की अनधिकृत बस्तियां

६३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत करने के कार्यक्रम में अब तक आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितनी और कौन-कौन सी बस्तियां अधिकृत घोषित कर दी गई है;

(ग) क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे अनधिकृत बस्तियों में पहले बने हुए मकान अधिकृत कर दिये जायें; और

(घ) इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) ३१ अगस्त, १९६१ तक दिल्ली नगर निगम ने ८१ अनधिकृत बस्तियों को मंजूर किया तथा २२ बस्तियां नामंजूर की गईं । दिल्ली विकास संघ ने एक बस्ती को दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूर की गई योजना के अनुसार मंजूर किया है । दो बस्तियों से सम्बन्धित नियमन योजना दिल्ली नगर निगम के तथा तीन बस्तियों की नियमन योजना दिल्ली विकास संघ के विचाराधीन है । नौ अन्य बस्तियों से सम्बन्धित सर्वेक्षण योजनायें प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) मंजूर की गई ८२ बस्तियों का एक विवरण पत्र संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७ ।]**

(ग) और (घ). जी नहीं, परन्तु इन बस्तियों में अनधिकृत रूप से बनाये गये मकानों को निगम मंजूर कर रहा है यदि वे स्वीकृत अभिन्यास योजना के अनुरूप हों और निर्माण-सम्बन्धी विधि-नियमों का उल्लंघन न करते हों तथा उन की निर्माण योजनाओं के नियमन के समय विकास के खर्चे अदा कर दिये जायें ।

दीवान हाल के निकट विस्फोट

६३८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीवान हाल आर्य समाज मंदिर जहां स्वामी रामेश्वरानन्द ने अनशन व्रत रखा था, के निकट हाल में हुए विस्फोटों, की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के लिये किसे अपराधी पाया गया;

(ग) जिस स्थान पर स्वामी जी ने व्रत रखा हुआ था, क्या उसके निकट उक्त विस्फोट होने के थोड़ी ही देर पूर्व कुछ व्यक्तियों को विस्फोटक द्रव्य फेंकने का अपराधी पाया गया था; और

(घ) क्या यह सच है कि इन घटनाओं के अपराधी कुछ लोगों का उन विस्फोटों में भी हाथ था जो पिछले दिनों दिल्ली में कई स्थानों पर हुए थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). मामलों की अभी जांच हो रही है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ़्रीकी विद्यार्थी

६३९. श्री विभूति मिश्र : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अफ्रीकी विद्यार्थियों को लम्बी छुट्टियों में छात्रावास में नहीं रहने दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनका अवकाश भत्ता केवल १५० रुपये होने के कारण न तो वे किसी अच्छे होटल में रह सकते हैं और न ही वे किसी पहाड़ी स्थान पर जा सकते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें बड़ी कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । दिल्ली विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध कालेजों से संलग्न १७ छात्रावासों में से ११ छात्रावास लम्बी छुट्टियों में सभी विदेशी विद्यार्थियों के लिए (जिन में अफ्रीकी विद्यार्थी भी शामिल हैं) खुले रहते हैं । विश्वविद्यालय का जुबली हाल केवल पी० एच० डी० के विद्यार्थियों के लिए ही खुला रहता है । बाकी छात्रावास केवल अफ्रीकी विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए बन्द रहते हैं ।

(ख) जी, नहीं । १५० रुपये का अवकाश भत्ता ६०० रुपये की एक मुश्त राशि के अतिरिक्त है जो लम्बी छुट्टियों के प्रारम्भ में अप्रैल, और जून को छात्रवृत्तियों के रूप में पेशगी दे दिया जाता है । वास्तव में छात्रों से यह आशा की जाती है कि वे गर्मियों की छुट्टियों में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों को देखने जायें । यह भत्ता यात्रा तथा दूसरे आकस्मिक खर्चों के लिए है । जो छात्र अपने खर्च पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वे भारतीय सांस्कृतिक संपर्क परिषद् द्वारा लम्बी छुट्टियों में विभिन्न पहाड़ी स्थानों में आयोजित शिविरों में भाग ले सकते हैं और साधारणतया भाग लेते हैं । ऐसे छात्रों को भारत सरकार आने जाने का दूसरे दर्जे का रेल तथा बस का किराया और उनके शिविर में ठहरने की पूर्ण अवधि के लिए २ रुपये प्रति दिन दैनिक भत्ता भी देती है यह भत्ता उनके अप्रैल, मई और जून की छात्रवृत्ति के अतिरिक्त है जो वे अग्रिम ले लेते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रमंडलीय देशों को जाने वाले भारतीय विद्यार्थी

६४०. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामंत :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रमण्डलीय देशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने के हेतु १९६१ में कितने भारतीय विद्यार्थियों को चुना; और

(ख) ये विद्यार्थी किन-किन भारतीय संस्थाओं के हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) दस ।

(ख) इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर ।
कालेज आफ माइनिंग एड मैटलर्जी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाइड ज्योलाज़ी, धनबाद ।
सागर विश्वविद्यालय ।
इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाज़ी, खडगपुर ।
दिल्ली पालिटकनिक ।

विदेश जाने वाले विख्यात वैज्ञानिकों को सहायता

६४१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में विख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विदेश जाने के लिये आंशिक आर्थिक सहायता दिलाने वाली योजना के अन्तर्गत कितने वैज्ञानिको को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) ये वैज्ञानिक किन-किन देशों में गये और उन्होंने किन-किन सम्मेलनों में भाग लिया ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) अब तक १७ वैज्ञानिकों को कुल मिलाकर ३९,५०० रुपयों की मदद दी गई ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चैकोस्लोवाकिया, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, स्वीडन, हांगकांग, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस और फ्रांस ।

क्लर्कों को असिस्टेंटों के पद पर पदोन्नति

श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह कार्य** मंत्री कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९४८ में सरकार ने बहुत से ऐसे क्लर्कों को पदोन्नति करके असिस्टेंटों के पद पर नियुक्त कर दिया था जो ग्रेजुएट थे;

(ख) इन में से ऐसे कितने हैं जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में नहीं बैठे या बैठे और असफल रहे ; और

(ग) क्या ये लोग अभी तक अपने पदों पर काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) सन् १९४८ में कुछ ग्रेजुएट क्लर्कों को असिस्टेंटों के पदों पर पदोन्नत किया गया था ।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उन में से कुछ अभी असिस्टेंटों के पदों पर काम कर रहे हैं ।

स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रचलन

६४३. **श्री म० ला० द्विवेदी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी दफ्तरों में हिन्दी के प्रयोग के लिये जो कार्यवाही की जा रही है क्या वही भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये स्वायत्तशासी और अर्द्ध-स्वायत्तशासी निकायों द्वारा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन दफ्तरों में कितने हिन्दी असिस्टेंट नियुक्त किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । कुछ निकायों ने मुख्य कार्यालयों में अपने कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने और अंग्रेजी के अलावा कुछ विषयों के लिये हिन्दी के प्रयोग के लिये कदम उठाया है ।

(ख) सामान्य नीति यह है कि वर्तमान कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाय और हिन्दी असिस्टेंट नहीं नियुक्त किये जायें । फिर भी थोड़े से हिन्दी असिस्टेंट कुछ निकायों में काम कर रहे हैं ।

कोयला खानों द्वारा रॉयल्टी

†६४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों द्वारा रायल्टी की अदायगी के बारे में हाल में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह क्या निर्णय है; और

(ग) कोयले के मूल्यों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क), (ख) और (ग). रायल्टी की अदायगी राज्य सरकारों को खान तथा खनिज (विनियम तथा विकास) अधिनियम या अलग-अलग पदों में विहित दरों पर की जाती है । रायल्टी की दरों का पुनरीक्षण किया जा सकता है और कोयले के मूल्य निर्धारित करते समय ऐसे पुनरीक्षण का ध्यान रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रासायनिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र

†६४५. श्री दी० चं० शर्मा:
श्री दामानी:

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य**-मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण के लिये ६ और रासायनिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी, हां । अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

गिरीदीह खानों का कोयला

†६४६. **श्री विद्याचरण शुक्ल**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दामोदर घाटी निगम ने गिरीडीह खानों के कोयले को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अस्वीकृति के क्या कारण बताये गये थे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). दामोदर घाटी, निगम ने ऐसा कोई इन्कार नहीं किया । हुआ यह था कि मार्च ३१, १९६१ के बाद से गिरीडीह खानों का कोयला दामोदर घाटी निगम के तापीय विद्युत् केन्द्र को इसलिये भेजना बन्द कर दिया गया था कि रेल द्वारा वहां कोयला भेजना असुविधाजनक समझा गया । कोयला नियंत्रक ने विद्युत् केन्द्र को कोयला भेजने का दूसरा उपयुक्त प्रबन्ध कर दिया है ।

मनीपुर में डी० एस० पी० को मुअत्तल करना

†६४७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन के एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को बलात्कार, स्त्रियों से छेड़खानी और मकानों में अनधिकृत प्रवेश, और धमकाने तथा मारने-पीटने के अपराधों के कारण सेवा से मुअत्तल कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां । बलात्कार की कोई रिपोर्ट नहीं थी ।

(ख) पुलिस ने १८-९-१९६१ को भारतीय दण्ड संहिता की ३४२ / ३२३/५०६/२२० धाराओं के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था । सम्बन्धित अधिकारी को २०-९-१९६१ को मुअत्तल कर दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†६४८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर पर कुल कितना व्यय हुआ और इस काल में प्रतिष्ठान से कितने विद्यार्थी पास हुए ;

(ख) प्रतिष्ठान से निकले कितने विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं में खपाया गया ; और

(ग) क्या उनमें से अभी तक बरोजगार रहने वालों का कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) १९५६-५७ से १९६०-६१ के पांच वर्षों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर पर निम्नलिखित व्यय हुआ :—

अनावर्ती	२,७२,७६,२३२ रुपये
आवर्ती	१,८२,०४,८५१ रुपये
कुल .	४,५४,८१,०८३ रुपये

पासशुदा विद्यार्थियों की कुल संख्या थी :—

स्नातक . . .	१,५२८
स्नातकोत्तर	५५८
कुल	२,०८६

(ख) संस्था से पासशुदा ५०१ विद्यार्थियों को सरकारी सेवा में लिया गया ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, १९६० तक पास होने वाला कोई भी बेरोजगार नहीं रहा है ।

उड़ीसा को बाढ़ सहायता

†६४९. **श्री सूपकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस वर्ष उड़ीसा सरकार को बाढ़-सहायता के लिये कुल कितनी राशि दी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा सरकार को बाढ़-सहायता कार्य के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता

†६५०. **श्री सूपकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने और लोगों को डूबने से बचाने के लिए प्रतिरक्षा विभाग ने जो खाद्यानों के पैकट हवाई जहाज से फेंकने तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों पर कुल कितना व्यय किया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: इस दिशा में अब तक जो कुछ व्यय हुआ है, उस की राशि १,०४,३०० रुपये ७२ नये पैसे हैं। यह सारा व्यय राज्य सरकार से वापिस मिल जा.

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

६५१. श्री सरजू पाण्डेय: क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरप्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम अपनाया गया है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : शिक्षित बेरोजगारों को सहायता और प्राथमिक शिक्षा विस्तार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के लिए १९५८-५९ और १९५९-६० वर्षों में क्रमशः २,८५० और ३,८०० अध्यापकों की संख्या निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार ने इन का क्रमशः १९५९-६० और १९६०-६१ में उपयोग किया।

जैसा स्पष्ट है राज्य सरकार ने इस संबंध में १९६०-६१ के लिए किसी अतिरिक्त अनुदान की प्रार्थना नहीं की।

दिल्ली में हिन्दी जानने वाले अध्यापक

६५२. श्री म० ला० द्विवेदी: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में इस समय कुल कितने अध्यापक हैं, और उनमें से कितने हिन्दी जानते हैं ;

(ख) शेष अध्यापकों को हिन्दी सिखाने के लिये क्या किया जा रहा है ; और

(ग) वे कब तक हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने के योग्य हो जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) सरकार और दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों में ४७९६ अध्यापक हैं, जिनमें से ४७७३ हिन्दी जानते हैं।

(ख) सरकार द्वारा आरंभ की गई हिन्दी कक्षाओं में अध्यापक हिन्दी सीख रहे हैं।

(ग) कुछ दिसम्बर में तथा अन्य १९६२ के अन्त तक :

धनकर

†**६५३. श्री खोमजी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से धनकर लागू हुआ है तब से अब तक धन कर के लिये निर्धारित धन की राशि में क्या-क्या वार्षिक परिवर्तन हुये हैं ; और

(ख) इसी काल में करदाताओं की संख्या में क्या परिवर्तन हुए हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले के लिए वैगन

†६५४. **श्री खोमजो :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-सितम्बर, १९६० और जनवरी-सितम्बर, १९६१ की अवधि में, क्षेत्रवार, कोयले के लाने ले जाने के लिये अलाट किये गये वैगनों की संख्या क्या है ; और

(ख) इस संख्या को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) जनवरी से सितम्बर १९६० और जनवरी से सितम्बर १९६१ की अवधियों में विभिन्न राज्यों को भेजे गये कोयले के परिवहन का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७८]**

(ख) विभिन्न राज्यों को किये जाने वाले कोयले के सम्भरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) गत जुलाई से बंगाल/बिहार के कोयला क्षेत्रों से कोयला निकालने की रेल परिवहन क्षमता में २०० वैगनों की प्रतिदिन दैनिक वृद्धि कर दी गयी है ।

(२) इसके अतिरिक्त जो कुछ रेल द्वारा कोयला देश के दक्षिण तथा पश्चिम भागों में भेजा जा सकता लिए कलकत्ता पत्तन से रेलवे तथा समुद्री मार्ग से भेजने की व्यवस्था की गई ह

(३) निम्न प्राथमिकता वाले उद्योगों, यथा, ईंटें पकाने और छोटे पैमाने के उद्योग के लिए ब्लाक रेक्स में कोयला भेजने की व्यवस्था की जा रही है ।

(४) तीसरी योजना के अन्तर्गत मध्य भारत में कोयला क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है ताकि निकटवर्ती राज्यों को यहीं से कोयला उपलब्ध हो जाय और उन्हें बिहार/बंगाल क्षेत्रों से, जो कि काफी दूर पड़ते हैं, कोयला न लाना पड़े ।

(५) विभिन्न राज्यों द्वारा कोयला खपत केन्द्रों पर कोयले के ढेर (डम्प) लगाये जा रह हैं।

(६) कोयला और सोफ्ट कोक को रेल द्वारा लाने ले जाने की नीति को काफी उदार कर दिया गया है ।

(७) कोयले को लदाई का लक्ष्य जो १९६१ में ६५३५ वैगन था अब १९६२ में ६९२५ वैगन किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

†६५५. **श्री कुम्भार :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४८ के उत्तर के संबंध में जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में था यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस दिशा में किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में राज्य सरकारों की प्रस्थापनाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के परामर्श से छानबीन की जा रही है ।

रूरकेला संयन्त्र के 'रोल्ड कोल्ड' उत्पाद[1]

†६५६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला सन्यन्त्र पर रोल्ड कोल्ड उत्पादों का उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सन्यन्त्र की इस प्रकार की चीजों के उत्पादन की क्षमता कितनी है और वर्तमान अवस्था में इस सन्यन्त्र का वास्तविक उत्पादन क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां, अभी हाल ही में ।

(ख) सन्यन्त्र की उत्पादन क्षमता २२०,००० टन प्रतिवर्ष है और वर्तमान उत्पादन १२०० टन प्रति मास है। इसका कारण शायद यह है कि उत्पादन अभी आरम्भ ही हुआ है।

एशियाई देशों के विद्यार्थियों को भारत में छात्रवृत्तियां

†६५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में अध्ययन के लिये एशियाई देशों के विद्यार्थियों को भारत में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) विस्तार से ये क्या हैं; और

(ग) क्या इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि किये जाने की प्रस्थापना है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चुनाव व्यय

†६५८. **श्री बै० च० मलिक** :
श्री कुम्भार :

क्या **विधि** मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और केरल राज्यों में लोक-सभा के चुनावों के व्यय के केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किये जाने के विषय में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rolled Cold Products.

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) उड़ीसा में, होने वाले लोक-सभा के चुनावों के व्यय के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के व्यय का एक अंश केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय हो गया है। केरल राज्य के लिये इस तरह की कोई प्रस्थापना नहीं थी।

(ख) यह निर्णय हुआ है कि उड़ीसा विधान सभा के मध्यावधि चुनावों, छतरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से लोक-सभा के उपचुनाव और तीसरे आम चुनावों में होने वाले लोक-सभा के चुनावों के व्यय को भारत सरकार और उड़ीसा मिल कर वहन करेगी। इसका अनुपात २१ : २० होगा।

राम रूप विद्या मन्दिर, सब्जी मंडी (दिल्ली) की गतिविधियों की जांच

†६५९. **श्री कुन्हन**: क्या **शिक्षा** मन्त्री ३० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९०४ के भाग (ङ) और (च) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशालय ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ कार्यवाही की है कि उसके द्वारा जो निर्णय उसके पत्र संख्या २(१०) आर आर वी एम/१/१५/१/६१/३४८९ दिनांक १७ जुलाई, १९६१ द्वारा लिया गया है उसे राम रूप विद्या मन्दिर हायर सैकैण्डरी स्कूल, कमला नगर दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या उपरोक्त निर्णय उसी दिन से कार्यान्वित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). १७ जुलाई, १९६१ को निदेशालय ने अपने पत्र द्वारा जो निर्णय स्कूल के प्रबन्धकों को भेजा था, उसे प्रबन्धकों ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है। प्रबन्धकों ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है जो कि दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

भिलाई इस्पात संयन्त्र

†६६०. **श्री अरविन्दु घोषल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, इस्पात सन्यन्त्र से प्राप्त होने वाली 'सी० आई० स्कल्स' को किसी गैर-सरकारी सार्थ को बेचा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बिक्री की क्या शर्तें हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी हां।

(ख) नियन्त्रित दामों पर। पार्टियों को कुछ सुविधाएं—जैसे लदान, श्रमिकों के लिये आवास आदि— दी गयी थी जिसके लिये, उनकी स्वीकृति से, प्रशासनिक व्यय उनसे वसूल कर लिया गया था।

इस्पात नियन्त्रण में कमी करना

†६६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ अंशों में इस्पात नियन्त्रण को कम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ढिलाई की जायेगी और यह कार्यवाही किस कारण की जा रही है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). सम्भरण सम्बन्धी स्थिति कुछ सुधर गयी है और इस्पात की कुछ वस्तुओं पर से नियन्त्रण काफी ढीला कर दिया गया है। उपभोक्ताओं और स्टाकिस्टों को इन चीजों के 'इंडैण्ट' देने की अनुमति दे दी गयी है । इसके लिये कोटा प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सम्भरण सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ तो इस्पात की बाकी की चीजों पर से भी नियन्त्रण नर्म कर दिया जायेगा ।

प्रधान मंत्री की लखनऊ और कानपुर यात्रा

६६२. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव प्रचारार्थ २४ और २५ सितम्बर, १९६१ को प्रधान मन्त्री ने दिल्ली से लखनऊ एवं कानपुर की यात्रा वायु सेना के एक विशेष डकोटा विमान द्वारा की ;

(ख) यदि हां, तो वायु सेना के उक्त विमान का प्रयोग किन नियमों के अन्तर्गत किया गया; और

(ग) उक्त यात्रा पर कितना व्यय किया गया और वह किस के द्वारा वहन किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क), (ख) तथा (ग). उनकी यात्रा का केवल दिल्ली से लखनऊ तक का भाग गैर-सरकारी था । भारत सरकार, रक्षा मन्त्रालय के कार्यालय-ज्ञापन संख्या एल० ७(२)–५३/डी (एअर-परसानेल), दिनांक २० फरवरी, १९५४ में इसके नियम निश्चित किये गये हैं, जिसका समय-समय पर संशोधन किया गया है ।

दिल्ली के अधिकारियों को दिया जाने वाला नगर प्रतिकर भत्ता

†६६३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को दिल्ली तथा नयी दिल्ली के 'क' श्रेणी के नगर घोषित होने से पूर्व कोई नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाता था ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये औसतन कितनी राशि प्रतिवर्ष खर्च होती थी ;

(ग) क्या उपरोक्त अधिकारियों को दिल्ली तथा नयी दिल्ली के 'क' श्रेणी का नगर घोषित हो जाने पर भी नगर भत्ता मिल रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो, श्रेणीवार, इन अधिकारियों की संख्या क्या है और ऐसा करने पर औसतन कितना वार्षिक व्यय होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ग). जब दिल्ली तथा नयी दिल्ली को 'क' श्रेणी का नगर घोषित नहीं किया गया था तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वे सब अधिकारी, जिनका वेतन ५०० रुपये से कम था, निर्धारित नगर भत्ता प्राप्त कर सकते थे । परन्तु यह भत्ता १० रुपये से अधिक नहीं होता था । ५०९ रुपये तक वेतन लेने वालों के मामले में सीमान्त समायोजन (मार्जिनल एडजस्टमेंट) कर दिया जाता था । १ जुलाई, १९६१ को जब दिल्ली को 'क' श्रेणी का नगर घोषित कर दिया गया तो दिल्ली के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी अपने वेतन का ८ प्रतिशत नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के रूप में प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु यह ७५ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (घ). इस सम्बन्ध में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। ख्याल है कि इस जानकारी को इकट्ठा करने में कितना समय और परिश्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले लाभ के समनुरूप नहीं होगा।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के डायरेक्टर के विरुद्ध न्यायनिर्णय कार्यवाही

†६६४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अगाड़ी :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया के एक डायरेक्टर के विरुद्ध न्यायनिर्णय कार्यवाही का क्या परिणाम है; और

(ख) क्या उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). स्टेट बैंक आफ इण्डिया के डायरेक्टर के विरुद्ध न्यायनिर्णय कार्यवाही अपने अन्तिम दौर में पहुंच गयी है। शीघ्र ही इस दिशा में आदेश जारी किये जायेंगे।

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

†६६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी के तेल शोधक कारखाने पर व्यय के अनुमान को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह विस्तार से क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल की पाइप लाइन

†६६६. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री खम्भात से बम्बई तक पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में १० मार्च, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रस्थापना का और आगे परीक्षण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या भारत में उत्पादित अशोधित तेल को बम्बई के तेल-शोधक कारखानों को भेजने के बारे में कोई संतोषजनक निर्णय हो गया है; और

(ग) क्या विदेशी तेल समघायों को अपनी अशोधित तेल लेने की क्षमता का विस्तार करने के बारे में अनुमति देने के मामले पर कोई निर्णय हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अग्रेतर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि खम्भात से बम्बई तक पाइप लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) बातचीत चल रही है, परन्तु इस दिशा में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†६६७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के सम्बन्ध में २८ मार्च, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच पूरी हो चुकी है उनका क्या परिणाम रहा है ?

†**इस्पात खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : ४ मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। दो मामलों को अदालत में मुकदमा चलाने के लिए ले जाया गया है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तीसरे मामले को छोड़ दिया गया क्योंकि अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं समझा गया। चौथा मामला हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को समुचित विचार और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

विशेष पुलिस संस्थान द्वारा जो जांच की गयी है उनके अनुसार अधिकतर आरोप भ्रष्टाचार और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के थे।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में निर्माण कार्य

†६६८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में इण्डियन रिफाइनरीज़ में निर्माण कार्य भारी वर्षा और बिहार में आयी बाढ़ों के कारण रोक देना पड़ा था; और

(ख) क्या इस से तेल शोधक कारखाने की सम्पत्ति को कुछ हानि हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) कोई विशेष क्षति नहीं हुई है।

प्रविधिक संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन क्रम

†६६९. **श्री अगाड़ी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री कालेजों और डिप्लोमा संस्थाओं के प्राध्यापकों के अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये पुनरीक्षित वेतनक्रम मैसूर, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जम्मू और काश्मीर राज्यों में लागू किये जा चुके हैं;

(ख) क्या बाकी के भी किसी राज्य ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) परिषद् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में देरी के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने इन सिफारिशों के कार्यान्वित करने की दिशा में राज्य सरकारों को कोई निदेश अथवा परामर्श दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) यदि हां, तो यह किन राज्यों को दिया गया है और उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी नहीं, अभी नहीं ।

(ख) और (ग). जी हां, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, और राजस्थान में। पंजाब ने भी योजना को स्वीकार कर लिया है ।

(घ) राज्य सरकारें अभी तक योजना पर विचार कर रही हैं।

(ङ) और (च). कोई विशेष निदेश तो किसी राज्य को नहीं दिया गया, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों पर वेतन क्रमों को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया है।

बेलहोंगल (मैसूर) में रानी चेनामा की समाधि के आसपास का बाग

†६७०. { **श्री अगाड़ी :**
श्री राम पुरे :
श्री सुगन्धि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने उस स्थिति में जब कि राज्य सरकार ऐसा करने में असमर्थ हो कि मैसूर राज्य के बैलगाम जिले के बेलहोंगल के स्थान पर स्वतन्त्रता की नायिका रानी चेनामा की समाधि के आस पास बाग बनाने को तैयार है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में अतिरिक्त कोष के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) काम के कब आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). स्मारक के निर्माण आदि के सिलसिले में सारा खर्चा स्वयं राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना है ।

(घ) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी

†६७१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 'क' श्रेणी के नगर के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें ये लाभ उपलब्ध नहीं हुए हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालय तथा कालिज कर्मचारी यूनियन की ओर से सरकार को कोई याचिका प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) विश्वविद्यालय और कालिज कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भेजे ग` पत्र की एक प्रतिलिपि ११ सितम्बर, १९६१ को मंत्रालय में प्राप्त हुई थी ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में २६ सितम्बर, १९६१ को कर्मचारी यूनियन से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था उसकी एक प्रतिलिपि आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को, उनकी मांगों का परीक्षण करने और उन पर आवश्यक कार्यवाही करने के हेतु भेज दी गई है । मामले पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारी विचार कर रहे हैं, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अपने उन कर्मचारियों के वेतन क्रमों में तबदीली कर दी है जिनका अध्यापन कार्य से सम्बन्ध नहीं है । यह पुनरीक्षण १ जुलाई, १९५९ से किया गया है और अब उन कर्मचारियों का वेतन क्रम केन्द्रीय सरकार के वैसे ही कर्मचारियों के वेतन क्रम के स्तर पर आ गया है ।

दिल्ली की पुलिस

†६७२. **श्री कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली के थानों को इस प्रकार के आदेश दे दिये गये हैं कि किसी अन्य थाने से मामला सम्बन्धित होने पर भी वह सभी शिकायतों को दर्ज कर लें और आवश्यक कार्यवाही कर दें;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब दिये गये थे;

(ग) क्या सरकार का ध्यान २३ अक्तूबर, १९६१ के टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली के 'सिटी लिमिट्स' के अन्तर्गत लेख की ओर गया है;

(घ) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी हां । इस सम्बन्ध में समय-समय पर आदेश जारी किये जाते हैं । मार्च, १९५९ में ब्यौरेवार आदेश दिये ग` थे जिनको १९६१ मई में पुनः परिचालित किया गया ।

(ग) से (ङ). सरकार ने समाचार पत्र के समाचार को देखा है । उस में वर्णित पहली घटना ११ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८८ के उत्तर में आ जाती है । दूसरी दुर्घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जांच करने पर मालम हुआ कि समाचार पत्र के समाचार के अनुसार रोशनारा थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी । दिल्ली में जवाहरनगर नाम की कोई चौकी अथवा थाना नहीं है ।

अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्यापक

†६७३. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि भारत सरकार को

---

†मूल अंग्रेजी में

अहिन्दी भाषा भाषी राज्यों के सभी वरिष्ठ प्राथमिक स्कूलों के हिन्दी अध्यापकों का पूरा व्यय वहन करना चाहियें;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार के निर्णय क्या हैं; और

(ग) हिन्दी अध्यापको की व्यवस्था करने वाली इस योजना पर राज्य वार कितना अनुमानित व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

छुट्टियों में विद्यार्थियों को रोजगार

†६७४. **श्री अगाड़ी :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिस के अधीन विद्यार्थियों को छुट्टियों में कोई रोजगार मिल जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से उद्योगों में विद्यार्थियों को छुट्टियों में रोजगार मिल सकेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टेनलैस स्टील

†६७५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रति वर्ष देश को कितने स्टेनलैस स्टील की आवश्यकता है;

(ख) देश की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ?

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्टेनलैस स्टील के उत्पादन लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) योजना के अधीन बताई गई कार्यवाहियां में से योजना की क्रियान्विति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लगभग १५००० टन ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ५०,००० टन स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लक्ष्य रखे गये हैं ।

(घ) १७,००० टन स्टेनलैस स्टील समेत अलाय स्टील के निर्माण के लिये दुर्गापुर इस्पात परियोजना का निर्माण भी आरम्भ किया गया है । इस के अतिरिक्त टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी ने अन्य अलाय स्टील के साथ साथ २०,००० टन स्टेनलैस स्टील के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये गये हैं । अतिरिक्त एककों को लाइसेंस देने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर में कोयले की खानें

†६७६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कोयले की खानों के विकास की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की खुलासा रूपरेखा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कोयला खानों के विकास की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकार ने राज्य के खनिज संसाधनों के विकास के लिये जम्मू तथा काश्मीर खनिज लिमिटेड निगम बनाया है तथा उस निगम ने कोयले की खानों के लिये सलाहकार के रूप में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम नियुक्त किया है।

दिल्ली की कालिजों में न जाने वाली छात्राओं के लिये माध्यमिक कक्षायें

६७७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने कालेजों में न जाने वाली छात्राओं के लिये रविवासरीय कक्षायें आरम्भ कर दी हैं अथवा उस का आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालय ने २४ सितम्बर, १९६१ से रविवासरीय कक्षायें आरम्भ कर दी हैं।

(ख) महिला (कालिज न जाने वाली) की शिक्षा के सलाहकार बोर्ड ने रविवार को ९.३० म० पू० से ३–३० म० पु० तक मिरांडा हाउस के कालिज न जाने वाली महिला विद्यार्थियों के लिये लैक्चरों की व्यवस्था की है। यह लैक्चर दिल्ली विश्वविद्यालय की महिला अध्यापक निजी तौर पर देगी, और इन में उपस्थितियां निजी तौर पर होंगी। आठ लैक्चर ४५, ४५ मिनटों के होंगे। लैक्चर महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में होंगे और उन से विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन होगा।

बस्तर के गद्दी से उतारे गये शासक को भत्ता

†६७८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बस्तर के गद्दी से उतारे गये शासक को कुछ भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति

†६७९. **श्री बसुमतारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातिय के समान ही अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी डिवीजन पर कोई ध्यान न दे कर, मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह राज्य कौन कौन से हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति

†६८०. **श्री बसुमतारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकेन्द्रीकरण के बाद भी केन्द्रीय सरकार द्वारा मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये दी गई छात्रवृत्तियों की रकम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को वही दी ज ती रही थी;

(ख) क्या छात्रवृत्ति के लिये दी गई रकम प्रत्येक राज्य के लिये अलग अलग है; और

(ग) १९६१–६२ में राज्यवार इस के लिये कितनी रकम आवंटित की गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) अपेक्षित जानकारी संबद्ध विरवण में है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९ ।]**

जम्मू तथा काश्मीर में खनिज पदार्थ

†६८१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १२ अगस्त, १९६१ के तारांकि प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

लद्दाख (जम्मू तथा काश्मीर) के खनिज पदार्थों की खोज के लिये बनाई जाने वाली योजना में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारत के भूतत्वीय परिमाप के दो दलों ने उत्खंडन और प्रावेक्षण सवक्षण लद्दाख जिले के कुछ भाग का किया है ।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण

†६८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में अब तक पाकिस्तान के द्वारा किये गये भारतीय आकाश सीमा के अतिक्रमण के ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) १९६० के अतिक्रमणों से इनमें क्या अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) एक विवरण संबद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०।]**

(ख) १९६० में १६ अतिक्रमण हुए थे और १९६१ में अब तक १९ हो चुके हैं।

अभिलेखों का जनता द्वारा देखा जाना

†**६८३. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेखों के जनता द्वारा देखे जाने के बारे में विधान समिति की सिफारिशों पर सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर केन्द्रीय विधान की आवश्यकता के बारे में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या इस के बारे में देश के सभी विद्वानों के विचारों पर विचार किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). अभी नहीं। विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचा ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) संभवतया 'विद्वानों' से तात्पर्य भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के सदस्यों से है। यदि हां, तो उत्तर स्वीकारात्मक है।

लन्दन में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्यालय

†**६८४. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने लंदन में अपना कार्यालय खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ में इस कार्यालय पर कितना व्यय हुआ था ; और

(ग) इस कार्यालय के मुख्य कार्य क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जी, नहीं। परन्तु रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में नौवहन और समन्वय काम के लिये सरकार द्वारा लन्दन के भारतीय उच्चायुक्त में नियुक्त कर्मचारियों को १–९–१९६१ से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में स्थानान्तरित कर दिया गया है। १९६०–६१ में जब यह सरकार के नियन्त्रण में था उस समय इस पर १५४,८९३ रुपया व्यय हुआ था।

(ग) रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों के ठेके के उपबन्धों के अनुसार कारखाने तथा यन्त्र के नौवहन और सम्भरण तथा वित्तीय वायदों के समन्वयन से सम्बन्धित कार्य।

अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक सम्मेलन

†**६८५. श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अक्तूबर, १९६१ में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों की प्रतियां मिल गई हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनके सुझाव क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है; और

(घ) उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन में पारित सामान्य संकल्प की अंग्रेजी प्रति सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]** ।

(ग) और (घ). संकल्पों की जांच हो रही है ।

शिल्पियों के लिये उच्च शिक्षा

†६८६. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो शिल्पी जूनियर टैक्नीकल स्कूल से जूनियर टैक्नीकल प्रशिक्षण की तीन वर्ष की परीक्षा पास कर लेते हैं उनको उच्च शिक्षा देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोई योजना बनाने का है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां । जूनियर टैक्नीकल स्कूल का पाठयक्रम पूरा कर लेने वाले विद्यार्थियों को पोलीटैक्नीक में भरती किया जा सकता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को वृतिकायें

†६८७. **श्री सामन्त सिंहार** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में संघ क्षेत्रों समेत राज्यवार राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को कितनी यात्रा में तथा कितनी वृत्तिकायें दी गई हैं ;

(ख) क्या यह अनुदान राजनैतिक पीड़ितों के विद्यार्थी बच्चों द्वारा लिये गये नम्बरों पर आधारित होता है; और

(ग) क्या केन्द्र ने ऐसा कोई प्रतिबन्धलगाया है कि 'राजनैतिक पीड़ितों' के केवल एक बच्चे को ही वृत्तिका मिल ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) चालू वित्त वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद जानकारी मिल सकेगी और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) क्योंकि योजना की वास्तविक क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ सरकारों पर है इसलिये मामले पर वही निर्णय लेंगी ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोणार्क के पुरातत्वीय अवशेष

†६८८. **डा० सामत सिंहार :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति से बाद की अवधि में कोणार्क से कौन कौन तथा कितनी प्रतिमायें तथा अन्य मूल्यवान पुरातत्वीय अवशेषों को हटाया गया है ;

(ख) इनको किन तिथियों में हटाया गया और किन स्थानों पर रखा गया है ; और

(ग) क्या अप्रैल १९६१ में हटाई गई सूर्यनारायण की प्रतिमा को अब पुनः वहां पर स्थापित कर दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) और (ख) :

संख्या	प्रतिमा का नाम	हटाने की तिथि	जहां रखी गई है
१.	सूर्य प्रतिमा (संख्या २), सात घोड़ों की चौकी समेत क्लोराइड पत्थर की ।	१९५०	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ।
२.	मकर पर बरुण की शक्ति	१९५०	तदैव
३.	भागवत्स से शास्त्रार्थ करते हुए राजा नृसिंह	१९५०	तदैव
४.	मकर के मुंह वाली टोंटी	१९५०	तदैव
५.	चौकी पर शैव तथा वैष्णव विद्वानों समेत शिवलिंग, जगन्नाथ तथा देवी की पूजा करते हुए राजा नृसिंह ।	१९५०	तदैव
६.	बैल पर बठे हुए शिव	१९५०	तदैव
७.	खड़े हुए चतुर्भुज विष्णु	१९५०	तदैव
८.	संगीतज्ञों समेत मेहराव के नीचे राजा नरसिंहन	१९५०	तदैव
९.	धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए राजा नरसिंहन	१९५०	तदैव
१०.	रेतीले पत्थर की महिला संगीतज्ञ	१९५०	तदैव
११.	सूर्य नारायण की प्रतिमा	१९६१	भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण, नई दिल्ली ।

(ग) जी नहीं । पुरातत्वीय सर्वेक्षण की शताब्दी प्रदर्शनी होने पर प्रतिमा पुनः लगाई जायेगी ।

मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

†६८९. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से अब तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन वरिष्ठता तथा पदोन्नति के लिये मैसूर सरकार के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में कितनी लेख याचिकाएं दी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें से कितनी पर निर्णय लिया जा चुका है तथा कितनी लम्बित हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ५३ ।

(ख) निबटाये गय मामले ३५
लम्बित मामले १८

शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड के कपड़ों पर उत्पादन शुल्क

†६९०. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से अब तक, वर्षवार महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, शोलापुर के कपड़ों के उत्पादन पर कितना उत्पादन तथा अधिक शुल्क लगाया गया तथा इकट्ठा किया गया ;

(ख) इसी अवधि में कितने मूल्य के कपड़े का उत्पादन हुआ था ; और

(ग) इसी अवधि में वर्षवार कितने मूल्य के कपड़ों को क्षतिग्रस्त अथवा अन्यथा बताया गया है और उपरोक्त मिल्स द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त तथा अन्य वस्तुओं पर कितना शुल्क लगाया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) उपलब्ध सूचना का एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२ ।]**

(ख) क्योंकि सूती कपड़े पर विशिष्ट शुल्क है इसलिये उत्पादन मूल्य सरकार के अभिलेखों में नहीं है ।

(ग) क्षतिग्रस्त अथवा अन्यथा बताये गये कपड़े के मूल्यों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हैं । परन्तु लगाये गये शुल्क के बारे में जानकारी का विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२ ।]**

सेना यांत्रिक परिवहन गाड़ियों के लिये पुर्जे

†६९१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना यांत्रिक परिवहन गाड़ियों के पुर्जों का सम्भरण करने वाले कैनेडियन फर्म से व्यापार की जांच के लिये स्थापित जांच समिति के प्रतिवेदन की इस बीच जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इनमें से कौनसी सिफारिशें स्वीकार की हैं तथा कौनसी अस्वीकार की हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). सरकार ने अभी प्रतिवेदन की जांच पूरी नहीं की है । प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का तथा चालू सत्र में उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हानस एंड सैडलरी फेक्टरी कानपुर में जूते बनाने का संयंत्र

†६९२. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्ट ी, कानपुर के जूता बनाने के कारखाने के लिये अप्रेंटिसशिप कोर्स शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस तारीख से ये अप्रेंटिस भर्ती किये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें

†६९३. **श्री बलराज मधोक :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय १२ कंडिका ४१ (पृष्ठ ३७) में यह सिफारिश की है कि सचिवालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में पदाधिकारियों के साथ, जिनका दर्जा सरकारी कार्यालय के उपसचिव के बराबर है, काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को २१०—४२५ के वेतनक्रम में वेतन दिया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय १२ कंडिका ४० (पृष्ठ १३७) में यह भी सिफारिश की है कि पदाधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी के स्टेनोग्राफर देते समय उन कार्यालयों का स्तर न मान कर उन पदाधिकारियों का स्तर ध्यान में रखना चाहिये;

(ग) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय ११ कंडिका ३७ (पृष्ठ ११८) में यह सिफारिश की है कि सचिवालय के पदाधिकारियों के साथ काम करने वाले छोटी से छोटी श्रेणी के स्टेनोग्राफर १५०—३०० के वेतन क्रम में होने चाहिये ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने उपरोक्त तीनों सिफारिशों में से एक भी सिफारिश स्वीकार नहीं की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) वेतन आयोग ने केवल यह कहा है, सिफारिश नहीं की है । आयोग ने कंडिका ४० और ४१ में यह स्पष्ट कर दिया है कि सचिवालय के बाहर विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों के साथ काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को कौन कौन सा वेतन क्रम दिया जाये ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने अध्याय ११ की कंडिका ३७ में की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है ।

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफर उच्च स्तर के हों और इन स्टेनोग्राफरों का वेतन वर्तमान दर पर ही चले तो यह निश्चित किया गया कि स्टैनोग्राफरों का कम वेतन क्रम अर्थात् १५०—३०० सचिवालय में शुरू न किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुये विदेशी

†६९४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईसाइयों के चर्च, स्कूल, अस्पताल, तथा अन्य धर्म प्रचार कार्यों में कितने विदेशी काम कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** धर्म प्रचार काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिनका कि पंजीयन किया गया है, १ जनवरी, १९६१ को ४,४९८ थी ।

'विक्रांत' विमानवाहक पोत

६९५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "विक्रान्त" विमानवाहक पोत पर अब तक कितना रुपया उसके खरीदने से नवीनीकरण और भारत पहुंचने तक खर्च हो चुका है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : इस प्रकार की सूचना देना जनहित के विरुद्ध होगा ।

श्रीनगर में अग्निकांड

६९६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीनगर (काश्मीर) में अग्नि के द्वारा गत ३ नवम्बर, १९६१ को लगभग २५ दुकानें जल कर भस्म हो गईं ;

(ख) उनके बुझाने के निमित्त क्या प्रतिरक्षा विभाग ने कोई कार्य किया ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). ३ नवम्बर, १९६१ को श्रीनगर में आग लगी । डिप्टी कमिश्नर की प्रार्थना पर दो आग बुझाने वाली पम्पों के साथ एक अफसर, एक असिस्टेंट सिविल फायर मास्टर, एक सिविलियन सुपरवाइज़र और १८ आग बुझाने वाले आदमी आग बुझाने के लिये फौरन गये । इन कार्मिकों ने घटना स्थल पर पहुंचने के तीन घंटे बाद ही आग पर कब्जा पा लिया । रक्षा मंत्रालय को यह मालूम नहीं है कि इस आग से कितना नुकसान हुआ है ।

नई दिल्ली में भारत के रक्षित बैंक में चोरी

†६९७ **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ नवम्बर, १९६१ को नई दिल्ली में भारत के रक्षित बैंक में दिन दहाड़े चोरी हो गई थी और बैंक के काउंटर से १० हज़ार रुपये चोरी हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख). यह मालूम हुआ है कि १ नवम्बर, १९६१ को १००–१०० के नोटों के दस बंडल (कुल मिला कर १०,००० पये) नोटों की जांच करने वाले अधिकारी के पास कम पहुंचे जो कि नोटों की अदला बदली करने वाले काउंटर पर बैठता था । सरकार को जो सूचना मिली है उसके अनुसार यह मामला चोरी का नहीं है । अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और विभागीय जांच भी की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लड़कियों की शिक्षा

†६९८. श्री अगाड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर और मद्रास राज्यों को वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान में अब तक लड़कियों की शिक्षा के लिये कितना धन दिया गया है और उन्होंने कितना धन लिया है ;

(ख) क्या इन राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिये कोई विशेष कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]।

विजयनगर साम्राज्य के समय की वस्तुओं का संग्रहालय

†६९९. श्री अगाड़ी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बिलारी जिले में होस्पेट तालुक के कमलापुरम में विजयनगर साम्राज्य के समय का कोई संग्रहालय बनाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) क्या संग्रहालय भवन के लिये नक्शे एवं उसके लिये अनुमानित व्यय आदि के बारे में योजना बना ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो कुल अनुमानतः व्यय कितना होगा ;

(घ) यह निर्माण कार्य कब शुरू होगा तथा कब तक समाप्त हो जायेगा ; और

(ङ) यदि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं है, तो नक्शे आदि कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां

(ख) नक्शे तो तैयार हो गये हैं और आकलन तैयार हो रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

संगीत नाटक अकादमी

†७००. श्री अगाड़ी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी ने मैसूर राज्य में वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में प्रत्येक वर्ष में अब तक कन्नड़ नाटकों की वृद्धि के लिये कोई अनुदान दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किसको ; और

(ग) कितनी सहायता दी गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक अकादमी ने निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :–

वर्ष	संस्था का नाम	राशि
१९५९–६०	मित्र वृन्द, हसन मैसूर . .	५०० रुपये
	दी स्कूल आफ कल्चर, बेलगाम . .	२,००० ,,
	कलाकौशल अमेच्योर संगीत नाटक मंडली, कगनेली	५,००० ,,
	विजय ड्रामाटिक एसोसिएशन, गडग . .	५,०० ,,
१९६०–६१	केशव नृत्यशाला, बंगलौर (नृत्य ड्रामा के लिये)	२,००० ,,
१९६१–६२	दी स्कूल आफ कल्चर, बेलगाम .	२,००० ,,
	श्री वानी इन्स्टीट्यूट आफ म्यूज़िक, बंगलौर	१,००० ,,
	केशव नृत्यशाला, बंगलौर (नृत्य ड्रामा के लिये)	१,००० ,,

नये विश्वविद्यालय

†७०१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६६ के दौरान में विभिन्न राज्यों में जो १२ नये विश्वविद्यालय बनाये जाने वाले हैं वे कहां कहां बनाये जायेंगे ;

(ख) प्रत्येक प्रस्तावित विश्वविद्यालय के बनाने में कितनी प्रगति हुई है और उनकी स्थापना में प्राथमिकता का क्रम क्या होगा ; और

(ग) उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में उतने ही विश्वविद्याशयों की स्थापना करने के लिये राशि देने में भेद क्यों किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) पश्चिमी बंगाल को जो धन दिया गया है उसमें विभेद इसलिये है कि यह राशि नये विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं वर्तमान विश्वविद्यालयों के विकास के लिये है ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में पाकिस्तानी विद्यार्थी

†७०२. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में कित ने पाकिस्तानी विद्यार्थी भारतीय विद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों में तथा कितने भारतीय विद्यार्थी पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों में पढ़ते थे ;

(ख) किन किन भारतीय संस्थाओं में कितने पाकिस्तानी विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं; और

(ग) ऐसे विद्यार्थियों को भारत में क्या सुविधायें की जाती हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). नवीनतम जानकारी के अनुसार ५३५ पाकिस्तानी विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों में वर्ष १९५८–५९ के दौरान शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ।

संस्थाओं के नाम तथा पाकिस्तानी विद्यार्थियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिट १ अनुबन्ध संख्या ८४]**

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारत के रक्षित बैंक की महंगी मुद्रा नीति

†**७०४. श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रक्षित बैंक की मंहगी मुद्रा नीति का उद्योग और वाणिज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या निर्यातकों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो कैसे और किस प्रकार; और

(घ) क्या निकट भविष्य में ऋणों पर प्रतिबन्ध उठा लिया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसे निर्यातकों को जो उद्योगपति तथा व्यापारी हैं उन्हें विभिन्न स्तरों पर ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध की जाती हैं । विशेषत: बैंकों द्वारा निर्यात बिल खरीदे जाते हैं अथवा उन पर डिसकाउंट दिया जाता है । तथा निर्यातकों को विदेशों की फर्मों द्वारा दिये गये आर्डरों पर पैकिंग ऋण के रूप में, अथवा निर्यात खतरा बीमा निगम में बीमाशुदा माल पर ऋण दिया जाता है । अक्तूबर, १९५८ से, बिल मार्केट योजना के अधीन वाणिज्यिक बैंकों को, उन के द्वारा निर्यातकों को दिये गये ऋणों पर अग्रिम धन दिया जाता है ।

(घ) बैंक ऋणों पर प्रतिबंध लगाने से निर्यात में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है । तथा वर्तमान सुविधाओं को और अधिक उदार बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

हिन्दी विश्वकोष

†**७०५. श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दी विश्वकोष के संकलन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) संकलन में अभी तक किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्पूर्ण विश्वकोष तथा उसके पृथक अंकों का क्या मूल्य होगा; और

(घ) क्या यह पुस्तक चित्रमय होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा

७०६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिडिल तक प्रति सप्ताह अंग्रेजी के लिये १२, हिन्दी के लिये ६ और संस्कृत के लिये ३ घंटे दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी के फलस्वरूप हायर सैकेण्डरी में दिल्ली के लगभग २०० सरकारी स्कूलों में से केवल कोई २० में ही संस्कृत पढ़ाई जा रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्कूलों में जहां अंग्रेजी और गणित आदि के लिये अध्यापकों के पृथक वर्ग हैं, वहां संस्कृत और हिन्दी को मिला कर एक ही वर्ग लैंग्वेज टीचर का रख दिया गया है?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां, सामान्यतया यह ठीक है । विभिन्न विषयों के लिये समय का निर्धारण पढ़ाये जाने वाले विषयों की संख्या और पाठ्यक्रम आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ख) जी नहीं । संस्कृत एक एच्छिक विषय है । इस प्रकार के विषयों के लिए, यदि किसी एक विषय में १२ से अधिक विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ना चाहे तो शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

(ग) यद्यपि हिन्दी और संस्कृत अध्यापकों को भाषा अध्यापकों के नाम से पुकारा जाता है, परन्तु सिवाय उन अध्यापकों के जो दोनों भाषाओं को पढ़ाने में पूर्ण योग्य हों, हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने के लिये अलग अलग अध्यापक नियुक्त हैं । इस नियम का पालन अन्य श्रेण्य तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी किया जाता है ।

शिक्षा पद्धति

†७०७. **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा पद्धति में कुछ ठोस परिवर्तन करने का विचार किया है जिस से कि नयी पीढ़ी में साम्प्रदायिक भावनाओं, भाषावाद तथा जातिवाद की भावनायें समाप्त हो जायें; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं, और उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जो राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक एकीकरण की वृद्धि में शिक्षा के महत्व पर विचार करेगी तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यक्रम बनाने पर सिफारिश करेगी ।

समिति का प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है । प्रस्तुत होने पर उस पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जायेगा ।

मदुरै विश्वविद्यालय

†७०८. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मदुरै विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मदुरै विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है। नये विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का कार्य राज्य सरकार का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सलाह पूछे जाने पर केवल अपनी राय बताता है। मद्रास सरकार ने मदुरै में विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा। आयोग ने इसे अक्तूबर १९६० में उसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया। यह मामला मद्रास सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिये पड़ा हुआ है।

पब्लिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक

†**७०९. श्री हेम बरूआ**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक विदेशी सरकारों के व्यय पर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के दौरे का क्या प्रयोजन है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) सरकार को दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की ऐसी किसी यात्रा का पता नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्ताव

पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास दो प्रकार के स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है। श्री गोरे ने तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सूचना दी है कि अंजदीप के निकट मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर पुर्तगालियों द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप एक भारतीय कर्मचारी श्री कोचरेकर की मृत्यु हो गई है। अतः सरकार भारत के पश्चिमी घाट पर रहने वाले भारतीयों की सम्पत्ति एवं उनकी जिन्दगी बचाने में एवं उन की सुरक्षा करने में असफल रही है।

कुछ और भी स्थगन प्रस्ताव हैं। यह मामला सभा में पहले भी आया था; उस समय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की जांच करेंगे और वास्तविक स्थिति का पता करेंगे। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है वह बतायें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: जब पहले यह घटना हुई थी उस समय जो कुछ मुझे मालम था वह मैं ने बता दिया था और यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में और जानकारी प्राप्त करूंगा। माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह घटना उसी स्थान से दुबारा हुई है। पुर्तगाल सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया है जो हम ने बी० बी० सी० रेडियो से कल सुना था उस में कहा गया है कि कुछ मछली पकड़ने वाली भारतीय नावें उस टापू पर आक्रमण करने गई थीं। यह एक बड़ा अजीबोगरीब वक्तव्य है। मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है। जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि इस टापू में कुछ पुर्तगाली सैनिक ही रहते हैं इनके अलावा वहां बस्ती बिल्कुल भी नहीं है, उन के द्वारा भारतीय क्षेत्र के समुद्र पर गोलीबारी करना अत्यन्त आपत्तिजनक है। हम केवल जानकारी ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ कार्यवाही भी कर रहे हैं। जब तक हम अन्तिम रूप से यह निर्णय नहीं कर लेते हैं कि हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिये, उसके बारे में यहां कुछ कहना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गोरे (पूना) : यह टापू करवार बन्दरगाह के निकट सीमा पर है और चौर्यानयन करने वालों के लिये एक ठहरने की जगह बन गया है। यह टापू पुर्तगालियों के अधिकार में है और वहां से वे भारतीय स्टीमरों तथा नावों आदि पर आक्रमण करते हैं। समाचारों से पता चला है कि करवार के मछुओं ने समुद्र में मछली पकड़ने से इसलिये इन्कार कर दिया है कि भारत सरकार उन्हें उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही है। यह मामला और भी गम्भीर होता जा रहा है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें भविष्य में नहीं होंगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): मैं वह स्थान जानना चाहता हूं जहां कि यह घटना हुई थी। तथा यह हमारे क्षेत्र में हुई थी अथवा उससे बाहर। समाचार पत्रों में यह छपा है कि यह घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी। यदि यह बात ठीक है तो पुर्तगाली जहाज हमारे क्षेत्र में घुस आये थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई पुर्तगाली जहाज कहीं नहीं आया था। कुछ पुर्तगाली सैनिक ही उस टापू में थे। वहीं से उन्होंने गोलियां चलाईं।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : इस टापू में केवल कुछ ही पुर्तगाली सैनिक रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम उन्हें वहां से निकाल बाहर नहीं कर सकते। ताकि हमारे क्षेत्राधिकार में आने वाला समुद्री जल सुरक्षित रह सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक ऐसा मालमा है जिस के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार इस पर विचार करेगी। जहां तक इस बात का आश्वासन है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी भला मैं किस प्रकार दे सकता हूं। हां इतनी बात जरूर है कि प्रभावी कदम उठाये जायें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे क्या पग उठाये जायें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शायद इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम यहां नहीं कर सकते। कदम उठाने का सब से अच्छा तरीका क्या होगा सरकार इस पर विचार करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को जो कुछ कहना था वह कह चुके। माननीय प्रधान मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया है कि एक जांच की जा रही है और यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी। इस बारे में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। हमें यह मामला सरकार पर छोड़ देना चाहिये। मुझे यह विश्वास है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जायेगा। प्रधान मंत्री यह बात मानते हैं कि पुर्तगालियों को वहां नहीं आना चाहिये था। क्या करना चाहिये इस बारे में विचार किया जा रहा है। अतः मैं समझता हूं कि अब इस पर और आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्तावना की अनुमति नहीं देता।

गाड़ियों का देर से चलना

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव जिसमें कहा गया है कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण अध्ययन के लिये गाजियाबाद रोज जाने वाले ५०० स्थानीय छात्रों पर प्रभाव पड़ता है।

यह एक सामान्य कठिनाई मालूम पड़ती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मैंने तथ्यों के बारे में मालूम किया है। पिछले १०–१२ दिनों से कोयले की कुछ कठिनाई है। इन गाड़ियों को कोयला गाजियाबाद के शेड से मिलता है। पूजा की छुट्टियों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप बंगाल बिहार क्षेत्र में कोयले का उत्पादन और उसका लदान प्रभावित हुआ है। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच चलने वाली स्थानीय रेल गाड़ियों की गति पिछले सप्ताह से प्रभावित हुई हैं। इसके सम्बन्ध में कदम उठाये जा चुके हैं और स्थिति सुधर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव में उठाई गई शंका का कारण वर्तमान में उत्पन्न कोयले की कमी ही है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय सरकार के वर्ष १९५९–६० के वित्तीय लेखे और जीवन बीमा निगम का दूसरा मूल्यांकन प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के वर्ष १९५९–६० के वित्तीय लेखे और उनके बारे में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९६१।

(दो) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को भारत के जीवन बीमा निगम का दूसरा मूल्यांकन प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३३४३/६१ और एल० टी० ३३४४/६१]।

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचना

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं श्री काननगो की ओर से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ४-क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ६ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४२७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३३४५/६१]।

समुद्र सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम में संशोधन, समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें, और पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड के सरकारी समापक का प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(।) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११९१।

(ख) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२७।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२८ ।

(घ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२९ ।

(ङ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३० ।

(ii) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९३ की एक प्रति ।

(iii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति––

(क) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३३० ।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी०एस०आर० संख्या १३३१ ।

(iv) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति ।

(क) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५-छ के अन्तर्गत पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड (जिसे बंद किया जा रहा है) के सरकारी समापक का प्रतिवेदन (संख्या १९२ अनुबंधों सहित) ।

(ख) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५-छ के अन्तर्गत पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड (जिसे बन्द किया जा रहा है) के सरकारी समापक का अतिरिक्त प्रतिवेदन (संख्या २४२) ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३३४६/६१, एल० टी० ३३४७/६१, एल० टी० ३३४८/६१, एल० टी० ३३४९/६१ और एल० टी० ३३५०/६१] ।

विधेयक पर राय

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ पर जिसे १५ जुलाई, १९६१ तक उस पर राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या १ सभा पटल पर रखता हूं ।

अनुदानों की अनुरपूक मागें (सामान्य) १९६१-६२ के बारे में विवरण

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं वर्ष १९६१–६२ के आय व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

१९६१-६२ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मागें (रेलवे) के बारे में विवरण

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं वर्ष १९६१–६२ के आय व्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें बताने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, मद्रास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ पर श्री सुबोध हंसदा द्वारा ७ सितम्बर १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था "कि हमने जर्मनी से ६०० टन विशेष प्रकार का इस्पात पाने का प्रबन्ध कर लिया है, और अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।" यह उत्तर उस समय प्राप्य जानकारी के आधार पर दिया गया था लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि जर्मन सरकार से बातचीत के परिणामस्वरूप स्थिति बदल गई है। ऐसी आशा की गई थी कि जर्मन सरकार यह इस्पात संस्था को अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जायेगी। बात को बात चीत करने के बाद ज्ञात हुआ कि यह इस्पात अतिरिक्त सहायता के रूप में नहीं मिलेगा बल्कि उस सहायता के एक अंग के रूप में दिया जायेगा जिसके लिये कि वचन दिया जा चुका है अथवा इसका हमें भुगतान करना होगा। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चय किया गया कि इस संस्था के भवन के लिये हम परम्परागत डिजाइन ही अपनायें ताकि विशेष प्रकार के इस्पात की आवश्यकता ही समाप्त हो जाये। इन परिवर्तनों से निर्माण कार्य की प्रगति में कोई बाधा नहीं पहुंची है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस्पात के रूप में सहायता, अथवा किसी अन्य रूप में यह सहायता जर्मनी से मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी ?

†**डा० म० मो० दास**: जर्मनी द्वारा जिस सहायता का वचन दिया गया है वह तो दी जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या ११७६ के उत्तर में शुद्धि

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: इंडियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, कानपुर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ पर श्री सुबोध हंसदा द्वारा ४ सितम्बर, १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारे में मैं ने बताया था कि इंडियन इंस्टीटयूट आफ टेक्नोलोजी, कानपुर में प्रवेश पाने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा लेने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। सही स्थिति यह है कि सभी इंडियन इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलोजी अर्थात खड़गपुर, बम्बई, मद्रास और कानपुर में प्रवेश पाने के लिये १९६१–६२ के चालू सत्र में अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा ली गई थी। भविष्य में भी इसी प्रकार परीक्षा ली जायेगी और प्रवेश हुआ करेंगे।

वित्त मंत्री के विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: यह वक्तव्य २½ पृष्ठों का है क्या मैं इसे पढ़ूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): यह पढ़ा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री महोदय इसे पढ़ें क्योंकि माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई**: (१) आपकी अनुमति से मैं अभी हाल की अपनी विदेश यात्रा का वर्णन पढ़ता हूं।

(२) मैं १० सितम्बर को भारत से बाहर गया था और १० अक्तूबर १९६१ को वापस आया। इस दौरान में मैंने आकरा में होने वाली राष्ट्रमंडलीय आर्थिक परामर्शदात्री परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि की वार्षिक बैठक, और वियना में होने वाली विश्व बैंक की बैठक में भाग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरार जी देसाई]

लिया तथा हंगरी और अमरीका भी गया। हंगरी का भ्रमण उस सरकार के बहुत दिनों से आये निमंत्रण के सिलसिले में था और अमरीकी वित्त सचिव के निमंत्रण के आधार पर मैं अमरीका गया।

(३) राष्ट्रमंडलीय आर्थिक परामर्शदात्री समिति की बैठक पहली बार एक अफ्रीकी देश में हुई। परिषद की इस बैठक में नाइजिरिया, साइप्रस और सीयरा लिओने ने एक स्वतंत्र देश होने के नाते पहली बार अपने अधिकार का प्रदर्शन करने के रूप में भाग लिया। तीन दिवसीय बैठक की चर्चाओं का वृतान्त, जो एक प्रेस विज्ञप्ति रूप में परिषद द्वारा जारी किया गया था, मैं सभा पटल पर रख रहा हूं। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]। सर्व-सम्मति से ये चर्चाएं गुप्त समझी गईं। मैं उसकी कुछ मुख्य बातों की ही चर्चा करूंगा। बैठक की कार्यवाही विश्व की आर्थिक समीक्षा जिसमें राष्ट्रमंडलीय देशों की स्थिति और उनकी प्रगति की संभावनाओं के विशेष उल्लेख के साथ आरम्भ हुई। मैंने इस बैठक में अधिक विकसित और विकास कर रहे अन्य देशों के व्यापार के विस्तार की गति में विद्यमान असमानता का वर्णन किया और यह बताया कि विश्व में विद्यमान असन्तुलन के प्रश्न का दीर्घकालीन हल औद्योगिकृत देशों द्वारा उन नीतियों के अनुसरण से होगा जिसके फलस्वरूप वे विकास कर रहे देशों से न केवल मूल उत्पाद और कच्चा माल वरन बनी बनायी वस्तुएं भी खरीदें।

(४) किन्तु परिषद की बैठकों का ध्यान मुख्यत: जिस प्रश्न पर केन्द्रित रहा वह था यूरोपीय आर्थिक समस्याएं और विशेषकर यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश पाने के लिये ब्रिटेन का आवेदन। ब्रिटेन का मामला वहां के वित्त मंत्री ने रखा। मेरे आकरा जाने से पहले इस बारे में वहां बैठक हुई और वहां जो विचार व्यक्त किये गये उन पर मैंने मनन किया और आकरा में जो भाषण मैंने दिया उसमें मेरे इन विचारों की छाप थी। बैठकों में जो चर्चाएं हुईं उनमें यद्यपि प्रत्येक देश ने इस प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण से विचार प्रकट किये, तथापि साझा बाजार में सम्मिलित देशों की प्रशुल्क और वाणिज्य सम्बन्धी नीतियों में बहुत ठोस परिवर्तन किये जाने से पूर्व साझा बाजार में ब्रिटेन के सम्भाव्य प्रवेश के बारे में सभी देशों ने सामान्य रूप से चिंता व्यक्त की। यह विचार बहुत जोर के साथ व्यक्त किया गया कि जिस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पश्चिमी यूरोपीय देशों के कतिपय अफ्रीकी उपनिवेश यूरोपीय साझा बाजार से सम्बद्ध हैं वह राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र राष्ट्रों की समस्याओं के हल के लिये उचित नहीं होगी।

(५) आकरा से मैं वियना गया जहां मैं ने बैंक निधि की वार्षिक बैठक में भाग लिया। इसमें ७३ देशों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया था। जैसा कि स्वाभाविक था, विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिये यह सम्मेलन अद्वितीय सिद्ध हुआ। बैंक निधि की बैठक प्रत्येक दो वर्ष के बाद वाशिंगटन तथा वियना में हुआ करती हैं। किन्तु इस सम्मेलन की कार्यवाही राष्ट्र संघ के महा मंत्री श्री दाग हैमरशोल्ड के दुखद निधन से प्रभावित हुई।

(६) चार अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं की बैठकों में सामान्य तौर पर यह धारणा व्यक्त की गई कि यदि इन संस्थाओं को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करना है तो उसके संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की जाये। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि और अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि के मामले में इस आवश्यकता का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस निधि के प्रबन्ध निदेशक पिछले कुछ दिनों से अतिरिक्त धन वाले राष्ट्रों से जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली से बातचीत कर रहे थे कि वे कुछ धन उधार लेने वाले कार्य-क्रम के अधीन दे दें। बहुत से गवर्नरों ने विधि के संसाधनों को बढ़ाने पर बल दिया। मैंने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिये जो भी योजना बनाई जाये वह भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जाये और

वह प्रादेशिक या देश विशेष के लिये न हो कर अन्तरांष्ट्रीय हो। निधि के प्रबन्धक निदेशक ने बाद में बताया कि हो सकता है कि सिद्धान्त के आधार पर अतिरिक्त धन वाले देशों से हमारा समझौता हो जाये।

(७) विश्व बैंक की गतिविधियों का वार्षिक पर्यवेक्षण बैंक के प्रेसीडेंट श्री ब्लैक ने अपने भाषण से शुरु किया। इस बैंक की बैठकें प्रायः होती रहती हैं और उन में भारत की तीसरी योजना के लिये भारत को ऋण देने के बारे में विचार किया जाता है। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि से भारत सब से अधिक उधार लेने वाले देशों में से एक देश है। श्री ब्लैक ने भारत की योजनाओं की प्रगति का सविस्तार और ज़ोरदार शब्दों में उल्लेख किया। उन्होंने इस बात का ज़ोरदार समर्थन किया कि विकासोन्मुख देशों को आसान शर्तों पर अधिक से अधिक धन दिया जाये।

(८) बैंक और निधि विषयक औपचारिक बैठकों से बाहर मैं ने समूह की आगामी बैठक और व्याप्ति पर श्री ब्लैक से चर्चा की और इस बैठक को जनवरी १९६२ में किसी समय आयोजित करने पर अस्थायी तौर पर सहमत हुए। वाशिंगटन में भी मैं ने श्री ब्लैक से बात चीत की।

(९) वियना में मैंने आस्ट्रिया से सहायता लेने के बारे में आस्ट्रिया के प्राधिकारियों से बातचीत की। आस्ट्रिया के वाइस चांसलर और वित्त मंत्री दोनों से बातचीत की और उन दोनों ने बताया कि आस्ट्रिया भारत की तीसरी योजना में सहायता देने के लिये इच्छुक है।

(१०) बुडापेस्ट में मैं ने हंगरी के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भेंट की। उन से मैं ने इस भेंट के दौरान में भारत के साथ आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने और सांस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ने के विषय में चर्चा की। हंगरी बराबर औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। बातचीत से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हंगरी तथा भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने की बहुत संभावना है।

(११) वाशिंगटन में मैंने श्री ब्लैक और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन तथा विकास ऋण निधि के पदाधिकारियों के अलावा जो आर्थिक मामलों से सम्बन्धित हैं, प्रेसीडेंट केनेडी, राज्य कोष सचिव श्री डिल्लन, वाणिज्य सचिव श्री होज़ेज और अवर सचिव श्री बोल्ज और श्री बाल जार्ज़ से भेंट की। इस भेंट का उद्देश्य केवल आपसी परिचय बढ़ाना था क्योंकि वहां नया प्रशासन अभी शुरू हुआ है। इस सिलसिले में हमारे आर्थिक विकास के सम्बन्ध में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मैं ने आकरा तथा अन्यत्र औद्योगीकृत देशों द्वारा विकास कर रहे देशों से न केवल कच्चे माल वरन् बनी बनाई वस्तुओं के अधिक निर्यात की सुविधा देने के महत्व का जो प्रतिपादन किया था उस के बारे में अमरीकी प्रशासन का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। मुझे आशा है कि इस दशा में ठोस प्रगति करने के लिये कोई वास्तविक प्रयत्न प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (संस्था) के आगामी सम्मेलन में किया जायेगा जिस में भाग लेने के लिये मेरे साथी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री अभी गये हैं। मुझे यह जानकर भी आश्चर्य नही हुआ कि अमरीकी प्रशासन का रवैया इस बात के प्रति सहानुभूति पूर्ण था कि विकास कर रहे देशों को ऋण वाणिज्य शर्तों पर न दिये जायें अपितु ऋण चुकाने की मुहलत, ऋण अदा करने की अवधि और ब्याज की दर का सम्बन्ध है, ऋण विशेष सुविधाजनक शर्तों पर दिये जायें ताकि उन देशों की अर्थ व्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ न पड़े। मैं ने अमरीका में देखा कि हमारी आवश्यकताओं के प्रति अमरीका का रुख सहानुभूतिपूर्ण है और भारत को सहायता देने के लिये वह देश तैयार है। वह और देशों से भी हमें सुलभ शर्तों पर ऋण दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहा है। साथ ही वह हमारी वस्तुओं को अपने यहां विपणन की सुविधायें देने के लिये भी तैयार हैं। भारत को सहायता देने का दृष्टिकोण अमरीका के प्रशासन तक ही सीमित नहीं है, अपितु अमरीका की जनता के प्रतिनिधि वर्गों को भी हैं जिन से मैं ने वाशिंगटन में बातचीत की। मैंने वहां के विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि भारत की अर्थ व्यवस्था के बारे में वहां

[श्री मोरारजी देसाई]

के प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को महान ज्ञान है। टेक्नोलोजी के मामले में भी वह भारत को सहायता देने के लिये उद्यत हैं। न्यूयार्क में मैं वहां के व्यापारियों तथा उद्योगपतियों से भी मिला और भारतीय विनियोजन केन्द्र की न्यूयार्क शाखा का उद्घाटन किया।

(१२) मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा की स्थिति के बारे में हमें अब भी चिन्ता है। हमें प्रत्येक क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने और साथ ही आयात के बाद बचने वाली विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिये अधिक प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार दोनों ओर से प्रयत्न कर के ही हम अपनी अर्थ व्यवस्था का विकास और आने वाले वर्षों में अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पश्चिम): क्या आकरा सम्मेलन में इस प्रकार का कोई संकल्प रद्द कर दिया गया था कि यूरोपीय साझा बाजार में भारत एक सहयोगी सदस्य बन सकता है।

†**श्री मोरारजी देसाई**: हमने इस संकल्प का ज़ोरदार शब्दों में विरोध किया।

पंचायत के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा में, श्री तंगामणि द्वारा २५ नवम्बर, १९६१ को प्रस्तुत प्रस्ताव, कि पंचायत राज के काम से उत्पन्न स्थिति के बारे में विचार किया जाये, पर विचार होगा।

चौ० रणबीर सिंह: (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय, श्री तंगामणि जी को यह ऐतराज था कि पंचायती राज का उद्घाटन प्रधान मंत्री क्यों करें और प्रधान मंत्री पंचायत दारों और ब्लाक समितियों के मेम्बरों से क्यों मिलें। आप जानते हैं कि प्रस्तावक महोदय जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन के यहां आम तौर पर यह होता है कि प्रधान मंत्री आइरन कर्टेन में रहते हैं और उन का आम जनता से कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन इस देश ने तो तरीका ही दूसरा कबूल किया है। यह जरूरी है कि प्रधान मंत्री पंचायत या ब्लाक समिति के जो मेम्बर चुन कर आये हों उन से मिलें, उन का हौसला बढ़ायें। इस में प्रस्तावक महोदय को कोई डर नहीं होना चाहिये। इस से कोई कांग्रेस पार्टी का दखल होगा या उस का प्रचार होगा। और अगर इस तरह से कोई प्रचार होता है तो वे इस को कहां तक रोक सकते हैं? यह उन के बस की बात नहीं है क्योंकि हम उन को पार्टी की तरह से प्रधान मंत्री को आइरन कर्टेन में नहीं रखते हैं। उन को तो लोगों तक जाना ही है और उन से मिलना ही है।

प्रस्तावक महोदय कल यह चाहते थे कि जो हरिजन हैं वे भी ब्लाक समिति के प्रधान बनें और उन्हों ने अपने हल्के की मिसाल दी। मुझे पता नहीं है कि यह जान कर उन को दुःख होगा या खुशी होगी, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि पंजाब के अन्दर पांच या दस ब्लाक ऐसे होंगे जिन के प्रधान हरिजन हैं। पर पता नहीं उन को यह जान कर दुःख हो या खुशी हो कि कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी मेम्बर पंजाब के अन्दर ब्लाक समिति का प्रधान नहीं बन सका, और न ही कम्युनबिस्ट बन सका। हां, एक बात है, पंजाब के अन्दर पंचायती राज में लोगों ने कितना उत्साह दिखलाया इस का अन्दाजा इसी से हो सकता है कि असेम्बली चुनावों के अन्दर मतदाताओं में से सिर्फ ५० फी सदी ने अपनी राय डाली लेकिन पंचायत के एलैक्शन जब हो रहे थे तो वहां पर, हालांकि मास्टर तारासिंह का पंजाबी सूबा आन्दोलन चल रहा था, ८० फी सदी मतदाताओं ने अपने मत डाले और अपने सदस्यों का चुनाव किया।

(श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं।)

---

†मूल अंग्रजी में

जब ब्लाक समिति के चुनाव हुए तो १०० फी सदी मेम्बरों ने राय दी। इस से यह बात जाहिर होती है कि आज लोग कितनी उत्सुकता से पंचायत राज के तजुर्बे को देखना चाहते हैं और इस तजुर्बे में आगे बढ़ना चाहते हैं।

इस के अलावा उन्हों ने हरिजनों का भी जिक्र किया। मैं उन को बतलाऊं कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि किसी और प्रदेश ने ऐसा किया हो, लेकिन पंजाब के अन्दर हम ने यह किया है अगर किसी ब्लाक के अन्दर जो सदस्य होंगे उन में से कोई हरिजन चुन कर न आये तो जो मेम्बर चुन कर आयेंगे वे चार हरिजनों को सदस्य कोआप्ट करेंगे। मैं नहीं जानता कि मद्रास के अन्दर क्या कायदा रक्खा गया है, लेकिन जहां तक पंजाब का ताल्लुक है वहां यह है कि ब्लाक समिति का जो एलैक्टरोल कालेज बनता है उस के अन्दर सारे पंचायतदारों और सरपंचों को मतदाता माना जाता है। जैसा वह चाहते थे। यहां तक कि पंजाब के अन्दर जो चुनाव हुए उस में भी यह रखा गया था कि जितने सदस्य चुन कर आते हैं उन में से हर पांच सदस्यों के पीछे एक शेड्यूल्ड कास्ट्स का सदस्य चुन कर आयेगा। इस तरह से एक ब्लाक के अन्दर अगर ५०० सदस्य होंगे तो उन में से करीब १०० सदस्य हरिजन होंगे। ऐलैक्टरोल कालेज में इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी पंजाब के अन्दर यह रक्खा गया कि अगर चुनाव में हरिजन चुन कर न आ सके तो हर एक ब्लाक के अन्दर ४ हरिजनों को रक्खा जाये। इस तरह से अगर जिला परिषद् में हरिजन चुन कर न आ सके तो चार हरिजनों को जिला परिषद् कोआप्ट करेगी। यह नहीं, आप जानते हैं कि एक जमाना था, खास तौर पर पिछले जमाने में, जब कि बहनों को पंचायत में जाने का अधिकार नहीं था। ऐसा समझा जाता था कि जहां पंचायत बैठती है वहां वे जा नहीं सकतीं, उन के लिये वहां जाने की मुमानियत थी। लेकिन आज बदले हुए जमाने के अन्दर यह रक्खा गया है कि अगर कोई बहन चुन कर पंचायत में न आये तो हर एक पंचायत में एक बहन जरूर रक्खी जायेगी। इसी तरह से जो ब्लाक समिति होगी उस में भी दो बहनें सदस्य जरूर होंगी। या तो वे चुन कर आ जायं, और अगर वे चुन कर न आ सके तो उन्हें कोआप्ट किया जायेगा। इसी तरह से जिला परिषद् के अन्दर भी उन्हें रक्खा जायेगा।

जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, कई भाइयों को एतराज है कि चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होने चाहियें। वे समझते हैं कि अगर सर्वसम्मति से चुनाव होंगे तो वहां पर किसी खास किस्म के आदमी शायद चुने जायें और वे लोग आगे न बढ़ पायेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि देहात की जिन्दगी अभी तक मिली जुली जिन्दगी है और जो वेस्टर्न तरीके की डिमाक्रेसी है, उस में जो चुनाव की पद्धति है वह उस समाज को दरहम बरहम करने की एक तरकीब है। पंचायत राज के अन्दर हमें इस चीज को बहुत आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये क्योंकि वह पंचायत की बुनियाद को ही खत्म कर देगी। मैं लोकसभा का सदस्य बना, मेरे मुकाबले में चार भाई और खड़े हुए, कोई १०० मील का, कोई ५० मील का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। मेरे रहन सहन का उन से कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस के बावजूद जब कभी भेंट होती है तो कौन नहीं जानता कि हम ने जिन जिन भाइयों को हराया है हम हरीफ की तरह उन की आंखों में रड़कते हैं। हम कितनी ही कोशिश करें, लेकिन उस वैर भाव को भूल नहीं सकते। जिन को गांवों में रहना है, मिली जुली जिन्दगी में अपना जीवन व्यतीत करना है, वहां अगर पंचायत के अन्दर यूनैनिमस एलेक्शन न हों तो हम गांवों की जितनी तरक्की चाहते हैं, हम पंचायती राज की जितनी कामयाबी चाहते हैं वह सम्भव नहीं हो सकती। इस लिये पंजाब के अन्दर जहां यूनैनिमस इलेक्शन हुए पंचायतों को जितना भूमिकर था दिया गया। पंचायतों को इस तरह ४२ लाख रु० की ग्रांट दी गई। इस तरह से ब्लाक समितियों में जहां पर यनैनिमस एलेक्शन हुए, उन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, जहां तक आर्थिक पहलू का ताल्लुक है, पंजाब के अन्दर पंचायतों का बजट २ करोड़ रुपये का है।

[चौ० रणवीर सिंह]

मैं आप को बतला रहा था कि पंचायतों के काम के लिये और पंचायत राज के काम के लिये रुपये की जरूरत होती है। तो पंजाब के अन्दर २ करोड़ रु० का पंचायतों का बजट है और हर एक ब्लाक समिति का तकरीबन ५ या ६ लाख रु० का बजट होगा। कोई २२८ के करीब ब्लाक समितियां पंजाब में बनी हैं, और उसमें शहरों और कस्बों को छोड़ कर सारे पंजाब का इलाका आ जाता है, चाहे वहां ब्लाक हो या न हो। इसी तरह के करीब १६ लाख एकड़ भूमि है और पंचायतों की तरक्की के लिये ७ लाख रु० इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है ताकि वह कोई ऐसा काम धन्धा कर सकें जिस से पंचायत की आमदनी बढ़ सके। प्रस्तावक महोदय को यह जान कर खुशी होगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिन की आमदनी २५ या ३० हजार रु० सालाना है। उन से मैं ५०० रु० की बात नहीं कहता। हमारे यहां एक एक पंचायत की आमदनी २५ और ३० हजार रु० तक है, और हर एक पंचायत की आमदनी और भी बढ़ाई जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि इन पंचायतों को अपने प्रोग्रामों को पूरा करने के लिए लोन दिये जायें जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दिये जाते हैं, पर इन लोन्स पर कोई इंटरेस्ट न लिया जाये। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो केन्द्रीय सरकार लोन देती है उन पर तो वह उनसे सूद लेती है। लेकिन अगर पंचायतें कोई अच्छा काम करने के लिए जैसे अच्छे पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए या आमदनी बढ़ाने का कोई खास काम करना चाहें तो उनको उसके लिये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाना चाहिए और इसके लिए मंत्रालय को प्लानिंग कमीशन से १०० करोड़ रुपये के करीब हासिल करना चाहिए।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मेरा निवेदन है कि पंचायत राज ने देश की जनता को प्रजातंत्र के निकट ला दिया है। लोगों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि जनता के सभी वर्गों द्वारा इस का स्वागत किया जाना चाहिये। पंचायत के चुनावों में काफ़ी हरिजन चुने गये हैं। हरिजनों और महिलाओं के नामांकन का उपबंध भी है। इस कारण इस से सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। पंचायत राज्य का मुख्य उद्देश्य विकास कार्य में सहायता देना है। पंचायतें स्कूल, दवाखाने, सहकारी समितियों आदि की स्थापना के बारे में पहल ही सोच रही हैं और इनसे देश को बहुत लाभ होगा। उन्हें पर्याप्त धन दिया जाये ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें। संभव है कि पंचायतों की अपनी समस्याएं हों किन्तु वे धीरे धीरे हल कर ली जायेंगी। पंचायतों और प्रशासन के अन्य अंगों के बीच मतभेद कम से कम रहना चाहिये। अतः इनका विकास किया जाना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने इन पंचायतों को सभी स्तरों पर पर्याप्त धन देना चाहिये जिससे कि वह जनता का ठोस कार्य कर सकें। अब चूंकि सामुदायिक विकास और जिला परिषदों ने एक वर्ष तक काम कर लिया है अतः उन्हें इन संस्थाओं के प्रभारी व्यक्तियों को एकत्र करने का कार्य करना चाहिये। तथा उन्हें प्रशासन का ऐसा स्वरूप निश्चित करना चाहिये कि जिस से सभी स्तरों पर इन संस्थाओं का विकास संभव हो सके।

प्रत्येक जिले में पंचों का प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम भी चालू होना चाहिये। जिससे उनमें पंचायत राज की वास्तविक भावना भरी जा सके। मुझे विश्वास है कि पंचायतों से देश का बहुत कल्याण होगा।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया): जहां तक मेरा अनुभव है पंचायत राज के स्थान में कांग्रेस राज्य चल रहा ह और कांग्रेस राज्य की सारी बुराइयां पंचायत राज में आ गयी हैं।

निस्संदेह पश्चिम बंगाल की सरकार ने पंचायत राज अधिनियम पारित कर दिया है। तथा कई स्थानों में पंचायतें बन गयी हैं तथापि किसी स्थान पर भी उन्होंने काम करना प्रारम्भ नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रजी में

मेरे विचार में पंचायत राज में वे बुनियादी सिद्धान्त शामिल नहीं किये गये हैं जिन्हें उसमें शामिल करना आवश्यक है । पंचायत राज का वास्तविक उद्देश्य लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण है । तथापि न तो शक्ति को लोकतंत्रात्मक रूप दिया गया है और न ही उसका विकेन्द्रीकरण किया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण दे रही है तथापि मेरा विचार है कि केवल प्रशिक्षण देने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है । वास्तविक आवश्यकता यह है कि जनता में विश्वास और सामाजिक भावना पैदा की जाये । वस्तुतः जब तक पंचायत राज की बुनियादी बातें निर्धारित नहीं की जायेंगी तब तक पंचायत राज सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता है ।

पश्चिम बंगाल में पंचायतों, संघ के बोर्डों और खंडों के बीच समन्वय नहीं है । संघ के बोर्डों में निहित स्वार्थ प्रबल हैं, इनसे खंड भी प्रभावित हुए हैं ।

पंचायती चुनावों में जातिवाद और साम्प्रदायिकता जैसी सभी वे बुराइयां हैं जो अन्य चुनावों में विद्यमान हैं ।

खंड विकास अधिकारी को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं । वे अपने पदों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं । विकास खंड में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के गढ़ बन गये हैं ।

सहकारी समितियों और खंडों के बीच कोई समन्वय नहीं है । सहकारी समितियां प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही हैं ।

†**श्री नरसिंहन्:** (कृष्णगिरि): इस समय देश की सब से बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीणों को उन के युग युग के आलस्य और निरपेक्षता से किस प्रकार जगाया जाये । इसके लिये हम ने पंचायत राज का तरीका अपनाया है । मेरा जहां तक अनुभव है पंचायत राज अपने उद्देश्य में सफल हो कर रहेगा ।

पंचायत संघ परिषदें अपनी प्रारम्भिक कठिनाइयों के बावजूद काम करने लग गई हैं । पंचायतें अपने दायित्व का निर्वाह बहुत ही अच्छे ढंग से कर रही हैं । वे छोटी मोटी संसद् की भांति काम कर रही हैं ।

समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अधिकारी और ग्रामिण नेतागण मिल जुल कर काम कर रहे हैं यह दृश्य भी हमारे सामने है ।

राजस्व के अधिकांश संसाधन लगान से सम्बद्ध हैं इन का अधिक वितरण होना चाहिये । स्थिति में सुधार के लिये कुछ कार्यवाही की जाये ।

संघ परिषद की बैठकें जिला स्तर पर भी होनी चाहियें । पंचायत संघों के सभापति अपनी साझे हित की समस्याओं पर चर्चा कर सकें इसके लिये राज्य के और अखिल भारतीय स्तर पर कोई व्यवस्था की जाये ।

श्री भोलानाथ विश्वास (कटिहार): चेयरमैन महोदया, पंचायती राज के बारे में बहुत सी चर्चा यहां पर हुई है और माननीय सदस्यों ने अपने विचार आपके सामने रखे हैं । इस पर काफी चर्चा की जा सकती है । जहां तक मैं समझ पाया हूं पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण जनता जो कि पिछड़ी हुई है, उसको ऊंचा उठाया जाये, उसके स्तर को ऊंचा किया जाये । यह तभी हो सकता है अगर जितनी भी आवश्यक सुविधायें हैं वे उनको पहुंचाई जायें और उनको सभी सम्भव साधन उपलब्ध किये जायें । इस को दृष्टि में रख कर हमारी सरकार ने एक पंचायत एक्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भोलानाथ विश्वास]

बनाया है और उसके जरिये पंचायतों की स्थापना की है । इसके साथ ही साथ ब्लाक्स की भी स्थापना की गई है। मैं समझता हूं कि देहातों की जनता तक पहुंचने के लिये यह एक अच्छा तरीका है जो कि अपनाया गया है । अपने इस प्रयास में हम अपने आप को तभी सफल हुआ समझ सकते हैं अगर ग्रामीण जनता के रहन सहन में उन्नति हो, उस को शिक्षा की तमाम सुविधायें उपलब्ध हों, उनको चलने फिरने के लिये सड़कें मिलें, उनके दवा दारू का संतोषजनक प्रबन्ध हो । संक्षेप में अगर कहा जाये तो कहा जा सकता है कि हम सफल हुए तभी समझे जायेंगे अगर शहरों में रहने वालों के बराबर की सुविधायें ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता को भी उपलब्ध हो जायें ।

पंचायतों के जरिये हम गांवों का बहुमुखी विकास करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह विकास, यह उन्नति तब तक सम्भव नहीं हो सकती है जब तक कि पंचायतों को पूरे शासन के अधिकार नहीं दे दिये जाते हैं। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि जो अधिकार भारत सरकार के या पार्लियामेंट के हैं वे सभी अधिकार उन को सौंप दिये जायें । लेकिन उन के दायरे में जितने भी अधिकार आते हैं, वे उनको पूर्ण रूप से दे दिये जाने चाहियें । जब तक उनको ये अधिकार नहीं मिलते हैं तब तक मैं समझता हूं कि ग्रामीण जनता को आवश्यक सुविधायें पहुंचाने का काम, उसके स्तर को उन्नत करने का काम वे सुचारू रूप से नहीं कर सकेंगी ।

कुछ वर्ष पहले जो शासन व्यवस्था थी, उसके अन्तर्गत जिले को एक यूनिट माना जाता था और उसके द्वारा राज्य अपना शासन चलाता था । उस समय जो जिले का इंचार्ज हुआ करता था, डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर उसके पास बहुत ही कम वैलफेयर के काम होते थे, बहुत ही कम डिवेलपमेंट के काम होते थे । उसका काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना और ला एंड आर्डर को मेनटेन करना होता था । लेकिन आज डेवलपमेंट के सारे काम भी उन्हीं के ऊपर दे दिये गये हैं जिनको सुचारू रूप से आसानी से उनके लिये चलाना मुश्किल हो गया है । इस वास्ते यह पंचायती राज अस्तित्व में आया है । यह जो पंचायती राज है यह बहुत बढ़िया प्रयोग है जिसके द्वारा हम डिवेलपमेंट का काम कर सकते हैं । इसकी सफलता का मापदण्ड पंचायती राज एक्ट का सफलीभूत होना है । यह एक्ट भी सफलीभूत होगा जब कि गांवों का उत्पादन बढ़ जाए, वहां के रहने वाले लोगों को सही रूप में रोजगार मिल जायें, सही रूप में साधन मिल जायें । इस व्यवस्था को चलाने के लिए इन वेलफेयर के कामों को करने के लिये हमारे यहां जिला परिषदें या म्यूनिसिपैलिटीज भी हैं । लेकिन वे आजकल इस तरह के कामों को सही रूप में नहीं कर पाती हैं, इस वास्ते हम ज्यादा जोर पंचायत राज के ऊपर देते हैं और इनके द्वारा हम लोग डिवलपमेंट के काम करवानाजचाहते हैं ।

पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य जैसा मैंने कहा है यही है कि विकास का सारा कार्य उनके द्वारा किया जाए । विकास कार्य जो हुए हैं वे सफल हुए हैं या नहीं, इसका पता इसी से चल सकता है कि गांवों के रहने वाले लोगों का स्तर कम से कम उसी ढंग का हो पाया है या नहीं जैसा कि शहर वालों का है, या उनको भी वही सुविधायें सुलभ हो गई हैं या नहीं जैसी कि शहर वालों को मिली हुई हैं ।

पंचायती राज को सफल बनाने के लिये मैं समझता हूं कि यह सब से जरूरी बात है कि उनके पास अपना कोष हो । उनके पास इतना अधिकार अवश्य होना चाहिये कि वे अपने कोष रख सकें । उनको राज्य सरकारों से जो अनुदान प्राप्त होता है वह तो होता ही रहेगा लेकिन साथ साथ उनके पास जब तक अपना कोष नहीं होता है तब तक उनका काम सुचारू रूप से नहीं चल सकता है । राज्य सरकारों को भी भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं लेकिन फिर भी जिस प्रकार राज्य सरकारों के अपने कोष हैं, उसी प्रकार से पंचायतों को भी अपने कोष रखने का अधिकार होना चाहिये, कोष पैदा करने का अधिकार होना चाहिये ।

आजकल देखा जाता है कि हमारे जो ग्राम पंचायतों के मुखिया हैं या जो प्रमुख हैं या जो अध्यक्ष हैं, उनको उतने अधिकार प्राप्त नहीं हैं जितने अधिकार कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को प्राप्त हैं और इसका नतीजा यह होता है कि वे उनके पंजों से बाहर निकल नहीं पाते हैं। उनको इस कारण से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं कर दी जाती है कि जो उनकी मदद करने वाले हैं, जो उनके कर्मचारीगण हैं, उन पर उनका पूरा शासन हो, तब तक उनको उनसे पूरा पूरा सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। इस वास्ते यह बात जरूरी है कि कर्मचारियों पर उनका पूरा शासन हो। आजकल देखा गया है कि वहां पर ऐसे-ऐसे उनके असिस्टेंट हैं जिनका उनको पूरा सहयोग न मिलने के कारण जितना काम होना चाहिये था नहीं हो पाया है। अगर उनको उनका पूरा पूरा सहयोग मिला होता तो काफी उन्नति हो सकती थी। मेरा यह पक्का विश्वास है कि ब्लाक्स के जरिये जितना पैसा खर्च किया गया है उसको अगर सही कामों के लिए खर्च किया गया होता तो हम बहुत आगे बढ़ चुके होते लेकिन दुःख की बात है कि हमारे यहां जो ब्लाक आफिसर भेजे जाते हैं वे ऐसे होते हैं जो कि कालेज से निकले होते हैं और उनको थोड़े दिन की ट्रेनिंग देकर ब्लाक आफिसर बना कर भेज दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां जो काम करने वाले पुराने कर्मचारी होते हैं, जो कि उसकी मदद करने के लिये रखे जाते हैं, वे इस तरह से कार्य करते हैं कि ब्लाक आफिसर अपने आप को लाचार अनुभव करता है और बिना उनकी राय के काम नहीं कर पाता है और उसको उनके पंजे में फंस जाना पड़ता है। वे समझदार तो होते हैं लेकिन चूंकि नए नए कालेजों से निकले होते हैं और काफी अनुभव नहीं होता है इस वास्ते उनके लिए उनके पंजे से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते में चाहता हूं कि केवल उन्हीं को ब्लाकों में भेजा जाये जिन्होंने कि कम से कम पांच बरस तक मैजिस्ट्रेटी का काम कर लिया हो। अगर ऐसा किया गया तो वे सही रूप में काम कर सकेंगे।

आज इसकी भी चर्चा होती है कि मार्च का महीना जब आता है तो लोग इधर उधर दौड़ते हैं और रुपया किसी न किसी तरह से खर्च करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जैसे तैसे वे रुपया खर्च कर देते हैं और उसका कोई लाभ नहीं निकलता है। रुपया खर्च करने के बाद वे फिगर्ज भेज देते हैं कि इस काम में इतना रुपया खर्च किया गया है और इतनी सफलता प्राप्त कर ली गई है। लेकिन होता यह है कि उस रुपये को सही रूप में खर्च नहीं किया जाता है। जहां जहां हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं और ओवरसीयर हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके काम करने का ढंग बहुत ही गलत होता है। वे समझते हैं कि जैसे ही कोई कल्वर्ट बन गया, या नहर खुद गई, उनका काम समाप्त हो गया। लेकिन यह चीज स्थायी नहीं होती है, थोड़े दिन तक ही चलने वाली होती है। इसका नतीजा यह होता है कि जो पैसा उस पर खर्च किया जाता है वह बरबाद जाता है। इस वास्ते ऐसे जो काम किये जाते हैं उन पर निगरानी रखी जानी चाहिये।

यह कहा जाता है कि १९६३ तक सारे देश में ब्लाकों की स्थापना हो जाएगी और सारा काम सुचारू रूप से प्रारम्भ हो जाएगा। जिस ढंग से आजकल ब्लाक खोले गये हैं या जिस ढंग से आज उनका काम होता है यदि इसी ढंग से वह होता रहा तो मेरा पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिये हम आगे बढ़े हैं और जिस उद्देश्य को हमने हाथ में लिया है, वह पूरा नहीं हो सकेगा। आज जब हम किसी चीज की फिगर्ज को देखते हैं तो पाते हैं कि नीचे के जो लोग हैं वे सही रूप में फिगर्ज नहीं देते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि पार्लियामेंट तक को गलत फिगर्ज पहुंच जाते हैं और बता दिया जाता है कि प्राडक्शन तने प्रतिशत बढ़ गया है, एग्रीकल्चर में इतनी तरक्की हो गई है। इस वास्ते जब तक हमारे ब्लाक के अफसर के और पंचायत के मुखिया वगैरह के कर्मचारी इस ढंग से नहीं हो जाएंगे कि ठीक रूप में अपनी जिम्मेवारी को समझने लगें तब तक जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं, उस तक हम पहुंच नहीं पायेंगे और वह पूरा नहीं होगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाए।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : सभानेत्री महोदया, पंचायत राज का भारतवर्ष में जो प्रचलन हुआ, उससे बड़ी-बड़ी आशायें थीं, और यह खयाल था कि गांवों का बहुत विकास होगा और पंचायतें इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में अच्छी यूनिट बन सकेंगी। लेकिन तजुब ने बतलाया कि वह सब उम्मीदें ख्वाब में मिल गईं। जाहिर है कि पंचायत राज का मतलब यह है कि देश में जो ५ लख ५८ हजार गांव हैं, उनके रहने वाले लोग डिमाक्रेटिक सेट अप में भागीदार हों और हमारे गांवों की तरक्की हो, गांव में सुख समृद्धि आये। लेकिन अनुभव ने हमें बतलाया कि आज हमारे गांवों में पंचायत राज नहीं है, बल्कि आफिशल राज है। बहुत से आफिसर हैं, चाहे कलेक्टर हो चहे ए० डी० एम० हो, चाहे तहसीलदार हो जब ये गांवों में आते हैं तो हैट लगा कर और पतलून पहन कर रोब जमाते हुए आते हैं और सब अपनी अपनी बात कहते हैं। समझ में नहीं आता कि किसके हुक्म की तामील हो और कैसे हो।

आप एक बात देखिए कि पंचायत का प्रधान तो एक जगह का होता है लेकिन उसके नीचे जो सेक्रेटरी होता है वह बीस गांवों के लिए होता है, कभी ३० गांवों के लिये होता है। एक अजीब बात है कि जो राजा है वह तो एक गांव का है और जो उसका मंत्री है वह २० या ३० गांव का है। जाहिर है कि जो पंचायत सेक्रेटरी २० गांवों का काम सम्भालता है वह किस तरह से सारा काम सम्भाल सकेगा। इसी तरह से जो गांव पंचायतें हैं उनको कोई अख्त्यारात नहीं हैं। अगर मेरी जमीन है और उस पर किसी दूसरे का नाम है तो मेरे चाहने पर भी गांव पंचायत उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसको इसका अधिकार नहीं है। वह मामला तहसील में जाये या कलेक्टर के पास दख्वास्त जाय तब ही परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिये कि मैं अपने पिता जी का एक ही वारिश हूं, लेकिन पंचायत को अधिकार नहीं है कि मेरे पिता जी का नाम निकाल कर मेरा नाम जोड़ सके। इस तरह से पंचायत एक मजाक सी हैं, उनको कोई अख्त्यारात नहीं, उनके काम करने का कोई ढंग नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पंचायतों को तरक्की करनी देनी है और सही रूप में प्रजातांत्रिक प्रणाली में भागीदार बनाना है तो पंचायतों को सही रूप में स्वतंत्रता देनी होगी, पंचायतों को अधिकार देने होंगे।

मेरे जिले में एक पंचायत गोष्ठी हुई और उसमें सवाल हुआ कि क्या पंचायतों के प्रधान और सरपंच अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। मैंने उसमें पूछा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बैठे हैं, सरकार है और प्राविशल सरकारें हैं, वे सही रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं या नहीं। आज सवेरे पोर्तगीज हमले का जिक्र किया गया। प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। जब वे तैयार नहीं हैं तो जिम्मेदारी कौन सम्भाल सकता है? खाली पंचों पर यह आरोप लागाना कि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, यह मैं सही तौर से समझ नहीं पाता हूं। यह एक मजाक है और अगर इस किस्म की बात जारी रहेगी तो न पंचायतों का कोई विकास हो सकेगा न गांवों की कोई उन्नति। यहां मंत्री बैठते हैं, हम सब बैठते हैं और संविधान ने एक जिम्मेदारी सौंपी है अगर कर्त्तव्यों का प्रश्न नहीं है तो आगे की कार्रवाई कैसे होगी? मैं पंचायतों के लिये कुछ सजेशन्स देना चाहूंगा।

मैं चाहता हूं कि पंचायतों का जो चुनाव हो उसके अन्तर्गत खाली प्रधान का ही चुनाव हो और जो अमरीकन प्रेजीडेंट के चुनाव का पैटर्न है उस पर आधारित हो। जो पंच हों वह प्रधान की राय से रखे जायें और गांव के सलाह मशविरे से रखे जायें। पांच पंच हों बजाय इसके कि २५, २८ या ३० पंच हों। उसका सभापति जो हो अगर उस पर अविश्वास का प्रस्ताव पास करना हो तो पूरे गांव के लोगों की मीटिंग हो और उसमें अविश्वास प्रस्ताव हो सके।

इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि गांव के लेबेल पर जितने वर्कर हों, चाहे स्कूल टीचर हों, चाहे लेखपाल हों पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे अमीन हों, वह पंचायत के अधीन रखे जाय। पंचायतों को इस तरह से बनाना चाहिये कि वह सेल्फ सफिशिएन्ट हों। जो भी काम होता है गांवों में, चाहे सड़कें बनाने का काम हो या दूसरा काम हो, उन सभी के बारे में श्रमदान की चर्चा होती है। पंचायतों के पास पैसा तो है नहीं, किसी पंचायत को २०० रु० का बजट फंड होता है किसी को ५०० रु० का। जाहिर है २०० या ५०० ० से सड़क बनाने का काम नहीं हो सकता। इसलिये जब भी सड़क बनाने की बात कही जाती है तो कहा जाता है कि श्रमदान होना चाहिये। लोग श्रमदान करते हैं, लेकिन अगले वर्ष जब वर्षा होती है तो सड़कों का मिट्टी बह जाती है। उसे पक्का करने का कोई साधन नहीं है पंचायतों के पास। इसलिये मेरा सुझाव है कि गांव की जो आमदनी हो, चाहे लगान से, चाहे आबपाशी से, उसका $^{1}/_{4}$ भाग गांव को मिलना चाहिये और उसे इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में भागीदार बनाना चाहिये। उसको आमदनी में से हिस्सा मिलना चाहिये। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि भूमि के इन्दराज के बदलने के सिलसिले में, लगान वसूली के सिलसिले में और आबपाशी की वसूली के सिलसिले में पंचायत को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये, भले ही कलेक्टर साहब या तहसीलदार साहब देख भाल करने के लिये आ और मुआयना करें। वक्तन, फवक्तन गल्तियां हों तो आ कर बतलायें, उनका आडिट हों, यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक गांव पंचायत को पूर्ण रूप से काम करने का हक नहीं मिलता तब तक पंचायत राज की बात स्वप्नमात्र है।

इसी के अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि आफिसर्स का जो दबाव है वह भी खत्म होना चाहिये। खेद की बात है आफिसर्स जाया करते हैं और पंचायत गांव के लोगों को फटकारते हैं, अशिष्ट बर्ताव करते हैं। जब भी गांवों की प्लैनिंग का सवाल आता है तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्लैनिंग वही लोग करते हैं जो शहरों में बैठे हुए हैं। प्लैनिंग कमीशन में वही लोग हैं जो कभी गांवों में नहीं जाते। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो गेहूं और जौ की बालों में फर्क नहीं बतला सकते, जो यह नहीं जानते कि गांवों का काम काज कैसे होता है। प्लैनिंग कमीशन में वही लोग हैं जो शहरों में रहने वाले हैं, जिन्होंने कभी गांवों की तरफ देखा भी नहीं, जो गांवों में कभी गये नहीं। भला बतलाइये कि वे किस तरह से गांवों के सिलसिले में प्लैनिंग का काम कर सकते हैं। मुझे इस चीज को देख कर बड़ी हंसी आती है। मैं कहूंगा कि गांवों की प्लैनिंग और पंचायतों के सिलसिले में जो गवर्नमेंट के नक्शे हैं वह गलत हैं और उनको सही होना चाहिये। गांवों में काम करने वाले वही लोग होने चाहिये जो कि गांवों से वास्ता रखते हों। अभी दूसरा वर्ष है, मैं देहरादून गया। वहां रिफ्रेशर्स कोर्स का स्कूल है। वहां पर १२ ट्रेनीज थे और २५ पढ़ाने वाले थे। वहां पर जो १२ ट्रेनीज थे उन से मैंने पूछा कि १२ में से कितने आदमी ऐसे हैं जो गांवों से सम्बन्धित हैं। मुश्किल से एक आध आदमी उठा। उन्होंने कहा कि हमारे दादा साहब गांवों में रहा करते थे, हम तो शहरों में रहते हैं। इस स्किम की हालत है कि जिन लोगों का गांवों की जिन्दगी से कोई वास्ता नहीं, वह गांवों में जाकर के गांवों की तरक्की के सिलसिले में सोच नहीं सकते हैं, तो फिर वह इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि रबी और खरीफ आन्दोलन की चर्चा चलती है। गांव वालों को बतलाया जाता है कि रबी और खरीफ आन्दोलन क्या है। बाजे बजाये जाते हैं, और उसके बाद वे चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रबी और खरीफ के बारे में गांव वाले नहीं जानते हैं, उन लोगों को उसे बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि सही और से सरकार पंचायत को बनाये और उनकी रहनुमाई करे। तभी काम हो सकता है।

ब्लाक्स का जिक्र किया गया। मैं सदा सदन में मांग किया करता हूं कि कम्यूनिटी डेवेलपमेंट पार्टमेंट को को खत्म कर दिया जाये और उसकी ऐक्टिविटीज को विभिन्न महकमों में बांट दिया

[श्री मोहन स्वरूप]

जाय। यहां डुप्लिकेशन बहुत होता है, सरकार द्वारा अलग से पंचायत एग्रीकल्चर, कोआपरेटिव, हैल्थ, प्लानिंग के महकमे बने हुए हैं और ब्लाक लेविल पर भी बने हुए हैं। इससे समय नष्ट होता है। मैं जब ब्लाकों में जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि ब्लाकों के अन्तर्गत यह आर्मी की आर्मी गांवों की तरक्की के लिये बनी हुई है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है तो फिर क्या है कि गांवों का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, सभी जगह एक ग्लमी पिक्चर नजर आती है। सब जगह लोग हतोत्साहित हैं। मैं नहीं समझ पाता कि क्यों गवर्नमेंट महसूस नहीं करती कि गांवों के अन्दर क्या हो रहा है। वह क्यों नहीं सोचती कि गांवों में कुछ नहीं हो रहा है और रुपया फजूल खर्च होता है। अभी श्री घोशाल ने बतलाया कि जीपें सिनेमा देखने के लिये इस्तेमाल होती हैं। ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स या दूसरे आफिसर्स की मर्जी पर वह चला करती हैं। मैं सजेशन पेश करता हूं कि ब्लाकों में से जीपें हटा ली जाय। ब्लाकों में तो बैलगाड़ी या घोड़ा देना चाहिये ताकि उस पर दौरा करके ठीक ढंग से जन सम्पर्क किया जाये क्योंकि उन पर हर स्थान में पहुंचा भी जा सकता है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : घोड़ों का चना खा जायेंगे।

श्री मोहन स्वरूप : घोड़ों के लिए तो गांवों में चना और घास बहुत मिलेगी और अगर माननीय सदस्य गांवों में जाय तो जौ कुछ रूखा सूखा उनके पास होगा वह उनको खिलायेंगे। अभी गांवों में इतनी सभ्यता बनी हुई है।

तो मैं चाहता हूं कि जो पंचायतों के सरकारी नक्शे हैं वह दुरुस्त हों और सही तरीके से काम चलाया जाए। तभी गांवों का विकास संभव होगा, वरना ये सारी चीजें बेकार जाएंगी।

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** (छतरपुर) : वास्तव में हमारी चर्चा का विषय यह है कि पंचायत राज के कारण हमारे देश में क्या स्थिति पैदा हुई है। इस पर चर्चा करना इस कारण आवश्यक है कि प्रशासन में एकरूपता बनी रहना आवश्यक है। मुझे दुख है कि वास्तविक स्थिति को देखते हुए हम नहीं कह सकते हैं कि प्रशासन में किसी प्रकार की एक रूपता बनी रही है। वस्तुतः पंचायत राज्य का उद्देश्य शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना है। तथापि इससे यह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं आपको इसके समर्थन में कई तथ्य दे रहा हूं।

दुख की बात यह है कि स्थानीय निकायों के रूप में जो प्रशासन शक्ति जिला बोर्ड के हाथों में थी वह भी धीरे धीरे राज्य सरकार के पास चली गयी है। राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वह पंचायत के विधेयकों को पारित करें इन विधेयकों को केन्द्र की सहमति के लिये भेजा जाता है वहां भी इन विधेयकों पर किसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य नहीं होता है। फलस्वरूप पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के बीच कोई एक रूपता नहीं है। तथापि इनके कार्य में एकरूपता नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कार्य पालिका शक्ति अभी तक सरकारी अधिकारियों के हाथ में है। तथा पंचायती निकायों के हाथ में केवल कुछ सिफारिशों के करने की ही शक्ति है। शक्ति का वास्तविक विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। सरकार ग्रामों के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करे जिसके बिना वे कोई विकास कार्य नहीं कर पायेंगे। उत्पादन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क से प्राप्त आय का कुछ भाग ग्रामों के विकास के लिये नियत रखा जाये।

सरकार का कर्त्तव्य है कि राज्यों से पंचायतों के प्रधान, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को अधिक अधिकारों के देने के लिये कहें, कार्यपालिका अधिकारी का पद समाप्त कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : पंचायत का वास्तविक उद्देश्य यह था कि गांवों की जनता को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायें और स्वराज्य को जनता तक पहुंचाया जाये ।

वस्तुत: स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही महात्मा गांधी का यह उद्देश्य था कि शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाये और भारत की सामान्य जनता को प्रशासन में अधिकार दिये जायें । अस्तु इसका संविधान में भी सन्निवेश कर दिया गया है ।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण से ग्राम्य क्षेत्रों में जागृति उत्पन्न हो गयी है ।

यद्यपि लोग चुनावों आदि में बहुत रुचि दिखा रहे हैं वे उतनी रुचि सामुदायिक विकास या योजना की पूर्ति संबंधी कार्यक्रम में नहीं ले रहे हैं ।

पंचायत राज्य आन्दोलन का सामाजिक प्रभाव इतना क्रियाकारी सिद्ध नहीं हुआ है । चुनावों के तरीकों के फलस्वरूप परस्पर झगड़े बढ़ रहे हैं । इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये ।

इस समय पंचायत समिति तथा खण्ड विकास प्रशासन में परस्पर निरन्तर तनाव रहता है । अलग पदालि कायम की जाये ताकि पंचायत समितियों में काम कर रहे अधिकारियों को सरकार के अधीन स्थानान्तरित न किया जा सके । मालगुजारी के काम विकास कार्य से अलग रखा जाये ।

श्री रघुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी चर्चा आज यहां पर हो रही है, वैसी ही चर्चा आज से ढाई हजार वर्ष पहले हिन्दुस्तान में हुई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की मौजूदगी में ?

श्री रघुनाथ सिंह : प्राचीन काल में अजातशत्रु के मंत्री, व सरकार, ने भगवान बुद्ध से पूछा कि बज्जियों लोगों के छोटे छोटे गणतंत्रों पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है । इस विषय में भगवान् बुद्ध से उन से तीन प्रश्न पूछे । उनका पहला प्रश्न यह था कि क्या वे लोग सन्निपात बहुल हैं या नहीं, अर्थात् उन की मीटिंग्ज़ रोज़ हुआ करती हैं या नहीं । दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वे वृद्धों और बुद्धिमानों का आदर करते हैं या नहीं और तीसरा प्रश्न उन्होंने यह पूछा कि क्या वे लोग अपने छोटे छोटे गणतंत्रों के सार्वजनिक धन और आय में से कुछ हिस्सा लेते हैं या नहीं । उत्तर देते हुए अजातशत्रु के मंत्री ने कहा कि वे लोग सन्निपात-बहुल हैं , अर्थात् उन की मीटिंग्ज़ प्राय: हुआ करती हैं, वे वृद्धों और बुद्धिमानों का आदर करते हैं और कोई भी आदमी सार्वजनिक सम्पत्ति से एक पैसा भी नहीं लेता है । इस पर भगवान् बुद्ध ने मंत्री को कहा कि अजातशत्रु को जा कर कह दो कि लिच्छवियों पर विजय नहीं पाई जा सकती है । इस कथा में इस सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है कि व्यष्टि के स्थान पर समष्टि का आदर होना चाहिए ।

इतिहास में आप देखेंगे कि वैदिक काल से लेकर चौथी शताब्दी बी० सी० तक वैस्टर्न पंजाब में स्थित छोटे छोटे गणतंत्रों के कारण विदेशी लोग भारत में प्रवेश करने में सक्सेसफुल न हो सक । अलग्ज़ैंडर को भी इसीलिए पीछे हटना पड़ा, क्योंकि छोटे छोटे गणतंत्रों ने उस का सामना किया । इस से यही प्रकट होता है कि छोटी छोटी पंचायतें किसी भी देश की रीढ़ हैं । उन से देश के नौजवान बनते हैं । उन के द्वारा देश के नौजवानों को लोकतंत्र की शिक्षा प्राप्त होती है, उन के हृदय में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि की भावना उत्पन्न होती हैं और उन को ज्ञात होता है कि सारा देश और सारी जनता उन की है और उन के लिए उन को काम करना है । किसी देश का शासन चलाने में जो संस्थायें भाग लेती हैं, पंचायत उन की शृखला में सब से प्रारम्भ की कड़ी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

महात्मा जी के अनुसार डेमोक्रेसी की परिभाषा थी राम-राज्य। वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान में राम-राज्य स्थापित होना चाहिए। राम राज्य का अर्थ यह है कि इस देश में हर एक आदमी का शासन में हक होना चाहिए और हर एक आदमी यह समझे कि यह देश और यह शासन हमारा है और हम भी देश के शासन में हिस्सा लेते हैं, पंचायतों, असेम्बलीज़ और पार्लिमेंट के मेम्बर यह समझें कि वे देश के शासन में हिस्सा लेते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने शासन के विकेन्द्रीकरण का मार्ग दिखाया। यहां पर इंग्लैंड और फ्रांस की तरह कोई यूनिटरी फ़ार्म आफ़ गवर्नमेंट तो है नहीं। इसलिए शासन के विकेन्द्रीकरण के पीछे भावना यह है हिन्दुस्तान का प्रत्येक आदमी यह समझे कि भारतवर्ष मेरा है और उस के शासन में मेरा हाथ है, यहां पर केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू शासन नहीं करते हैं, बल्कि पंचायत का सरपंच गांव सभा का सदस्य किसी न किसी रूप में इस देश के शासन में हाथ बंटाता है।

इसलिए हिन्दुस्तान में यह एक नया प्रयोग आरम्भ हो रहा है, जिस को अगर हम ठीक तरीके से चलायें, तो इस देश में वास्तविक लोकतंत्रीय शासन स्थापित हो सकता है। हिन्दुस्तान में अभिजातवर्ग के शासन, आलीगैर्की या अरिस्टोक्रैसी के शासन की कोई गुंजायश नहीं है, क्योंकि हमारे यहां इतनी जातियां, धर्म और सम्प्रदाय हैं कि एक जाति या सम्प्रदाय के शासन को मानने के लिए दूसरे लोग तैयार नहीं होंगे। जब हिन्दुस्तान के लिए यह लोकतंत्र का ही मार्ग है, तो उस को मज़बूत करने के लिए यह सब से आवश्यक है कि छोटे छोटे स्थानों से ले कर केन्द्र तक, प्रारम्भ से लेकर शीर्ष तक हम एक ऐसी कड़ी स्थापित करें कि लोकतंत्र का अनुभव सब लोगों को हो और वे समझें कि हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र है। इसलिए देश में जो अभिनव प्रयोग चल रहा है, उसको सफल बनाने की हम को तैयारी करनी चाहिए।

हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि पंचायत राज की व्यवस्था में कुछ दोष हैं और बी० डी० ओ० जीप ले जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में भगवान् रामचन्द्र के समय राक्षस लोग थे और श्री कृष्ण के समय कंस था। भगवान् ने स्वर्ग और नरक दोनों बनाए हैं। पहले भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के व्यक्ति थे।

उपाध्यक्ष महोदय : गिनती किन की ज्यादा थी ?

श्री रघुनाथ सिंह : दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर आप चाहें कि सब लोग अच्छे हो जायें, तो वह असम्भव है। पंचायतों में अच्छे लोग भी हैं। और ऐसे भी हैं, जिन के दिमाग़ खराब हैं और उन के लिए शासन है। अराजकता को रोकने के लिए ही शासन की स्थापना हुई है।

श्री व्रजराज सिंह (फ़िरोजाबाद) : अगर शासन का ही दिमाग़ खराब हो जाये, तो क्या होगा ?

श्री रघुनाथ सिंह : तो लोगों का भी हो जायगा। अगर शासन का दिमाग़ खराब होगा, तो लोगों का भी हो जायगा और अगर लोगों का दिमाग़ खराब होगा, तो शासन का भी हो जायगा। यह तो **वाइस वर्सा** है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर ऐसी हालत में कोई खराब नहीं रहेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : महात्मा गांधी जी ने जो मूल सिद्धान्त हमारे सामने रखा और उस के अनुसार जो अभिनव प्रयोग इस देश में हो रहा है, उस को हमें सफल बनाना चाहिए। उस के दोषों की तरफ़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस के गुणों को देखना चाहिए। यदि हम दोषों को देखेंगे, तो फिर हम को दोष ही दोष प्राप्त होंगे। इस लिए हम को गुण देखने चाहिए और उन गुणों से लाभ उठाना चाहिए और इस तरह पंचायतों को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री पद्म देव (चम्बा): उपाध्यक्ष महोदय, सब का प्रयत्न सुख, शान्ति प्राप्त करने और सम्मान-पूर्ण जीवन व्यतीत करने का है। कहा गया है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना--देश, काल और वृद्धि के मुताबिक लोगो के साधन भिन्न भिन्न हैं। परन्तु यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पुलिस, फौज और एटम बम निहायत ही विफल साधन सिद्ध हुए है। इसमें कोई शक नहीं है कि मानवता के विकास की दिशा में ये साधन बिल्कुल असफल हुए हैं। भारतवर्ष के नेताओं ने ठीक समय पर पंचायत-राज का जो सिद्धान्त जनता के सम्मुख रखा है और उसको क्रियान्वित किया है, उसके लिये वे प्रशंसा के भागी हैं। जब तक मानवता का विकास नहीं होगा, तब तक संसार में कभी भी सुख और शान्ति नहीं हो सकती है। और मानवता का विकास होगा व्यक्ति के विकास से। और व्यक्ति तब विकसित होगा, जब उसको कार्य करने की स्वतन्त्रता और कार्य करने के अवसर और साथ ही साथ पथ-प्रदर्शन मिलेगा।

पंचायत राज के सम्बन्ध में जो विचार यहां पर प्रकट किये गये हैं, उनसे ऐसा लगता है कि आज भी हम अंग्रेजी राज्य में रह रहे हैं और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, वे सबके सब अंग्रेजों के एजेन्ट हैं और देश का भला चाहने वालों का ज़रूरी तौर पर उनके साथ लड़ाई, झगड़ा और वैमनस्य है। आज के युग में सरकारी कर्मचारियों, नेताओं और साधारण जनता सब का यही प्रयत्न होना चाहिये कि देश का विकास करके उसको समृद्धिशाली शक्तिशाली बनाया जाये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने गांव को इकाई बताया था और गांव में भी व्यक्ति का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद में कहा गया है, "मनुर्भव जनय दैव्यं जनः", अर्थात् आदमी बनो और अच्छे आदमी पैदा करो। उस में देश, काल और जाति का कोई वर्णन नहीं है। केवल यही कहा गया है कि आदमी बनो और अच्छे आदमी पैदा करो। यह हमारी प्राचीन परम्परा का सिद्धान्त है और उसके मुताबिक ही जो प्रयत्न किये जायें, वही ठीक ढंग के हैं।

जब हमने स्वराज्य के लिये प्रयत्न किया, तो हम गलियों में लैम्पों वगैरह और नौकरियों की मांग करते थे। धीरे-धीरे होम रूल की मांग, पुनः पूर्ण स्वतन्त्रता, आज़ाद होने के बाद हमने अपने देश के विकास के लिये योजनायें बनाईं। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है कि जब पंचायत-राज की रूप-रेखा सामने रखी गई, उसके फौरन बाद वे आपत्ति करना शुरू कर देते हैं। यह तो वैसी ही बात है कि आज ही बच्चा पैदा हो और हमने यह सोचना शुरू कर दिया कि बच्चा जियेगा या नहीं, बड़ा हो कर कहीं यह देश का ग़द्दार तो नहीं बनेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो चीज़ हमारे सामने है, उसकी अच्छाई और बुराई को देख कर हम उसका मूल्यांकन करें और उसको और अच्छा बनाने का प्रयत्न करें उसको ट्रायल दें, उसको कार्य रूप में परिणत करें।

पंचायत-राज की जो भावना हमारे सम्मुख रखी गई है, मैं समझता हूं कि वह स्वाभाविक, मौलिक और सामयिक है हमारे देश की पूर्व परम्पराओं के अनुकूल है। हम को इसके लिये मौका देना है मेरे उसके लिय काम करना है। यदि हम उसका केवल विरोध करें और इसके नुक्स देखते रहें, तो ठीक नहीं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, जिसमें नुक्सान हों। कुछ लोग यह समझते हैं कि अगर हमारे विकास-कार्यक्रम में सारी बातें नहीं हैं, तो उसको कुछ लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि विकास का आदि है, लेकिन अन्त नहीं है। यह तो एक अविराम क्रम है। विकास का जो लक्ष्य, जो भावना आज मेरे सामने है, उस तक जब मैं पहुंच जाता हूं तो उसके बाद मुझे अगला और एक कदम नज़र आने लग जाता है। भारत के सामने जो कल विकास का नक्शा था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं होगा। एवं यह क्रम जारी रहेगा। इस वास्ते अगर कोई यह समझे कि यह बी० डी० ओ० खराब है, और वह आदमी खराब है और वह पंचायत के अन्दर कैसे है, तो इससे काम नहीं चल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा अर्सा ही हमें आज़ाद हुए हुआ है। आजादी से पहले हमारे ऊपर जो दबाव

[श्री पद्म देव]]

था उसके कारण हमारा नैतिक पतन हुआ और हम आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से पिछड़े रहे। यही नहीं बल्कि जो हमारा आत्मिक विकास होना चाहिये था वह भी उस दबाव के कारण, उस रौब के कारण, ला एण्ड आर्डर के दबाओं के कारण नहीं हो सका और हम ऊपर नहीं उठ सके। आज चूंकि हम में आत्म-विश्वास की कमी है, हम समझते हैं कि आज जो चीज हमारे सामने है वह शायद कल रहे या न रहे, इसलिये पोजीशन और पोजैशन की लड़ाई में हम हर चीज को गलत ढंग से देखते हैं। और अपनाने की चेष्टा करते हैं इस पोजीशन और पोजैशन की लड़ाई में हम यही सोचते और देखते हैं कि यह होगा या नहीं होगा, फलां ने खा लिया, मैं रह गया, फलां एक लाख बना गया है, मैं पचास हजार पर क्यों बैठा हूं। इस तरह से सोचने की जो मनोवृत्ति है, वह गलत है। इसका हमें त्याग करना होगा।

मैं समझता हूं कि पंचायतों के सदस्य वे गलती करेंगे और यह इसलिये कि उनको अनुभव नहीं है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सही है कि गलती करते करते वे अपने आप को सुधारते हुए आगे भी ले जायेंगे। जिस सड़क को बनाने में गवर्नमेंट के कर्मचारी को एक्सपर्ट और अभ्यस्त लोग हैं वे अगर ५०,००० रुपया खर्च करें तो बहुत मुमकिन है कि पंचायत के अनपढ़ ७५,००० करें। यह भी हो सकता है कि कहीं पैसे का दुरुपयोग हो। लेकिन इस सब के होते हुए भी लोगों को। घबराना नहीं प्रयत्न करना है और जिम्मेदारी लेनी है। अगर रास्ता हमारा सही है तो इस रास्ते से होकर हम को तेजी के साथ जाना होगा। हमें पीछे नहीं रहना है, आगे ही बढ़ते जाना है।

पंचायत राज के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी विचार दर्शन की किताबें निकली हैं, उनको देखने से यही पता चलता है कि जहां तक विचार की बात है, उनके अन्दर बाल की खाल निकाली गई है और कोई बात ऐसी नहीं जिसको अछूता छोड़ा गया हो। शिक्षा के लिहाज से, गांवों में एजूकेशन पहुंचाने के लिहाज से, सचिवों और कर्मचारियों को कैसा प्रशिक्षण देना है, इस लिहाज से तथा जितनी भी दूसरी चीजें हैं, उनके लिहाज से मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अछूती रह गई हो। इस वास्ते अगर आज कोई कमी है जिसको दूर करना है तो वह यही है कि मैं यह समझना छोड़ दूं कि मैं बहुत बड़ा और बुद्धिमान आदमी हूं और मैं जो कुछ किया जा रहा है मैं उसके खिलाफ जरूर कहूं, दूसरा भी कहे और तीसरा भी कहे। जब देश को बनाना है तो हमारे सामने जो योजना है, उसको देखें कि वह कामयाब होती है या नहीं होती है और उसको कामयाब बनाने का प्रयत्न हम करें। और देखें कि हम उसके जरिय मानवता की सेवा कर में सकते हैं या नहीं, जनता का राज्य वहां भी स्थापित हो रहा है या नहीं। ये सब चीजें पंचायतों आ जाती हैं। इसमें कहा गया है कि लोग न्याय और प्रबन्ध का न्तिजाम व खुद करें। इनको अगर पैसा दिया जाता है तो उसको खर्च करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारी भी सुलभ किये जाते हैं। उनको मार्ग निर्माता के हेतु अगर कोई जीनियर मिल गया है और पंचायत का प्रजीडेंट यह समझता है कि यह सड़क के काम में दखल देता है तब सड़क कैसे बन सकेगी। अगर अच्छी सड़क बनवानी है तो वह इसकी देख रेख में ही बन सकती है। हम देखते हैं कि जिला परिषदों के प्रधान नान-आफिशल हैं और यह अच्छी बात है। इस वास्ते हमें उन कर्मचारियों पर विश्वास करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल विरोध करने से काम नहीं चल सकता अगर हमारा लक्ष्य दुरुस्त है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिय जो साधन अपनाये जाते हैं वे दुरुस्त हैं और अगर हम लोगों के हाथ में शक्ति देना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि उनको वास्तविक रूप में काम करने की छट दे दी जाय और केवलमात्र उनका पथ प्रदर्शन किया जाए साथ ही धन ताकि पंचायत राज जो कि मानवता का प्रतीक है, हमारे देश में सफल हो।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां पर पंचायती राज की चर्चा हो रही है। पंचायती राज को हम अपने देश के लिये एक मुबारिक चीज़ समझते हैं और आज यह मुबारिक दिन है जब इस विषय पर चर्चा हो रही है।

जब हम पंचायत राज की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि जो डेमोक्रेसी है, उसका बह निचोड़ है। पंचापत राज का बेसिस है डेमोक्रेसी जब हम पंचायत राज अपने देश में कायम कर चले हैं तो हमको बड़ी मेहनत से, बड़ो लगन से, बड़े विश्वास कैसे अपने गांवों का संगठन करना होग। हमें हर सम्भव तरीके से इस प्रयोग को सफल बनाने का प्रयत्न करना होगा।

मेरे कुछ भाइयों ने कहा है कि वहां पर जीपें चली गई हैं और लोग बिना जीपों के घर उत्तर जाते ही नहीं हैं। मैं समझती हूं कि जब इन्सान स्पेस में उड़ने लग गया है, चन्द्रमा और सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो जमीन पर चलने के लिये जीप की की भी जरूरत होती है। लेकिन मैं समझती हूं कि अगर जीप पंचायतों के वास्ते जरूरी समझो जाती है तो जीप से भी ज्यादा मुफीद उनके लिये बैलगाड़ी है। देहातों में अगर किसी काम करना है तो उसको जीप का प्रयोग नहीं करना चाहि बल्कि उसी चीज़ पर जाना आना चाहिय जिस पर देहत के लोग आते जाते हैं। देहाती भाई जो पंचयतें बना रहे हैं और जिसपर वे चढ़ते हैं, उसी पर मुझे भी चढ़ना है, ऐसी भावना लोगों में आनी चाहिये। शहर आने और गवर्नमेंट से मिलने में अगर जीप की जरूरत पड़ती है, तो उसक इस्तैमाल किया जा सकता है।

जहां तक पंचायती राज का सम्बन्ध है वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिये नहीं है। पंचायती राज जितने भी देश के लोग हैं, जितने भी भारत के निवासी हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, सभी के लि हैं और सभी को इस प्रयोग को सफल बनाने में अपना हाथ बंटाना होगा। अगर कहीं कोई कमी है या कोई गलती है तो जिस तरीके से भी उसका दूर किया जा सकता हो, दूर किया जाना चाहिये अगर काई तरीका है और वह गलत है, ता उस तरीके का भी हमें बदलना होगा। अगर ऐसा किया गया तो पंचायत राज को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगें वर्ना नहीं।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि देहाती जो लोग हैं, जा पंचायतें हैं, उनके हाथ में हमें ताकत देनी होगा। मैं समझती हूं ताकत ऊपर से नहीं आती है, ताकत नीचे से ऊपर जाती है और हमको भी यही करना है। इन पर विश्वास करके, इन पर श्रद्धा रखकर हमको आगे बढ़ना है।

हमको वहां पर लोगों को शिक्षित भो करना है। शिक्षा हमारे देहातों में बिल्कुल नहीं के बराबर है। कहीं पर भी आप देख लीजिये, चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिये, शिक्षा का नितान्त अभाव है। इस विषय पर मैं अक्सर सौचा करती हूं और सोचने के बाद जाती हूं कि हम कुछ ऐसे किस्मत वाले हैं कि बगैर शिक्षा के हमारे यहां डैमोक्रेसी भी आ गई है। वैसे पहले शिक्षा आती है और उसके बाद डैमोक्रेसी आती है। लेकिन हम भाग्यशाली है कि पहले हमारे यहां डेमोक्रेसी आ गई है। लेकिन हमें उन को शिक्षा देनी है। और शिक्षा देते समय गम्भीरतापूर्वक सोचना है कि कैसी शिक्षा उनको देनी है। आज हम देखते हैं कि देहातों में भी और बाहर भी हालत यह है कि कोई मर रहे हैं, कोई पिट रहे हैं। और तरह तरह की अजीब बातें हो रही हैं। ऐसी ऐसी ही अजीब चीज़ निकलती हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत करने लग जाता है। पंचायत राज्यके जपिये जो डैमोक्रेसी का एसेंस है, उसको

[श्रीमती उमा नेहरू]

निकाल कर के हम को लाना है। शिक्षा हमको अपने बच्चों को और बड़ों को भी इंसानियत की देनी है। जहां पर इंसानियत होती है वहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। पार्टियां अलग अलग हैं, खयालात दुनिया में अलग अलग हैं और इन में मतभेद की गंजाइश हो सकती है। लेकिन विचार और ख्याल अलग अलग होने का यह मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त न करें और एक दूसरे का गला घोंटे। यह चीज भी, जब तक लोगों में शिक्षा नहीं आयेगी, जब तक लोगों में इंसानियत नहीं आयेगी, नहीं आ पायेगी। जब तक यह चीज नहीं आती है तब तक मेरी समझ में नहीं आता है कि हम आगे कैसे जायेंगे। इस वास्ते इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

पंचायत राज को सफल बनाने के लिये बहुत जरूरी है कि जो कार्यकर्ता हैं, उन में मिशनरी स्पिरिट हो और मिशनरी स्पिरिट से प्रेरित हो कर वे काम करें। जब तक उन में ऐसी स्पिरिट नहीं आती है यह काम आगे नहीं बढ़ सकता है। असली पंचायती राज तब आयेगा जब कि कार्यकर्ता मिशनरी स्पिरिट से काम करना शुरू कर देंगे।

पंचायती राज का होना बहुत जरूरी चीज है ? इसके पुराने इतिहास पर माननीय सदस्य श्री रघुनाथ सिंह जी ने प्रकाश डाला है। अगर इस की विस्तार से चर्चा की जाये तो वह पांच या दस मिनट खत्म नहीं हो सचती है। यह बहुत लम्बा चौड़ा विषय है। पंचायतें जो अभी भी देहातों में हैं और वहां पर अगर कोई बे पढ़ा लिखा बुड्ढा बाबा है और वह सरपंच है उस को आप देखें कि कितनी सच्चाई के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, और कितनी लगन के साथ वह काम करता है। जब तक यह चीज वापिस नहीं आयेगी, यह पंचायत राज का जो काम है, आगे नहीं बढ़ सकता है।

मैं अपने भाइयों से जिन्होंने अभी कहीं इलैक्शन का और कहीं और कुछ जिक्र किया है, कहना चाहती हूं कि अगर वे ऐसी चीजें देखते हैं जो नहीं होनी चाहियें, उन को वे मिनिस्टर साहब से आकर कहें और मिनिस्टर साहब उन को दूर करने का प्रयत्न करें। मैं तो यह कहूंगी कि जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, उन को इलैक्शनों से दूर रहना चाहिये। जो राष्ट्रीय इलैक्शन हैं, जो राजनीतिक इलैक्शन हैं, पंचायत राज वालों को इस में नहीं पड़ना चाहिये। इस को बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वर्कर्ज़ की हैसियत से पंचायतों का काम चलाना है और पंचायत राज की रोशनी में हम को अपने देश को आगे चलाना है।

श्री बाल कृष्णन् (डिंडीगल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : प्राचीन काल में पंचायत राज हमारे देश के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। कई सामूहिक कार्यों तथा दीवानी और फौजादारी मुकदमों का फैसला पंचायतों द्वारा किया जाता था। किन्तु आज पंचायतों में द्वेष झगड़े तथा दलबंदी का बाजार गर्म है। यदि हम पंचायतों को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें पंचायत राज से सम्बद्ध अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना को भरना होगा। दुर्भाग्य से हम सर्वत्र झगड़े जातिवाद तथा राजनैतिक द्वेष को देख रहे हैं।

पंचायतों तथा पंचायती संघों के प्रधान केवल वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाये। कुछ वर्षों के लिये जब तक सरपंच प्रशिक्षित और उत्तरदायितापूर्वक कार्य करने में समर्थ नहीं हो जाये तब तक राजनैतिक दलों को इन चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये

मेरे विचार से पंचायतों के अधीन विभिन्न विभागों का समायोजित तरीके पर काम करना बहुत कठिन है। प्रत्येक विभाग के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। इस का यह फल होता है कि विकास कार्य करने में और भी कठिनाई का सामना करना होता है। मेरे विचार से एक ऐसा संगठन होना चाहिये जो इन विभिन्न विभागों के कार्यों का समायोजन करे। यदि आप को एक सहकारी समिति खोलनी होती है

तो आप को पहिले पंजीयक को आवेदन देना होता है। इस में बहुत समय लगता है। मेरे विचार से इस नियम में कुछ संशोधन करना चाहिये। जिस से कि वह वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हो सके। इस के अतिरिक्त पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था भी की जाये।

जब तक देश में नई भावना नहीं होगी तब तक विकास कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आ सकती है। पचायत राज में नये उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग तथा सहकारी खेती आरम्भ की जाये।

पचायतों में समाज के कमज़ोर अंगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : कलकत्ता तथा उस के निकटवर्ती कई जिलों में अभी तक पंचायतें आरम्भ नहीं की गई हैं। सभव है सरकार को यह आशंका हो कि इस प्रकार कहीं विरोधी पक्षों को पंचायतों में बहुमत प्राप्त हो जाये।

कहीं कहीं तो इन पचायतों के चुनावों में अन्य चुनावों से भी अधिक व्यय किया जाता है और ये चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर लड़े जाते हैं। पचायतों के चुनावों से राजनैतिक दलों को पृथक रखना ठीक नहीं है आवश्यक यह है कि इन चुनावों से साम्प्रदाायिकता से दूर रखा जाये।

निसंदेह जहां पचायतों का पहिले पहल चुनाव होता है वहां की जनता में एक नई राजनतिक चेतना आ जाती है। तथापि पंचायतों की अधिकांश शक्तियां भ्रामक हैं वास्तविक शक्तियां कार्य-पालिका के ही हाथों रहती हैं। जब तक पचायतों के लिये पर्याप्त वित्त की व्यवस्था नहीं कर दी जायेगी। वे अपने प्रति दिन के कर्तव्यों को नहीं निभा पायेगी। तथा वे ग्रामों में मतदाताओं से किये गये वादों को पूरा नहीं कर सकेगी। इस समय हम देखते हैं कि करों के लगाने और संग्रह करने के संबंध में समस्त शक्तियां कार्यपालिकाओं को ही प्राप्त हैं। हमारा राज्य बहुत उन्नत माना जाता है। किन्तु हम देखते हैं कि पंचायतों में बहुत कम स्त्रियां चुनी जाती हैं। और मनोनयन की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों के काम में स्त्रियों का भाग बहुत थोड़ा है; विशेषतः पश्चिमी बंगाल में। जब तक इस सम्बन्ध में उचित जांच नहीं होती, महिलायें पंचायत राज में काफी रुचि नहीं ले सकेगी।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : यह हर्ष का विषय है कि सदस्यों ने इस विषय में बहुत रुचि ली है। इस समय तक चौबीस सदस्य चर्चा में भाग ले चुके हैं और अन्य सदस्य लेना चाहते हैं। श्री तंगामणि ने मद्रास के पंचायत सम्मेलन का उल्लेख किया था। इस सम्मेलन में पंचायती संस्थाओं के १५,००० से अधिक प्रतिनिधि थे। यदि सत्तारूढ़ दल के सदस्य उस में अधिक थे, तो इस में दल का कोई दोष नहीं। मैं चाहता हूं कि पंचायती राज की पद्धति से उत्पन्न होने वाले अवसर से लाभ उठा कर विरोधी दल केन्द्र व राज्यों में सत्तारूढ़ दल से रचनात्मक कार्यों में स्वस्थ प्रतियोगिता करें। मैं कहूंगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और पंचायत राज कार्यक्रम में राजनैतिक दलों के बीच कोई विभेद नहीं किया गया और राजनीतिक दलों ने भी इन कार्यक्रमों के प्रति कोई विभेद नहीं किया। इस का श्रेय देश के सभी राजनीतिक दलों पर है। इस लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा सम्मेलन के द्वारा अपनी ताकत दिखाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, तो उन के विचारों को नजर अन्दाज किया जा सकता है।

जैसा कि आप को ज्ञात है, सामुदायिक विकास का काम ५५ खंडों में २ अक्तूबर, १९५२ को शुरू किया गया था। उस समय जन प्रतिनिधियों को उत्तरदायित्व देने का प्रश्न नहीं था। शीघ्र ही अनुभव किया गया कि उन प्रतिनिधियों के सम्बद्ध किये जाने के बिना सरकारी अधिकार उस काम में अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस लिये खंड सलाहकार समिति और विकास मंडल बने। इस के बाद तीसरी अवस्था यह थी कि खंड सलाहकार समितियों को खंड विकास समितियां बनाया गया, जिन के

---

†मूल अंग्रेजी में]

[श्री सु० कु० डे]

आदेश का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस बीच बलवन्तराय मेहता समिति की लोक तंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी सिफारिश प्राप्त हो गई थी, जिसे पंचायत राज का नाम दिया गया। यह नाम काफी सोच विचार के बाद बदला गया था।

वस्तुतः वर्तमान पंचायती राज अतीत के पंचायतों से बिल्कुल भिन्न है। पंचायत राज उन के जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गांव वालों की अपनी सरकार थी। वे अल्पाधिक गणतंत्रों के रूप में काम करते थे। और उन पर ऊपर से बहुत कम अंकुश रहता था। वर्तमान पंचायती राज सरकार का कोई एकक नहीं है अपितु यह सरकार की एक पद्धति है जो कि गांव से केन्द्र तक चलती है। दूसरे शब्दों में गांव अपना कार्य पंचायती संस्थाओं द्वारा करेंगे। जो कार्य वह इस तरह नहीं कर सकेंगे वह खंड स्तर पर पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा। जो कार्य इस के द्वारा भी नहीं होगा वह जिला परिषद द्वारा किया जायेगा। जो कार्य परिषद से नहीं होगा उसे राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। और जो राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता वह अंत में केन्द्र सरकार के उत्तरदायित्व में आयेगा। इस प्रकार हम गांव से ले कर केन्द्र तक एक लोकतन्त्रात्मक प्रणाली विकसित कर रहे हैं।

संविधान के अनुच्छेद ४० में यह स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दिये जायेंगे जो कि स्वायत्तशासी सरकार के एककों के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक होंगे।

भारत में जिस पंचायती राज का विकास हो रहा है वह इस अनुच्छेद के निर्देश पद से कहीं आगे बढ़ गया है। ऐसा हम इस सभा की सहमति से ही कर सके हैं।

कल कई सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की थी कि सभा में इस विषय पर अधिक लम्बी चर्चा होनी चाहिये क्योंकि गांव खंड तथा जिला स्तर पर प्रशासन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। यदि यह बात सही है तो इस पर सभा द्वारा गम्भीरता से अध्ययन किया जाना चाहिये।

हम पंचायती राज को जागृत जनता में जागृत आन्दोलन की भांति चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वस्तुतः जनता में इतनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है कि चार वर्ष पहिले जो बातें कही गई थीं, या निश्चय किये गये थे उन से हम अपना पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते : हैं।

अतः मैं पंचायती राज तथा उस के विभिन्न स्वरूपों के बारे में विस्तृत चर्चा का स्वागत करुंगा। अब मैं सभा के समक्ष पंचायती राज संबंधी कुछ महत्वपूर्ण और कठिन समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

यदि हम अपनी लोकतन्त्रात्मक प्रणाली को गन्दी राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं तो हमें उन का हल खोज निकालना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो लोकतन्त्र की गति विलोम हो जायेगी। इस का यह फल होगा कि पंचायती राज उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायेगा। जिस के लिये इस की स्थापना की गई है। इस से देश के भविष्य पर कलुषित प्रभाव पड़ेगा।

अतः यह आवश्यक है कि इस संबंध में विस्तृत चर्चा हो। और यदि विकास की वर्तमान गति को देखते हुए यह प्रगट हो कि इस के प्रकाश में जिला प्रशासन, सामुदायिक विकास इत्यादि के सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण बनाना आवश्यक है, तो मुझे सभा के आदेशों को जान कर अत्यन्त प्रसन्नता होगी और में उनका खुले हृदय से स्वागत करूंगा।

यह उल्लेख किया गया है कि पदाधिकारी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। अधिकारी वहीं तक अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे जहां तक ये संस्थायें स्वयं जागरूक नहीं होगी। यह स्मरण रखना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार अपने आदेश जारी नहीं करती है। सभा को ज्ञात होना चाहिये कि इस का प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार केवल एक सामान्य गोष्ठी के रूप में कार्य करती है। यहां राज्य सरकार अपने अनुभवों का लाभ उठा कर एकरूप निर्णय कर सकते हैं। जिनका समस्त देश में एकरूपता से पालन किया जा सकता है। यदि राज्य सरकारें भी इन के लिये आदेश जारी करें तो यह नहीं कहा जा सकता कि इन को क्रियान्वित ही किया जायेगा। अतः इस की आवश्यकता है कि पंचायत राज कार्यक्रम और खंड विकास कार्यक्रम से संबंध रखने वाले सकरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाये।

इस के लिये हम यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं और देश भर में प्रशिक्षण संस्थायें खोल रहे हैं जिन में से सब से बड़ी संस्था मसूरी में है और देश भर में, छोटी छोटी संस्थायें बिखरी पड़ी हैं। वहां पर न केवल सरकारी अधिकारियों को अपितु गैर-सरकारी व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। मंत्रालय का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाये। राज्यों में १०० प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी हैं। यह संस्थायें सरकार के अधीन नहीं अपितु गैर-सरकारी व्यक्तियों के तत्वाधान में चल रही हैं। जहां गैर-सरकारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं। वहां पड़ौस के कई जिला परिषद मिल कर इन संस्थाओं का संचालन कर लेती हैं। हम केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर से इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि साहित्य फिल्म प्रदर्शनियों तथा अन्य प्रचार सामग्रियों द्वारा पंचायती राज, सहकारी समाज और सामुदायिक विकास के प्रचार का कार्य सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिये किया जाये। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्कूल कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के पाठयक्रम में भी पंचायती राज, सहकारी समाज और सामुदायिक विकास का कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी जाये। जनता को पंचायती राज आन्दोलन के बारे में जानकारी देने के लिये राज्य के विभिन्न भागों में कई संस्थायें स्थापित की गयी हैं। जिस से कि विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ इस के संबंध में जानकारी मिलती रहे।

यह कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये। हम ने कुछ अंशों तक ऐसा करने का प्रयत्न किया है। तथापि ऐसे जटिल मामले में संबंधों को परिभाषा करना बहुत कठिन है। वस्तुतः सरकारी अधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों के बीच के संबंधों की परम्परा का भी धीमे धीमे विकास होगा। यह परम्परा निश्चित शब्दों या नियमों में नहीं विहित की जा सकती है : बुनियादी नियम सरकारी कर्मचारियों के लिये हो सकते हैं तथापि इन में संबंधों की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। श्री दी० चं० शर्मा ने ठीक ही कहा है कि अभी हमें और भी समस्याओं का सामना करना होगा। वस्तुतः जैस जैसे समस्यायें आयेंगी हमें उनका सामना करना होगा।

यह प्रश्न किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की निष्पक्ष नियुक्ति किस प्रकार हो सकती है। संभव है हमें पंचायती राज लोक सेवा आयोग की भी स्थापना करना पड़े। पंचायती राज संस्थाओं के उपयुक्त प्रशासनिक प्रणाली में कुछ प्रक्रियाओं की शुरूआत करना आवश्यक है। तथापि इस की सावधानी से जांच करनी होगी। अभी हमारा अनुभव इतना परिपक्व नहीं हुआ ह कि हम इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय कर सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने इन संस्थाओं के संसाधनों का जिक्र किया है। इन संस्थाओं को दायित्व देने मात्र से इन का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हो सकता है इस के लिये सरकार को इन के संसाधनों में अपना हाथ बंटाना आवश्यक है।

[श्री० सु० कु० डे]

कई राज्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने राजस्व का एक अंश दे रहे हैं। गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के एक विधान के अधीन जो कि इस समय विचाराधीन है, भूमि राजस्व का एक अंश इन संस्थाओं को दिया जायेगा। तीसरी परियोजना के अधीन केन्द्र ने कई योजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था कर दी है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार के सभी रचनात्मक विभाग अपने कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिये इस विभाग को साधन के रूप में प्रयोग करें।

पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से अन्य कई विभागों की मनमानी समाप्त हो जायेगी। इस से पर्याप्त संघर्ष पैदा हो जायेगा। फलस्वरूप न केवल अधिकारियों में अपितु गैर-सरकारी प्रतिनिधियों में भी कटु विरोध होगा। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को राज सरकार के अन्य अधिकारियों से किस प्रकार समान अधिकार प्राप्त हों।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम चुनाव बन्द नहीं करवा सकते हैं। निसंदेह जब तक जनता में हार्दिक एकता नहीं होगी तब तक बाहर से एकता थोपने से केवल अकुशल व्यक्तियों का ही चुनाव होगा। निसंदेह जब सर्वसम्मत चुनाव जनता की सहमति से हों तो उनका स्वागत किया जाना चाहिये। तथापि जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक चुनाव अवश्यमभावी हैं। जब बड़ी संस्थाओं तथा जिला परिषद तथा खंड क्षेत्रों में राजनैतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं तो उन दलों को पंचायतों में भी चुनाव लड़ना चाहिये। जब तक इस प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं में एक ही दल का बहुमत नहीं होगा तब तक किस किस प्रकार कार्य सुचारु रूप से चल सकता है ?

अतः यह आवश्यक है कि एक प्रकार के वित्तीय आयोग का गठन किया जाये जो कि पंचायती राज संस्थाओं के वित्त की जांच करे और यह पता लगाये कि अपेक्षाकृत अभाव वाले क्षेत्रों को क्या विशेष सहायता दी जा सकती है। जिस से कि अन्याय तथा अनुचित मामलों को इस निष्पक्ष संस्था के सुपुर्द किया जा सके।

मंत्रालय स्तर पर हम गांवों में राजनैतिक दलों के आधार पर चुनाव लड़ने के विपरीत हैं। इसका कारण यह है कि हमारे विचार से गांवों में राजनैतिक वादों के अनुसार चुनाव लड़ने का कोई आधार नहीं है। हम केवल इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि केन्द्र में निश्चित नीतियों को कुशलता पूर्वक अमल में लाया जाये। इस के लिये ग्रामीणों को यह अवसर दिया जाये कि वे उन व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुन सके जिन पर उन का पूरा विश्वास हो।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई]

इस के लिये ग्राम सभायें पंचायत राज की सब से महत्वपूर्ण एकक है। केवल मद्रास राज्य को छोड़ कर भारत के अन्य सभी राज्यों ने ग्राम सभा को संविहित संस्था मान लिया है। मद्रास राज्य भी इस बात पर सहमत हो गया है कि ग्राम सभा को संविहित संस्था मानने तक वे गांव की समस्त वयस्क जनसंख्या की समय समय पर बैठकें करेंगे और इन में पंचायतों के कार्यक्रम के संबंध में निर्णय किया जायेगा।

जैसे पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं की अपनी अपनी समस्यायें हैं उसी प्रकार गांव के विभिन्न वर्गों की अपनी अपनी समस्यायें हैं। इस का पता लगाने के लिये हम ने एक समिति नियुक्त की थी जिस के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण थे, समिति में लोक सभा के सदस्य भी थे। हमें उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। उस प्रतिवेदन के अनुसार हम यथा संभव कम से कम समय में, अपनी

सीमाओं का ध्यान रखते हुए, अधिक से अधिक सहायता करेंगे । तथापि हमारा यह विश्वास है कि केवल केन्द्र के विदेशों से यह कार्य बहुत आगे नहीं बढ़ेगा । क्योंकि वास्तविक कार्य ग्रामीणों को ही करना है । और उन्हें ही गांवों के दुर्बल वर्गों को सहायता पहुंचाने का कार्य करना है । जब तक गांव की जनता के प्रतिनिधि इस कार्य का दायित्व अपने सर पर नहीं लेंगे तब तक देश के दुर्बल वर्गों का उन का न्यायोचित अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है ।

हम यह महसूस करते हैं कि समय समय पर पंचायत राज संस्थाओं को परस्पर मिलने का अवसर दिया जाना चाहिए । ग्राम पंचायतों के खंडों के स्तर पर सम्मेलन होने चाहिएं । जिले के स्तर भी मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए । जहां तक कि राज्य के स्तर भी परस्पर सहयोग और परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से सम्मेलन होने चाहिएं । इस से इस आन्दोलन में रुचि रखने वाले लोगों को प्रायः अपने अनुभवों के विनिमय का अवसर प्राप्त होता है । मेरा स्पष्ट मत है कि यह सम्मेलन राजनीतिक अथवा दलीय आधार पर नहीं होने चाहिए । इस के लिये सभी वर्गों अथवा पक्षों के लोगों का सहयोग लेना चाहिए । और इस दिशा में पूर्ण विकेन्द्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए । आज जब संसार में लोकतंत्रीय प्रणाली को अविश्वास की दृष्टि से देखा जा रहा है, हम विकेन्द्रीयकरण द्वारा इस दिशा में एक शानदार प्रयोग कर रहे हैं ।

पंचायत राज्य सम्बन्धी आन्दोलन देश भर में काफी व्यापक हो चुका है । काफी क्षेत्रों में पंचायतें निर्माण हो चुकी हैं । लगभग सारे देश में राज्यों द्वारा या तो पंचायती राज सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा कर लिया है अथवा इस दिशा में अपेक्षित विधान को निर्माण करने में काफी प्रगति की है । इस दिशा में पश्चिमी बंगाल के बारे में जो शिकायत कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की थी कि वहां इस बारे में कुछ नहीं हो रहा, यह बात भी पुरानी हो गयी है, अब वहां भी इस प्रयोजन से विधान का प्रारूप तैयार करने का काम आरम्भ हो गया है, और शीघ्र ही उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : पंचायत राज के विषय पर प्रत्येक वर्ष चर्चा होनी चाहिए और सरकार को इस की व्यवस्था करनी चाहिए । इस से इस दिशा में प्रशासन की प्रगति के सम्बन्ध में सभा को जानकारी प्राप्त होती रहेगी । संविधान के अनुच्छेद ४० के अन्तर्गत पंचायतों को एक स्वतंत्र एकक के रूप में निर्माण करने की व्यवस्था है । इस दिशा में मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जहां तक पंचायती राज की संस्थाओं का सम्बन्ध है, क्या विभिन्न राज्यों में बढ़ रहे वैध शासन को समाप्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पंचायती राज के प्रशासन अध्ययन दल का प्रतिवेदन सभा को उपलब्ध किया जाना चाहिए । इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायतों के बारे में (सेमिनार) गोष्ठियों के आयोजित करने से यह धारणा होती है कि सरकार को पंचायत प्रणाली के कार्य में नहीं वरन अपने दल की राजनीति के प्रचार में अधिक रुचि रहती है । इस समस्या के इस अंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चर्चा समाप्त हुई । अब हम अन्य कार्य को लेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प और चीनी (उत्पादन का) विधेयक

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निम्नलिखित संकल्प को पेश करने की अनुमति चाहता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा २९ सितम्बर, १९६१ को प्रख्यापित चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का अध्यादेश संख्या ३) को अस्वीकार करती है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

माननीय मंत्री अपने विधेयक सम्बन्धी प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं और संकल्प पर भी बोल सकते हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जनसाधारण के हित में चीनी के उत्पादन का विनियमन और किसी कारखाने द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित अभ्यंश से अधिक तैयार की गयी चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने और उसे वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : आज देश में जो चीनी सम्बन्धी स्थिति है उस पर विचार करने के लिए सामान्यतः कुछ बातें कहूंगा। मेरे मित्र ने जिस अध्यादेश के सम्बन्ध में अपना संकल्प रखा है यह विधेयक उसी अध्यादेश का स्थान लेने के लिए ही पेश किया गया है। इस बारे में तथ्य यह है कि गत वर्ष चीनी बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठी हो गई थी, जिसकी बिक्री के लिये बाजार उपलब्ध नहीं हो रहा था, अतः उसके लिये अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था।

भारत में चीनी उत्पादन के इतिहास की चर्चा तो कई बार इस सदन में हो चुकी है। चीनी उत्पादन के लिए जो प्रोत्साहन सम्बद्ध दिशाओं को प्रदान किया गया उसका परिणाम यह हुआ कि चीनी का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। अन्त में परिणाम यह हुआ कि १९६०-६१ में १९५९-६० की भाँति ११.८५ लाख टन चीनी इकट्ठी हो गयी। चीनी बहुत शीघ्र ही खराब हो जाती है और उसको बहुत अधिक समय तक स्टाक किये रखना तो सम्भव नहीं होता। दर भी १-७-० से १-१०-० कर दिया गया था। संसार भर में भी चीनी का उत्पादन काफी होता है। और आज इस दिशा में जो अन्तर्राष्ट्रीय मंडी की स्थिति है उसके अनुसार चीनी के भाव बराबर गिर रहे हैं। हमारे लिये चीनी का निर्यात भी प्रायः असम्भव हो रहा है। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इस बात के बावजद कि अमरीका की चीनी के भाव संसार भर के भावों से ५०-६० प्रतिशत तक अधिक हैं, परन्तु भारत ने अमेरिका को लगभग १.८७ लाख टन चीनी बेची है। परन्तु वहां भी भाव गिर गये। इस मंदी का परिणाम यह हुआ कि इस ने हम से ५०,००० टन कम चीनी खरीदी। इस बात के बावजूद कि देश में चीनी की खपत

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ाने के लिये अध्यादेश लागू कर उसके अन्तर्गत वितरण को काफी सरल बना दिया गया और इसके लिए बड़ी ही उदार नीति अपनाई गयी। परन्तु इसके बावजूद चीनी का निर्यात और आन्तरिक खपत दोनों में कुछ विशेष वृद्धि न हो सकी। इस दिशा में आंकड़े सीमित ही रहे।

इस बारे में निकट भविष्य में भी स्थिति में कुछ सुधार होने की आशा नहीं। आज प्रत्येक देश पर्याप्त चीनी का उत्पादन कर रहा है, अतः हमें अपनी आन्तरिक खपत पर आश्रित रहना पड़ेगा। बात यह है कि चूंकि गन्ने की खेती अधिक लाभप्रद होती है, इसलिए किसानों को अधिकाधिक गन्ने की खेती की ओर ही अधिक आकर्षण रहता है। चीनी का उत्पादन बढ़ा है और गन्ने का उत्पादन बढ़ा है, इसका यह अर्थ हर्गिज नहीं कि गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार में कोई वृद्धि हो गयी है। चीनी की खेती के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल में ९.४० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। सरकार इसके रास्ते में रुकावटें पैदा करने और इसे रोकने में असमर्थ है। इस परिस्थिति में ही अध्यादेश जारी किया गया था। चीनी के उत्पादन के बढ़ने और बदले में बिक्री के अभाव में स्टाक निरन्तर बढ़ता चला जायेगा। परिणाम यह होगा कि इससे भारत के राज्य बैंक का अधिकाधिक धन चीनी में फंसा रहेगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि चीनी के स्टाक को रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त गोदाम भी नहीं हैं। अतः जो नियंत्रण अध्यादेश द्वारा लगाया गया वह किसान के हित में बड़ा आवश्यक था।

मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मैं किसानों में कोई दोष ढूंढ रहा हूं। किसान तो यह देखता है कि उसे अपनी वस्तु का मूल्य कहां अधिक मिलता है। क्योंकि वह गरीब है। अगर गन्ना उत्पादन में उसे अधिक धन मिलता है तो वह गन्ना उत्पादन करने लगेगा। और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिये वह प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। लेकिन मुझे यह रोकना होगा। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारे पास चीनी का भंडार आवश्यकता से अधिक हो जायेगा। दूसरे जब चीनी का उत्पादन होगा तो किसान को धन तो देना ही होगा। जैसे ही किसान मिलों को चीनी देता है तो उसे भुगतान तो करना ही होगा। भुगतान करना आवश्यक है क्योंकि वे लोग निर्धन हैं। स्थिति यह है कि चीनी मिलों के पास धन नहीं है क्योंकि उन का चीनी भंडार रुका हुआ है। अधिक भंडार रखना ठीक नहीं है। इसके अलावा यह बात भी है कि हमारे पास गोदाम भी नहीं हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है हम इस बात का नियंत्रण करें कि कितनी चीनी का उत्पादन किया जाये। इस से किसानों तथा राज्य दोनों को ही लाभ होगा। आज से दो वर्ष पूर्व स्थिति यह थी कि गन्ने के उत्पादन में से केवल २७ प्रतिशत चीनी के उत्पादन के लिये जाती थी और ५० से ५२ प्रतिशत गन्ना गुड़ के उत्पादन के लिये जाता था। लेकिन पिछले दो तीन वर्षों में स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब चीनी के लिये २७ प्रतिशत की अपेक्षा ४० प्रतिशत गन्ना जाता है। और गुड़ उत्पादन के लिय जितना गन्ना जाता था उस में अब कमी आ गई है। अब हम ने ऐसी व्यवस्था करने की सोची है कि जिससे चीनी का उत्पादन केवल ४ प्रतिशत कम न होगा न कि १० प्रतिशत और इस का परिणाम यह होगा कि किसानों का गन्ना खेत में बेकार खड़ा न रह जायेगा। जिन कारखानों के लिये अस्थायी 'कोटा' निश्चित कर दिया गया है और जिनके लिये नहीं किया गया है वे अध्यादेश के अन्तर्गत नहीं आयेंगे।

अब प्रश्न यह उठता है कि इतना होने पर भी चीनी का मूल्य ४० रुपये प्रति मन से कम नहीं हुआ है। लेकिन इस से कम यह मूल्य नहीं हो सकता उसका कारण स्पष्ट है कि इस में हम ने इतना अधिक धन लगाया है। जहां तक सरकार की बात है वह इस बात का ध्यान रखेगी कि

[श्री स० का० पाटिल]

विधेयक के अन्तर्गत किये जाने वाले उपायों के फलस्वरूप गन्ने को नष्ट न करना पड़े । हमें या तो गन्ने का मूल्य कम करना पड़ेगा या गन्ने की खेती का क्षेत्रफल । इस में दूसरी बात ऐसी है जो कम हानिकारक है और इसलिये सरकार ने उसे काम में लाने का निश्चय किया है ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अपना प्रस्ताव पेश करने के बाद श्री पाटिल के बिल पर मैं ने उनका बहुत प्रभावशाली भाषण—जैसा मेरे मित्र श्री डी० सी० शर्मा कहेंगे—सुना । और उस को सुनने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि वह केवल एक वक्तृता मात्र है और उसके अन्दर कोई तत्व नहीं है ।

८ सितम्बर को लोक सभा का पिछला अधिवेशन समाप्त हुआ था और २९ सितम्बर को श्री पाटिल और उनके मंत्रालय को यह बुद्धि पैदा हुई कि उन्हें एक आर्डिनेन्स पास करना है । अगर उससे पहले उनको यह बुद्धि पैदा हो गयी होती तो शायद ८ सितम्बर से पहले इस कानून को सदन के सामने लाया जा सकता था और सदन के सामने सारी स्थिति को पेश किया जा सकता था । तो मेरी सब से पहली आपत्ति इस आर्डिनेन्स के बारे में यह है कि हमारी भारत सरकार बार बार आर्डिनेन्स पास कर के राज्य करना चाहती है, सदन में बिल ला कर, उसको पास करा के और सदन की राय ले कर राज्य नहीं करना चाहती । तो मेरा निवेदन है कि अगर इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता भी थी तो इस को पिछले अधिवेशन में बिल के रूप में सदन के सामने लाया जा सकता था और सदन और मुल्क की राय ले कर उस को पास किया जा सकता था । इस में कोई परेशानी नहीं थी । लेकिन असल में दिक्कत क्या है ? दिक्कत असल में यह है कि पिछले १२ साल से हिन्दुस्तान की सरकार की चीनी नीति अत्यन्त गड़बड़ रही है । चाहे तो श्री किदवई साहब मंत्री रहे हों, या चाहे उन के बाद श्री अजित प्रसाद जैन मंत्री रहे हों या उन के बाद श्री एस० के० पाटिल मंत्री रहे हों, इस चीनी नीति में मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

एक बात यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे यहां बहुत चीनी है । दूसरी तरफ किन्हीं लोगों को अधिक मुनाफा देने के लिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे यहां चीनी नहीं है और अब फिर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहां चीनी बहुत हो गई है और उसकी खपत और उपयोग नहीं है इसलिए उसका उत्पादन सीमित करना है और उसके वास्ते आर्डिनेन्स की जरूरत पड़ती है । अब असल स्थिति यह है कि यह बातें कभी सही नहीं रही हैं । न तो आज चीनी इतनी मुल्क में मौजूद है और न ही उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि हम उसका प्रयोग न कर सकें, खपा न सकें । जैसा कि अभी मंत्री महोदय द्वारा यह बतलाने का प्रयत्न किया गया कि चीनी का उत्पादन बेहद हो गया है और चूंकि उसका कोई उपयोग नहीं है इसलिए मुल्क में चीनी की अधिकता को लेकर एक संकट उपस्थित हो गया है, सो ऐसी कोई बात नहीं है । इसके साथ ही मैं तो यह भी कहूंगा कि जिस वक्त यह कहा जाता था कि चीनी का भयंकर अकाल है, देश में चीनी की कमी हो गई है और हमें विदेशों से काफी मात्रा में चीनी लानी चाहिए तब भी दरअसल वैसी स्थिति नहीं थी । मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि कांग्रेस सरकार के पिछले १२–१३ साल के शासन के दौरान चीनी नीति में हमेशा गड़बड़ घुटाला हुआ है और खास खास वर्गों को मुनाफा देने के लिए यह चीनी नीति बनाई जाती रही है । यह आर्डिनेंस पास करते वक्त भी दरअसल उसके पीछे सिर्फ यह उद्देश्य नहीं है जैसा कि खाद्य मंत्री महोदय ने बतलाया कि वह गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं बल्कि और अन्य उद्देश्य भी उसके पीछे आ जाते हैं और यदि इस चीनी की समस्या का अध्ययन किया जाये तो यह चीज स्पष्ट हो जायेगी ।

आज यह पता लगता है कि चीनी का उत्पादन इतना अधिक होने जा रहा है जिसकी कि मुल्क में खपत नहीं होगी और दूसरे देशों में हम इस का निर्यात नहीं कर सकते हैं । एक बात बड़े जोर शोर के साथ कही गई कि हमारे मुल्क में खपत और बढ़ ही नहीं सकती है । चीनी के वितरण की व्यवस्था हम ने ढीली कर दी है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो भी खपत नहीं बढ़ रही है । अब इसका कारण केवल यही नहीं है कि वितरण की व्यवस्था ीली कर दी है और उस से खपत नहीं बढ़ रही है । खपत इसलिए नहीं बढ़ रही है कि एक मन चीनी जब वह उपभोक्ता तक पहुंचती है तो वह काफी मंहगे भाव पर उसको सुलभ होती है क्योंकि चीनी पर केन्द्र की और सूबों की सरकारें कुल मिला कर १३ पये ५ आने मन के हिसाब से टैक्स वसूल करती हैं । बार बार यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ने के उत्पादक को चीनी का मूल्य मिलता है लेकिन आप अपनी तरफ देखते हैं या नहीं कि आप कितना टैक्स वसूल कर रहे हैं ? एक मन चीनी पर केन्द्र और प्रान्तों की सरकारें कुल मिला कर १३ पये ५ आने मन टैक्स वसूल करती हैं और उस के बाद आप यह आशा करते हैं कि मुल्क में चीनी की खपत बढ़ेगी ? अब हमारे मुल्क के आम लोगों की एकानामिक पोजीशन ऐसी है कि वह ज्यादा चीनी खरीद नहीं सकते । उन के पास ज्यादा पैसा नहीं है । इसलिए यह आशा करना कि चीनी की खपत जो उसका टैक्स स्ट्रक्चर है उसको बदले बगैर बढ़ सके व्यर्थ है ।

स्थिति तो यह है कि आप चीनी पर इतना टैक्स वसूल करते हैं, अन्दरूनी खपत जो होती है उस पर इतना टैक्स लगाते हैं । अभी जैसा कि खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया कि एक लाख टन चीनी पर देश के उपभोक्ता को ३ करोड़ पया बतौर टैक्स के देना पड़ता है और जिससे कि उसकी जो अपनी खपत होती है उस में कीमत बढ़ा कर उसे देना पड़ता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी स्थिति कोई एक दिन में पैदा नहीं हो गई न ही यह कोई एक महीने, एक सीजन और एक वर्ष में पैदा हो गई है कि जिसके कारण आपकी सहायता की जरूरत पड़ रही है । इस सारी स्थिति पर खाद्य मंत्रालय निगाह रखे हुए है और उसकी छानबीन करता है कि किस तरीके से चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है । मेरे पास भी उस सम्बन्ध में आंकड़े हैं । अभी खाद्य मंत्री महोदय ने बतलाया कि चीनी का उत्पादन पिछले २, ३ साल से खास तौर से २ साल से काफी बढ़ रहा था और जितना हम ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य रखा था उस से अधिक हम पैदा कर चुके थे जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक साल बाकी रह गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होते होते हम उस लक्ष्य तक पहुंच चुके थे जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के अन्त में रखा था । जब ऐसी स्थिति थी तो क्यों नहीं पहले से इस के बारे में सोचा गया ? अब खाद्य मंत्री महोदय ने इसके लिए कहा कि मेरी यह दलील होगी कि जब गन्ने की बुवाई का सीजन था उस वक्त इसको करना चाहिए था । उचित तो यह था कि खाद्य मंत्री स्पष्ट रूप से अपना अपराध स्वीकार करते वैसे मैं जानता हूं कि खाद्य मंत्री महोदय इस बात को भली भांति जानते हैं कि वह गन्ना उत्पादकों को कितनी हानि पहुंचाने जा रहे हैं । बुवाई सीजन पर नहीं हुआ उसकी दलील उनकी ओर से यह दी जाती है कि पहले भी जब हम ने चीनी के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया तब भी गुड़ से बढ़ कर चीनी में आ गया था अब फिर चीनी से बढ़ कर गुड़ में चला जायेगा । मैं समझता हूं कि यह पूरी तौर से सही नहीं है इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन जब हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था में आप हर एक को मुनाफा देना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि उत्पादकों की अधिक से अधिक पैसा मिले तो फिर २७ फीसदी से बढ़ कर अगर ४० फीसदी गन्ना क्रिस्टल शुगर में प्रयुक्त होता है तो उस पर आप को क्यों आपत्ति है । देश के किसानों को कुछ ज्यादा पैसा मिल जाता है तो उस पर आप को आपत्ति

[श्री ब्रजराज सिंह]

क्यों है। इस में तो आप को खुशी ही होनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार कहती तो है कि वह देश के किसानों के लिए काम करती है लेकिन जब भी काम करती है तब इस तरीके से काम करती है जिस में हिन्दुस्तान के किसानों की हानि ही होती है। यह आर्डिनेंस उस का सब से बड़ा ज्वलन्त उदाहरण है जिस में किसानों की जरूरतों का कतई ध्यान न रखते हुए इस आर्डिनेंस को पास कर दिया गया। सरकार ने यह नहीं सोचा कि इसके पास करने से गन्ना उत्पादकों को कितनी हानि होगी।

पिछली पार्लियामेंट का सेशन बंद हुए सिर्फ २० दिन हुए थे। ८, ९ सितम्बर को पार्लियामेंट बंद हुई २९ अगस्त तक यह मंत्रालय सोचता रहता है कि क्या करना है और तब आप आर्डिनेंस पास कर देते हैं। आप उस वक्त आर्डिनेंस पास करते हैं जब बुवाई हो चुकी है और गन्ना खेत में बोया जा चुका है और जब किसान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वह भीख मांगता फिरे कि हमारा गन्ना पेरने के लिए लिया जाय वरना हमें गुड़ बनाना पड़ेगा या हमें उसको जलाना पड़ेगा। मैं अपने खाद्य मंत्री महोदय से बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जिसके कि लिये बारबार मंत्री महोदय इस तरह की दलील दे देते हैं कि वहां पर पर एकड़ ईल्ड ज्यादा नहीं है या वहां पर गन्ने से ज्यादा चीनी नहीं निकलती है, उस उत्तर प्रदेश और बिहार में आज जो हिन्दुस्तान के सब से बड़े गन्ने के उत्पादक हैं वहां पर स्थिति यह आ गई है कि सम्भवतः कुछ गन्ना किसानों को जलाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय इस प्रकार का एक निश्चित आश्वासन दें कि चाहे जो भी हो किसी भी किसान को अपने गन्ने के एक पेड़ को भी जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज मंत्री महोदय की तरफ से इस तरह का एक निश्चित आश्वासन दिये जाने की जरूरत है यदि वह चाहते हैं कि गन्ने के उत्पादकों को कोई हानि न हो। मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ने जो नीति चलाई हुई है वह गलत नीति थी। आप पहले से इस स्थिति को देख सकते थे और पहले से ही कोई रैगुलेशन कर के इस तरीके की कोई सीमा बांध सकते थे। यह भी अजीब बात है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुल्क में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है और जब यह स्थिति आती है कि आप के हाथ पैर हिलाये बगैर चीनी का उत्पादन बढ़ जाता है तब आप उस को डिसकरेज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि चीनी का उत्पादन बढ़ाने में हिन्दुस्तान की सरकार ने कोई विशेष हाथ पैर हिलाये हों। दूसरी जगहों पर सरकारों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिये जाते हैं लेकिन यहां इंसेंटिव देना तो दूर रहा उनको और डिसकरेज किया जाता है। अब हिन्दुस्तान के गन्ना उत्पादकों की मांग रही है कि उसे दो रुपये मन गन्ने का दाम मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं दिया गया लेकिन उसके बाद भी किसानों ने यह करिश्मा कर दिखाया और उसकी पैदावार बढ़ाई। उन्होंने दिखला दिया कि चीनी का उत्पादन बावजूद पंचवर्षीय योजनाओं की कमियों के किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब आज देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमें कहा जा रहा है कि गन्ने का उत्पादन कम किया जाय, चीनी का उत्पादन कम किया जाय और अगर इसका उत्पादन इसी तरीके से बढ़ता चला जायगा तो हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा जिससे कि हम चीनी का उपभोग कर सकें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी यह दलील भी गलत है।

इस साल कहा जाता है कि तीस लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें मानना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति जो चीनी की खपत है वह दुनिया के अन्य मुल्कों से कम है। ३२ पौंड के करीब हमारे यहां मुल्क में चीनी की खपत है जबकि उन मुल्कों में जो कि हम से आगे हैं उनमें इससे कहीं अधिक खपत है। इंग्लैंड में प्रति व्यक्ति १०७ पौंड की

खपत है। अमेरिका में ९५ पौंड प्रति व्यक्ति खपत है जब कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति केवल ३२ पौंड ही है। में समझता हूं कि हमारी सरकार ने चीनी की देश के अन्दर की खपत को बढ़ाने का समुचित प्रयत्न किया होता तो यह खपत ३२ पौंड से बढ़ कर ४० पौंड हो गई होती। खाद्य मंत्री महोदय का यह कहना कि ज्यादा चीनी खाने से देशवासियों का स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा दुरुस्त नहीं है क्योंकि क्या दरअसल में हम स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में आ गये हैं? क्या हमारे खाद्य मंत्री महोदय यह कहने के लिए तैयार हैं कि यहां भारत में प्रति व्यक्ति उतनी चीनी खा रहा है जितनी चीनी कि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि उतनी चीनी यहां पर प्रति व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है जो कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है लेकिन बात यह है कि खाद्य मंत्री महोदय की ओर से गलत नीतियों का समर्थन करने के लिए गलत दलीलें दी गई हैं। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हमारे पास इतनी चीनी है कि जिस को खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम खपत को सघाया कर दें, तो फिर उत्पादन को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। खाद्य मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों गन्ने की जो एकड़ेज बढ़ी है, वह बहुत बुरे तरीके से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही छः लाख एकड़ जमीन बढ़ी है, लेकिन सितम्बर, १९६१ के इंडियन शूगर में बताया गया है कि १९५९-६० में ५२,२० हजार एकड़ जमीन में और १९६०-६१ में ५७,३४ हजार एकड़ जमीन में गन्ना बोया गया, जिस का मतलब यह है कि केवल पांच लाख एकड़ अधिक जमीन में गन्ना बोया गया। इस लिए मैं नहीं समझता कि १ लाख एकड़ बिहार में और साढ़े पांच लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया।

†**श्री स० का० पाटिल:** मैं ने तो यह कहा था कि बिहार में यह ५०,०००, पंजाब में १,५०,००० है और उत्तर प्रदेश में ५$^{1}/_{2}$ लाख।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** अर्थात् ७ लाख से अधिक हुआ। इन आंकड़ों से तो पता चलता है कि ५ लाख की वृद्धि हुई है।

†**श्री स० का० पाटिल:** आपके पास ये आंकड़े कहां से आये। सही आंकड़े तो यह हैं कि उत्तर प्रदेश में ५$^{1}/_{2}$ लाख, बिहार में ५०,००० और पंजाब में १,५०,००० तथा महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को मिलाकर ९,३०,०००।

†**श्री ब्रजराज सिंह:** मैं ये फ़िगर्ज़ सितम्बर, १९६१ के इंडियन शूगर से दे रहा हूं। इस में पूरे हिन्दुस्तान की फ़िगर्ज़ दी हुई हैं। जो भी हो, माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि ९ लाख एकड़ बढ़ा, लेकिन वे फ़िगर्ज़ साबित करते हैं कि एकड़ेज पांच लाख से ज्यादा नहीं बढ़ा।

†**श्री स० का० पाटिल:** यह एक साल पहले की बात हो सकती है। अब तो हर साल वृद्धि हो रही है।

श्री ब्रजराज सिंह: अगर यह माना जाये कि पिछले साल ५७ लाख एकड़ और इस साल ५९ लाख एकड़ थी, तो दो लाख एकड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा है।

दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा जाता है कि वह सारे हिन्दुस्तान में कल्टीवेबल लैंड को बढ़ाने जा रही है। तो फिर क्या उसके अनुपात से शूगरकेन का एकड़ेज बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है? सके अलावा सवाल यह है कि क्या इस विषय में कोई दूसरे कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। सरकार ने आर्डिनेंस ऐसे वक्त पास किया, जब निश्चित रूप से किसान का नुक्सान होगा। एक दिन में यह बात घटित हो गई थी, ऐसी बात नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री ने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

अपने भाषण में कहा है, पिछले दो तीन साल से यह प्रवृत्ति चल रही है और उत्पादन जिस शक्ल में बढ़ रहा है, उस शक्ल में खपत नहीं बढ़ रही है। अगर गन्ने की एकड़ेज बढ़ रही है, तो उस पर पहले से कंट्रोल किया जाना चाहिए था, उसको नियमित किया जाना चाहिए था, बजाये इस के कि बुवाई के वक्त कानून बनाया जाता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गन्ने की बुवाई गेहूं, जौं, बाजरे और ज्वार आदि की तरह नहीं होती है। एक वक्त की बुवाई का तीन साल तक असर पड़ता है। इस साल जो बुवाई हो चुकी है, जिस की पूरी फ़सल को सरकार चीनी बनाने के लिए तैयार नहीं है और कानून बना कर रोक रही है कि किसान उस गन्ने को चीनी मिलों को न दे सकें, उस का प्रभाव अगले तीन साल तक पड़ेगा।

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, सरकार दस प्रतिशत प्राडक्शन कम करने जा रही है, हालांकि फ़िलहाल चार फीसदी कम करने का विचार है, जिसका अर्थ यह है कि एक लाख टन का फ़र्क पड़ेगा। इस अवस्था में हिन्दुस्तान के किसानों पर पूरा प्रभाव कितना पड़ेगा, यह देखना है। इसके अतिरिक्त जो प्राडक्शन में दस फीसदी कट करने जा रहे हैं, वह किस नियम के आधार पर किया जा रहा है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाए, ऐसे उसूल निश्चित करे, जिससे हर एक उत्पादक पर एक सा भार पड़े। जो वर्तमान व्यवस्था है, उसके अधीन कुछ लोगों पर कम भार पड़ेगा और कुछ पर अधिक, जिसका अर्थ यह है कि कुछ उत्पादकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा, जो उचित नहीं है। इस आर्डिनेंस को जारी किये बिना इसको पहले ही कानून बना कर सरकार कुछ राहत दे सकती थी, लेकिन उस ने ऐसा नहीं किया।

जब भी चीनी के उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न आता है, तो खाद्य मंत्री के, जिनके बारे में यह आशा की जा सकती थी कि वह किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। (**अन्तर्बाधा**) उनके लिए यह कहना ज़रूरी है। इस के बिना यह पार्टी नहीं चल सकती है। खाद्य मंत्री को सदा यह देखना चाहिए कि किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है। चीनी के सम्बन्ध में हमेशा यह कहा जाता है कि गन्ने की कीमत अधिक है और इस लिए हम उस में कुछ नहीं कर सकते हैं, गन्ने की कीमत को कम करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने एक नया राग अलापाना शुरू कर दिया है कि वह गन्ने की कीमत को कम नहीं करना चाहते हैं। सका कारण शायद यह है कि चुनाव में ढाई तीन महीने रह गये हैं और इस अवधि में सरकार की ओर से जो नीति अपनाई जायेगी, उस का काफ़ी असर पड़ सकता है। हो सकता है कि खाद्य मंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, किसान उनको वहां पर बिठाने से इन्कार कर दें। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी इस देश के किसानों में इतनी जागृति नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन में वह जागृति जल्दी आये। चूंकि इस वक्त मंत्री महोदय की आंख चुनाव की ओर लगी हुई हैं, इस लिए इस समय तो यह कहना ज़रूरी है कि वह गन्ने की कीमत को कम नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में वह कहते हैं कि गन्ने की यील्ड बढ़ानी चाहिए और दक्षिण भारत में कहते हैं कि वह वास्तव में देश की शूगर बैल्ट हैं, वहां गन्ने की खेती बढ़ानी चाहिए।

मैं यह जानना चाहत हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने, और उसके प्रोत्साहन पर प्रान्तीय सरकारों ने उन प्रदेशों में, जहां गन्ना पैदा होता है, इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं, जिससे गन्ने की यील्ड बढ़ सके, उसका शूगर कन्टेंट बढ़ सके। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस का परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में एक वीशस सर्कल, एक चक्रव्यूह सा बन गया है कि अगर यील्ड नहीं बढ़ती है, तो कीमत नहीं बढ़ सकती और अगर कीमत न बढ़ाई गई, तो यील्ड नहीं बढ़ेगी और इसके लिए खाद्य मंत्री किसानों को ही दोषी ठहरायेंगे।

मैं समझता हूं कि जब चुनाव हो चुकेंगे और खाद्य मंत्री को यह गद्दी मिल जायेगी, तो यह देख कर कि पांच साल तक वह यहां रहेंगे, वह कहेंगे कि एक रुपया बारह आने नहीं, एक रुपया आठ नौ आने देते हैं। मैं देख सकता हूं कि भविष्य में खाद्य मंत्री क्या करने वाले हैं। इस सरकार की सारी नीति इस तरह की है, जिससे गन्ने के उत्पादकों की हानि हो रही है, उसके हितों की कुर्बानी दी जा रही है। सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि क्या इस बारे में कोई दूसरी नीति नहीं अपनाई जा सकती है, जिससे चीनी का खपत बढ़ाई जा सके, विदेशों में ज्यादा निर्यात किया जा सके। अगर कोई ऐसी नीति अपनाई जा सकती है, तो सब से पहले उधर ध्यान दिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे हिन्दुस्तान में चीनी की खपत ज्यादा हो। जिस प्रकार सारे टैक्स माफ़ करके कम कीमत पर विदेशों में चीनी भेजी जा रही है, वैसे ही अगर यहां पर भी टैक्स कम कर दिये जायें, तो पच्चीस नहीं तो बीस फ़ीसदी खपत बढ़ाई जा सकती है। आज कनज्यूमर को चीनी एक पया सेर मिलती है। अगर उसको बारह, तेरह या चोदह आने सेर मिलने लगें, तो यहां पर खपत पचास फीसदी बढ़ जायेगी। आज चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या का हल यह है कि हमें मुल्क के अन्दर ही खपत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के विकास के लिये हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा पैदा करें। वह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में चीनी के द्वारा विशेष रूप से विदेशी मुद्रा पैदा नहीं की जा सकती है। हालांकि हम अमरीका से मशीनों और दूसरा सामान खरीद रहे हैं और अपने ऊपर कर्जे का बोझ लाद रहे हैं, लेकिन ढाई लाख टन चीनी बेचने के लिए जिसमें से पचास हजार टन का क्वोटा कम कर दिया गया, हमारे खाद्य मंत्री को व्यापारी बन कर वहां जाना पड़ता है। आज समय नहीं है कि हम हिन्दुस्तान की विदेश-नीति के विषय में चर्चा करें, लेकिन ये बातें ऐसी हैं, जो बरबस हमारा ध्यान विदेश-नीति की ओर खींच लेती हैं। हमारी विदेश-नीति ऐसी है कि न सिर्फ़ सामान लेने के लिए, बल्कि अपना सामान बेचने के लिए भी हमको भिखारी की तरह विदेशों में जाना पड़ता है। इन सारी नीतियों पर हमें मूलभूत रूप से सोचना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते चीनी की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि देश में चीनी की खपत बढ़ायी जा सकती है। और ऐसा करना किसान के हित में होगा। मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो हम अपनी योजनाओं के नाम पर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी बड़ी हानि होगी।

हमारे देश के विकास में किसान का बहुत बड़ा हिस्सा है और यह खुशी की बात है कि जहां तक चीनी का सम्बन्ध है किसान ने अपना गन्ने का उत्पादन बढ़ा कर उस लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने में सहायता की है जो कि उसके लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन अब आप कहते हैं कि उसको इतना उत्पादन नहीं करना चाहिये और हम इसका नियमन करेंगे, हम कानून बनाएंगे कि तुम इससे ज्यादा पैदा न कर सको। मेरा निवेदन है कि इससे न तो किसान का कोई हित होगा और न चीनी उद्योग का ही कोई फायदा होगा। उसके लिए कुछ दूसरे कदम उठाने की आवश्यकता होगी। और मेरा सुझाव है कि अब समय आ गया है जब सरकार को देखना चाहिए कि चीनी पर जो बहुत बड़ा कर भार है उसको कितना कम किया जा सकता है। इस चीज की परीक्षा की जानी चाहिए कि चीनी को बाहर भेजने में कितना नुकसान होता है और उसके मुकाबले में उस पर कर भार कम करके देश में उसकी खपत बढ़ाने में कितना नुकसान होगा। अगर अन्दरूना खपत बढ़ाने में कम नुकसान हो तो सरकार को हिन्दुस्तान में चीनी की खपत बढाने के उद्देश्य से चीनी पर एक्साइज कर में कुछ कमी करना चाहिए।

[श्री ब्रजराज सिंह]

उसी के साथ-साथ कुछ और सुविधाएं देनी चाहिएं जिससे हिन्दुस्तान में चीनी की खपत बढ़े और इस उद्योग का अधिक विकास हो। हमको कुछ अन्य देशों में भी जाकर बाजार तलाश करने चाहिएं जहां को हमारी चीनी का निर्यात हो सके। हम अमेरिका को पांच लाख टन चीनी बेचना चाहते हैं। हमको यह भी देखना चाहिए कि क्या हम अपनी चीनी का निर्यात पूर्व के और सुदूर पूर्व के कुछ देशों को या कम्यूनिस्ट ब्लाक के देशों को कर सकते हैं। हमें इस समस्या को हल करने के लिए सारे विश्व के आधार पर विचार करना चाहिए। अगर हम उन देशों को अपनी चीनी का निर्यात करने का प्रयत्न करें जिनको अभी तक हमारी चीनी का निर्यात नहीं हो रहा है, तो सम्भव है कि चीनी का उत्पादन कम करने को आवश्यकता हो न पड़े। और जितना उत्पादन है उसको हम आसानी से खपा सकें।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश को खेतीयोग्य भूमि का अधिक हिस्सा गन्ने की खेती में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमको अपना खाद्य का उत्पादन भी बढ़ाना है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि देश की खेतीयोग्य भूमि का कितना हिस्सा अधिक गन्ने की खेती में चला गया है। मंत्री जो ने इस विषय पर भाषण करते हुए बताया था कि देश में जो खेतोयोग्य भूमि है उसका कितना परसेंटेज गन्ने को खेती में है। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय अपने उस पहले भाषण को याद कर लें और देखें कि यह जो पांच लाख एकड़ अधिक भूमि में गन्ने की खेती होने लगी है यह कुल खेतीयोग्य भूमि का कितना हिस्सा है। मेरे विचार से यह कुल खेतीयोग्य भूमि का बहुत छोटा परसेंटेज होगा। ऐसी शक्ल में इतनी खेती गन्ने की बढ़ जाना कोई विशेष बात नहीं है और इससे कोई विशेष हानि नहीं हो सकती थी और चूंकि इस खेती में किसान को कुछ पैसा मिल जाता है इसलिये इसको कम न करके सरकार को चीनी की खपत के उपाय सोचने चाहिये थे।

इन सारी बातों पर विचार करने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस आर्डिनेन्स को संसद् के पिछले अधिवेशन के २० दिन बाद पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि उनके मंत्रालय को यह आवश्यकता महसूस हुई थी कि इस तरह का कानून बनना चाहिए तो या तो उनको इसे पिछले अधिवेशन में लाना चाहिए था और अगर वह उस समय उसको नहीं ला सकते थे तो वर्तमान अधिवशन के लिए इन्तजार करना चाहिए था। ऐसा करने में कोई विशेष हानि नहीं होने वाली थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, सरकार हिन्दुस्तान में जनतंत्रवादी परम्पराओं का विकास नहीं होने देना चाहती, उसका झुकाव एकाधिकारवाद की ओर अधिक है। वह चाहती है कि ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें जनता का कोई सहयोग और सहमति न हो। उसको मालूम है कि उसकी पार्टी का भारी बहुमत इस सदन में है और वह जो कानून चाहे पास करवा सकती है। अगर हम हिन्दुस्तान में जनतंत्रवादी परम्पराओं को मजबूत करना चाहते हैं तो हमको चाहिए कि आर्डिनेन्स बनाने की प्रवृत्ति को कम करें और जहां तक हो सके आर्डिनेन्स न बनायें। जब बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हो तो आर्डिनेन्स बनाया जाए। मेरा अपना खयाल है कि इस विषय में सरकार को आर्डिनेन्स बनाने की जरूरत नहीं थी।

दो तीन साल से चीनी की स्थिति ऐसी चल रही थी कि सरकार चाहती तो इस प्रकार का कानून ला सकती थी। और अगर पिछले अधिवेशन में इसको लाना भूल गई थी तो वर्तमान अधिवेशन के लिए इन्तिजार कर सकती थी लेकिन सरकार को इन्तिजार करने की क्या जरूरत है। उनका प्रबल बहुमत है। देश की जनता जाग्रत नहीं है और सरकार को देश की जनतंत्रवादी परम्परा को एक बार तो ठेस पहुंचानी ही है। कहीं न कहीं किसी वक्त सरकार को जनतंत्र की हत्या कर देनी

है। इसीलिए ये आर्डिनेन्स पास किए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि यह आर्डिनेन्स आवश्यक न था और न आज इस कानून का पास किया जाना ही आवश्यक है। खास तौर से जब कि ऐसा करने से किसानों के हितों का हनन होता हो।

लेकिन अगर खाद्य मंत्री महोदय इस बिल को पास कराना ही चाहते हैं तो मैं उनसे यह आश्वासन चाहूंगा कि जो गन्ना किसान बो चुका है और जो किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को देता रहा है उसका गन्ना किसी भी शक्ल में खेत में खड़ा नहीं रहना चाहिए। आज उत्तरप्र देश और बिहार के कुछ भागों में स्थिति यह है कि किसानों का गन्ना पेरा न जा सके। इसलिये मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री महोदय आश्वासन दें कि चाहे कुछ भी हो, हम यह कानून भले ही बना ले, लेकिन उसके बाद भी किसी किसान का गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहेगा, उसको वह पिरवाने का प्रबध करेंगे चाहे चीनी की शक्ल या गुड़ की शक्ल में। मैं चाहूंगा कि इस बारे में मंत्री महोदय पक्का आश्वासन दें कि गन्ने के किसान को कोई हानि नहीं होने दी जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा और जो बिल खाद्य मंत्री महोदय ने पेश किया है उसको मंजूर नहीं करेगा।

श्री विभूति मिश्र (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, जो यह सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी किया गया है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, पर मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि उसने जो यह अध्यादेश जारी किया उसके लायक यह मसला नहीं था। अगर सरकार की तरफ से केवल एक कम्युनिक निकाल दिया जा जाता तो अगले साल किसान गन्ना कम बोता। लेकिन सरकार ने आर्डिनेन्स जारी करके बड़ा जबरदस्त मेजर लिया। हो सकता है कि इस विषय में अपने अपने विचार में फर्क हो।

दूसरी बात मुझ को यह कहनी है कि बिहार के लिये दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये चार लाख टन चीनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था पर पिछली साल बिहार में केवल ३.८० लाख टन चीनी ही हो पायी, २० हजार टन चीनी लक्ष्य से कम रही, लेकिन फिर भी आप बिहार पर यह आर्डिनेन्स लागू करने जा रहे हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ, उनका घाटा हुआ। मेरे जिले में पारसाल ५ करोड़ मन गन्ना हुआ था। हो सकता है कि स साल कुछ ज्यादा हुआ हो। लेकिन सरकार को यह आर्डिनेन्स जारी करने के साथ ही साथ इस बात की भी खबर लेनी थी कि किसानों का सारा गन्ना पेर दिया जाए। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया।

पिछले साल मिल ७ नवम्बर से ९ नवम्बर के बीच चलने लगे थे। इस साल १५ नवम्बर से मिल चलने आरम्भ हुए हैं और जैसा कि अनिरुद्ध बाबू बतलाते हैं दरभंगा में और चम्पारन में तो मिलें चलने में आठ नौ दिन की देरी हुई है। और भी कुछ स्थानों में चीनी मिलें चलने में देरी हुई है। एक तरफ तो मिलें देर से चली हैं और दूसरी तरफ इस साल गन्ने की बम्पर क्राप हुई है। तो यह गन्ना कहां पेरा जाएगा।

इसी सिलसिले में मैं एक बात मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४०-४१ में बिहार में बहुत ज्यादा गन्ना पैदा हुआ था। उस गन्ने को पेरने का इन्तिजाम सरकार नहीं कर पायी और चीनी मिल वालों ने गन्ने को नहीं पेरा। उस साल जब कि अंग्रेजी सल्तनत थी सरकार ने किसानों को ७ लाख ६ हजार रुपया मुआवजा दिया। जो प्लांट केन था उसके लिये ४ रुपये प्रति एकड़ और जो रतून केन थे उसके लिये २० रुपया प्रति एकड़ उस साल सरकार

[विभूति मिश्र]

की ओर से किसान को मुआवजा दिया गया था। मैं समझता हूं कि इस साल भी सरकार को किसान के गन्ने को पेरने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये। किसान का जो गन्ना पेरा नहीं जा सकेगा और खेत में खड़ा रहेगा उसका सरकार को मुआवजा देना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मंत्री महोदय बराबर कहते रहते हैं कि हमको अपनी चीनी के लिये बाजार नहीं मिलता है। इंगलैंड आस्ट्रेलिया से ६२२ रुपये प्रति टन के हिसाब से चीनी खरीदता है। हमारे यहां चीनी पर टैक्स है १४ रुपये ६ आने प्रति मन और उसकी एक्स-फैक्टरी प्राइस सरकार ने रखी है ३७ रुपये ८५ नए पैसे। अगर स में से हम १४ रुपये ६ आने निकाल दें तो चीनी की कीमत २३ रुपये और ४८ नए पैसे रह जाती है। अगर २७ मन का एक टन मा तो हमारी चीनी की कीमत ६३३ रुपया ९६ नए पैसे प्रति टन पड़ेगी। जिसमें ५ रुपया मन सरकार ने मिल वालों को मुनाफे और कुछ टैक्स वगैराह की शक्ल में दिया है। अगर इस को कम कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि जिस रेट पर इगलैंड आस्ट्रलिया और फिजी से चीनी खरीदता है वही रेट हमारा भी पड़ जायेगा। अब उचित तो यह है कि सरकार अपनी चीनी के निर्यात के वास्ते बाजार ढूंढे न कि उसके अधिक उत्पादन से परेशान हो जाये। यह किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ कि जब उनका गन्ना खेत में खड़ा है तो सरकार ने उस समय यह आर्डिनेंस निकाल दिया। पिछले साल आर्डिनेंस निकालते तो और बात थी लेकिन जब गन्ना तैयार है और मिलों में पेरने लायक है तब जो इस तरह का आर्डिनेंस हमारी सरकार निकालती है तो वह उचित बात नहीं है। अब इसके लिये हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि ऐसा करके हम उनको एलेक्ट्रिक शौक लगा रहे हैं लेकिन अब पाटिल साहब से मेरा यह निवेदन है कि कहीं इतना इलैक्ट्रिक शौक न लगा दिया जाये कि मरीज ही मर जाये। मुझे तो आशंका है कि आपका यह इलेक्ट्रिक शौक ट्रीटमेंट मरीज को ही मार डालने वाला साबित होगा। अब जहां तक मंत्री महोदय के हृदय का सम्बन्ध है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उनके दिल में किसानों की भलाई का ख्याल रहता है। हमारे मंत्री महोदय किसानों के जबर्दस्त हितैषी हैं और मैं समझता हूं कि जितना वह किसानों के इंटरैस्ट को समझते हैं उतना मैं भी नहीं समझता। लेकिन मैं समझता हूं कि कभी कभी डाक्टर से इलाज करने में गलती भी हो जाती है और इसीलिये मैंने अपने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि वह इतना जबर्दस्त इलेक्ट्रिक शौक का ट्रीटमेंट न दें। हमारे मंत्री महोदय इसमें ऐक्सपर्ट हैं और मैं चाहूंगा कि जितना इलेक्ट्रिक शौक दिया है उसको वे कम करें ताकि किसान जिंदा रहें क्योंकि अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो फिर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि चीनी का बाजार ढूंढ़ने की बड़ी जरूरत है।

मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट किस जगह है। आप हम से ४५ करोड़ पया सालाना चीनी के ऊपर टैक्स लेते हैं। मैं समझता हूं कि अगर यहां फाइनैन्स मिनिस्टर होते तो ज्यादा अच्छा होता। १५ करोड़ रुपया आप चीनी पर सबसिडी दीजिये और बाहर भेजिये। ३० करोड़ रुपया टैक्स लीजिये और १५ करोड़ उस पर सबसिडी दीजिये ताकि बाहर चीनी भेजी जा सकें। लेकिन यह आप नहीं करते। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस साल जो गन्ना खेतों में खड़ा है उस गन्ने को पिरवा देने का वह पूरा पूरा इंतजाम करें। खैर आपने ७–८ रोज मिल देर से चलाने के लिये तो कुछ नहीं किया लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि जब तक सारा गन्ना किसानों का न पेरा जाय तब तक सरकार को चैन नहीं लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि बहुत से भाई कहते हैं कि और फसलों के बारे में क्यों नहीं कहा जाता है कि क्या करना चाहिये यह गन्ने के बारे में ही क्यों बोलते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि चाहे बिहार ही अथवा ईस्टर्न यू० पी० एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ जा कर ३०० मन का पड़ता है। ३०० मन पर १० परसेंट के हिसाब से ३० मन चीनी हुई और ३० मन चीनी के ऊपर १४ रुपये ६ आने आप का टैक्स है लगभग ४००–४५० रुपये इस तरीके से टैक्स हुआ, जो कि एक एकड़ जमीन में सरकार को मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी जमीन हिन्दुस्तान में है जिस जमीन से कि सरकार को एक एकड़ में ४००–४५० पया टैक्स मिलता है? अब सही बात तो यह है कि किसानों को कोई अंदाजा तो रहता नहीं है कि एक एकड़ में कितना गन्ना पैदा होगा। अब होता यह है कि किसी साल तो एक एकड़ में ३०० मन गन्ना पैदा होता है तो किसी साल उसी एक एकड़ में ६०० मन तक गन्ना पैदा हो जाता है। अब आज अगर किसान ने मेहनत करके ज्यादा गन्ने का उत्पादन कर दिखाया है तो उसके लिये परेशान क्यों हुआ जाय। एक दिन वह भी था जब आप बाहर से चीनी मंगाते थे और आज चीनी जब अधिक पैदा होने लगी है तो आप परेशान हो गये। बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जिनके कि कोई बाल बच्चा नहीं होता है और उसके लिये वह बड़ा यत्न करते हैं, इंतजाम करते हैं और अगर उनके वहां बाल बच्चे हो जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों को खिलायें कहां से। अब अगर ज्यादा गन्ना पैदा हो गया या ज्यादा बाल बच्चे पैदा हो गये तो यह तो खुशी की बात है। आप उनका इंतजाम कीजिये। घबराते क्यों हैं। मैं तो समझता हूं कि हमारे पाटिल साहब को इसके लिये खुश होना चाहिये कि उनका किसान इतना तगड़ा है कि उसने इतना गन्ना पैदा कर दिया।

हमारे बिहार में यह खंडसारी और गुड़ का रिवाज नहीं है। मैं अपने जिले की बात कह सकता हूं कि हमारे वहां कम से कम ५ करोड़ मन गन्ना पैदा होता है। करीब साढ़े ७ या ८ करोड़ रुपये का गन्ना हमारे जिले में मिलता है। पहले हमारे जिले की ऐसी हालत थी कि १०, १० मील तक कोई सफेद मकान नहीं नजर आता था लेकिन आज हालत यह है कि हर गांव में ५, १० सफेद मकान दिखाई पड़ते हैं। आज लोगों की आर्थिक अवस्था बेहतर हो गई है। आप अगर इसका इंतजाम नहीं करेंगे कि किसान का तमाम गन्ना पेरा जा सके तो मैं समझता हूं कि इस साल किसानों की बड़ी तबाही होने वाली है और उस हालत में हमारे यह विरोधी लोग फायदा उठायेंगे। मैं अपने पाटिल साहब से चाहूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे इस तौर पर फायदा न उठा सकें। हमारे पाटिल साहब जो कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं विरोधी दल के लोगों को उनकी आलोचना का समुचित उत्तर दे देंगे। जो भी हो उनको किसानों को जरूर बचाना चाहिये।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां उत्तर प्रदेश में कुछ फैक्टरियां हैं जो कि मेरे जिले से सम्बन्धित हैं। ४० लाख मन गन्ना हमारे बिहार से वहां पर जाता है। अब उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र के कारखाने- दार कहते हैं कि हम गन्ना नहीं लेंगे तो मैं यह चाहता हूं कि पिछले साल जिस फैक्टरी ने जिस ऐरिया से जितना गन्ना लिया था इस साल भी उस फैक्टरी को आप इस बात की हिदायत दें कि वह उतना गन्ना अवश्य ले ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके। ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेशमें जब गन्ने की कमी थी तब हमारे यहां से खरीदते थे और अब जब ज्यादा फसल हो गई तो हमारे यहां का गन्ना छोड़ दें क्योंकि अगर उन्हें वैसा करने दिया गया तो हमारे बिहार का किसान मर जायेगा। इसलिये मैं पाटिल साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा इंतजाम करें ताकिबिहार का किसान जो गन्ना यह खेतों में पैदा करता है वह उसका पड़ा न रह जाये और वह फैक्टिरीज में पेरा जा सके।

[श्री विभूति मिश्र]

अब मैं एव्रैज एकैज के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे पाटिल साहब सरकारी आंकड़ों के बारे में बड़ा विश्वास करते हैं लेकिन हमारे भूतपूर्व किदवाई साहब इन सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते थे और वह कहते थे कि सरकारी आंकड़े बहुत गलत हैं। अब चैअरमैन साहब आप भी किदवाई साहब के जमाने में सदस्य थे और मैं भी सदस्य था और हम जानते हैं कि वह सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो आंकड़ा दिया गया है। कि ९ लाख एकड़ की एव्रैज ईल्ड बढ़ गयी है उसके ऊपर विश्वास न किया जाये . . .

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : फिर कौन सा ऐसा आंकड़ा है जिस पर कि विश्वास किया जाये ?

श्री विभूति मिश्र : जरा सुनिए तो मैं बतलाता हूं। आप कहां जानते हैं आप तो प्रोफेसरी कीजिए ।

मैं बतलाना चाहता हूं कि इस साल जहां पानी ज्यादा हो गया है वहां पर खेती की बरबादी भी हुई है। आप ने बतलाया कि ४ परसेंट गन्ना एक्सैस हो गया है लेकिन मेरा अपना खयाल है कि इससे ज्यादा होगा क्योंकि फैक्टरियों में कभी कभी हड़तालें भी हो जाया करती हैं और सब मिला जुला कर मेरा अपना अंदाजा है कि यह एक्सैस ४ परसेंट से ज्यादा पड़ेगा और यह कोई ७--८ परसेंट पड़ेगा। आप ने जो यह आर्डर निकाल दिया है कि दस फीसदी गन्ना इस साल हम मिलों में कम दगे तो इस आर्डर को आप वापिस लीजिए क्योंकि जब तक आप यह आर्डर रक्खेंगे मिल वाले चाहेंगे कि मिलों में काम धीरे धीरे चलायें। मिल वाले इस चक्कर में हैं कि वह धीरे धीरे चलायें ताकि किसानों के अन्दर बैचेनी हो और सरकार पर प्रैशर डालें और वह गन्ने की कीमत कम करे। यह सारा मामला इसीलिए है। यह पूंजीपति लोग बड़े होशियार होते हैं और इनकी नीचे से ऊपर तक लाग डांट है। हम किसानों को कौन पूछता है। हमारी पूछ तो अगले साल होगी अभी पूछ नहीं होगी। मैं बतलाना चाहता हूं कि यह मिल मालिक और पूंजीपति इस चक्कर में हैं कि गन्ने की कीमत कम हो नहीं तो सरकार उनको टैक्स में कुछ कमी करे और उसके वास्ते वह यह चीजें करते हैं। पार साल मिलें ७ और ९ नवम्बर से चली थीं जब कि इस साल १५ नवम्बर के बाद से मिलें चल रही हैं। अब जाहिर है कि काफी गन्ना पेरने के वास्ते होगा। अब जहां तक जवाब देने का ताल्लुक है तो कोई भी आदमी कुछ भी जवाब दे सकता है। हमारे मंत्री महोदय जवाब देने में बड़े होशियार हैं लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनके जवाब से मुझे संतोष नहीं है अलबत्ता उनके हृदय से मुझे संतोष है। मुझे मंत्री महोदय की सेवा में और अधिक न कहते हुए केवल यही निवेदन करना है कि आप किसानों का जितना भी गन्ना उनके खेतों में खड़ा है उसको गिरवा दीजिये और उनका भला कीजिये।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : सभापति महोदय, अब यह आर्डिनेंस और साथ ही साथ बिल आज विरोधी तर्क वितर्क का लक्ष्य बने हुए हैं। उनमें मौलिक अन्तर तो है ही साथ ही यह भी है कि किसानों की समस्या हल करने की बात तो बाद को आती है लेकिन जो आक्षेप एक दूसरे पर यहां हो रहे हैं वह सब से प्रमुख है।

यह सही है कि हिन्दुस्तान में दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में लगभग ४५ लाख एकड़ गन्ना था जबकि इस समय लगभग ६१ लाख एकड़ भूमि में गन्ना खड़ा है । किसानों की आर्थिक दशा देखते हुए उनका उस तरफ झुकना स्वाभाविक सा है क्योंकि गन्ने की खेती करने से उनको अधिक लाभ होता है । जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है, भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी किसानों की प्रवृत्ति दूसरे खाद्यान्नों की अपेक्षा गन्ने की तरफ बढ़ रही है । यह तथ्य सबको ज्ञात है कि भारत के किसानों की दशा व्यवसायियों और दूसरे लोगों से गिरी हुई है, इसलिए उनको गन्ने की खेती बढ़ाना स्वाभाविक है, लेकिन प्रश्न यह है उस खेती के बढ़ने से देश की अर्थ-व्यवस्था और खास कर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और किसानों का, जो कि जन-संख्या का अस्सी प्रतिशत हैं, भविष्य कैसा रहेगा । इसी दृष्टिकोण से सरकार ने पहले आर्डिनेंस जारी किया और अब यह बिल पास करने जा रही है । अभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसका लक्ष्य भी यही है कि गन्ने की खेती करने वालों के हितों की रक्षा की जाये । दोनों का ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाये कि उन लोगों के हितों की रक्षा की जाये और उनका भविष्य अन्धकार में न पड़ जाय ।

यह स्पष्ट है कि अगर इस तरह से गन्ने की खेती बढ़ती गई, तो अन्न की कमी के साथ साथ चीनी का बाहुल्य होगा और अगर चीनी का भाव गिरेगा, तो गन्ने का भाव गिर सकता है। यह तर्क सरकार की तरफ से दिया जा रहा है । यह स्थिति पैदा होने से पहले सरकार ने जब गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया, तो अन्न के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हुआ हो या न, लेकिन गन्ने और चीनी के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो गया । यदि किसान अन्नोत्पादन के सम्बन्ध में देश के किसी लक्ष्य को सब से पहले पूरा कर रहा हो, तो उसको इस प्रकार इलैक्ट्रिक शाक, बिजली का शाक, देने की बात मुझ जैसे गांव वालों की समझ में नहीं आती । अगले साल गन्ने की खेती और बढ़ सकती थी । दूसरी योजना के आरम्भ में ४५ लाख एकड़ भूमि पर गन्ना बोया जाता था, जब कि इस वक्त ६१ लाख एकड़ गन्ना खड़ा है और इस का प्रतिशत तेजी के साथ बढ़ रहा है । लेकिन इस के साथ ही साथ गन्ने के किसानों ने अपनी आर्थिक दशा भी सुधारी है । हो सकता है कि हमारी चीनी रह जाये । यह सही है कि रिजर्व या स्टेट बैंक का बहुत सा रुपया फंसा हुआ है, लेकिन साथ ही भारत में आज भी कई करोड़ रुपया किसानों का मिल-मालिकों के जिम्मे है और किसान अपना मूल्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। अगस्त के अन्त में, सितम्बर, में, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बताया कि लगभग चार करोड़ रुपया किसानों का मिल-मालिकों के जिम्मे था । मैं अपने जिले की एक मिल, डायमंड शूगर मिल, की बात करता हूं, जिसने सेस के बारे में हाई कोर्ट से रिट दाखिल किया था और जिसके कारण सरकार को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा था। उसके जिम्मे सितम्बर के आरम्भ में लगभग १५ लाख रुपया गन्ने का मूल्य बाकी था । सैस का भी बाकी है और भी झगड़े हैं, बहुत सी बातें हैं। यह एक ही साल पहले की बात नहीं है। मैं पिछले नौ दस साल से लोक सभा में हूं। हर साल प्रश्नों उत्तर में बताया जाता है कि सीजन खत्म हो जाने के बाद, ३ जून के बाद, करोड़ों रुपया मिल--मालिकों के जिम्मे रहता है । यह बात ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक और हानिकर है ।

गन्ने की खेती करने वाले किसानों की संख्या थोड़ी नहीं है । १९५१ की जन-गणना के अनुसार दो करोड़ से अधिक कृषक ऐसे थे, जो गन्ने की खेती करते थे । इस वक्त उनकी

[श्री विश्वनाथ राय]

संख्या तीन करोड़ के लगभग हो गई होगी । इन तीन करोड़ कृषकों के लिए, जिनका पैसा प्रायः बाकी रह जाता है, अब भी बाकी है, इलैक्ट्रिक शाक की जरूरत नहीं थी । उनको इस विषय में एक साल पहले चेतावनी दे देनी चाहिए थी ।

चीनी का उत्पादन दस प्रतिशत कम करने का विचार है । यह सही है कि फिलहाल चार ही प्रतिशत कम होने की बात है । लेकिन गन्ने की पैदावार १९६०–६१ की अपेक्षा इस साल बढ़ी है । १९६१–६२ के सीजन में जो गन्ना इस बिल के लागू होने के कारण पेरने के लिए बाकी रह जायेगा, उससे समस्यायें बढ़ेंगी । मंत्री महोदय ने यह तर्क दिया कि गन्ने से गुड़ या खांडसारी बनने की अपेक्षा मिल में ज्यादा जाने से चीनी का उत्पादन बढ़ा । लेकिन एक लाभ यह भी हुआ कि जो तीन प्रतिशत चीनी खांडसारी में जाने से बरबाद होती है, या गुड़ में जाने से उससे भी अधिक नुकसान होता है, फैक्ट्री में जाने से उसकी बचत हो गई । मैं तो कई साल से इस विचार का हूं कि खांडसारी या गुड़ को प्रोत्साहन देना तीन प्रतिशत चीनी रूपी राष्ट्रीय क्षति को और बढ़ावा देना है ।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह यह इलक्ट्रिक शाक अगले साल के लिए रखे । इस साल वह अच्छी तरह से प्रचार करके किसानों को काबू में कर ले, लेकिन इस वक्त जो गन्ना खड़ा है, जोकि फैक्ट्रियों को दिया जाना चाहिए उसको देने के लिए वह सुविधा दे, न कि कोई प्रतिबन्ध लगा कर वह उसको फैक्ट्रियों को देने से रोके ।

गत वर्ष उत्तर प्रदेश में भारत के शूगर का ५०.३४ प्रतिशत उत्पादन हुआ । जिस प्रकार भारत के दूसरे भागों में यील्ड भी बढ़ी है और प्रतिशत गन्ने की पैदावार में पहले से कुछ अधिक वृद्धि हुई है, वैसे ही उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में भी हुई है । मैं मानता हूं कि हमारा गन्ने का प्रतिशत उत्पादन उतना नहीं है, जितना दक्षिण का है । लेकिन उस के कुछ कारण हैं, जिनमें जाना इस समय सम्भव नहीं है । फिर भी यह जरूर है कि भारत के किसानों की दशा कुछ संतोषजनक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के किसान उनसे भी गरीब हैं और उनकी दशा और भी बुरी है । इसी कारण वहां पर गन्ने की खेती बढ़ रही है, क्योंकि वही एकमात्र साधन है, जिससे वे अपनी आवश्यक चीजें खरीद सकते हैं । उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा उद्योग–धंधा चीनी का है । दूसरी कोई ऐसी वस्तु वहां पैदा नहीं होती है, जिससे वहां के लोग अपनी आजीविका चला सकें । उनके हितों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है । उन को कम से कम इस लायक रखा जाये कि उनका जो सामान इस समय खेतों में है, जिस पर अगले साल के लिए उनकी आशायें बंधी हुई हैं, वह बरबाद न हो, बल्कि उनको उचित सुविधायें दी जायें ।

पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्हू वगैरह लगाने को हतोत्साहित किया और उसमें लाइसेंस की व्यवस्था रखी । लेकिन अब चूंकि फक्ट्रियां में दस प्रतिशत गन्ना कम जायगा, तो बचे हुए गन्ने के लिये वह कोल्हू लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है । फ़ैक्ट्रियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा कर सरकार चीनी की पैदावार पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगा रही है, बल्कि गन्ने की बिक्री में इससे रुकावट पड़ रही है । सरकार को इस ओर भी विचार करना चाहिए ।

कि इस तरह गन्ने का प्रतिशत कितना बढ़ जायगा। इस बिल को मैं बहुत दूर तक आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए या काबू में रखने के लिए उपयोगी समझता हूं। मैं साथ ही साथ यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी समझता हूं कि जो किसान गन्ना बेचना चाहता है, उसके रास्ते में किसी तरह की रुकावटें खड़ी न की जायें बल्कि उसको ऐसा करने की हर संभव सुविधा दी जाए।

जो फैक्ट्रियां अधिक चीनी का उत्पादन करती हैं उन एक्स्ट्रा १० परसेंट चीनी उत्पादन पर ड्यूटी लगाने का आपका खयाल है, उसके बारे में कोई ऐसा प्रबन्ध आप करें कि जितना भी गन्ना किसान दें उसको वे ले लें और उस ड्यूटी में कुछ परसेंट कम करके गन्ने की कीमत वे किसानों को अदा कर दें। इस तरह से करने से गन्ने की खपत हो जायेगी।

माननीय मंत्री जी की दूरदर्शिता में विश्वास रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आतंक किसानों में फैल गया है, जो घबराहट उन में फैल गई है, जो परेशानी वे अनुभव करने लग गए हैं, उसको दूर करने का वह प्रयत्न करेंगे। मैं चाहता हूं कि गन्ने से उनको जो पैसा मिलना है और जिसको ले कर उन्हें अन्य जरूरी चीजें खरीदनी हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालना है, वह उनको मिल जाए और इन जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने में उनके रास्ते में कोई रुकावट न आए।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : सभापति जी, चीनी के सम्बन्ध में बराबर कुछ न कुछ दिक्कत आती रहती है। यह आश्चर्य की बात है कि चीनी का व्यापार, चीनी का उद्योग जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में है और जिसका वह पैर से लगा कर चोटी तक नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, उसको भी संकट का सामना करना पड़ता है। कभी तो चीनी एक दम कम हो जाती है और कभी इतनी अधिक हो जाती है कि उसको निकालने की सरकार के सामने समस्या उठ खड़ी होती है और सरकार सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसको कैसे बेचा जाय।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस काम को करने के लिए बहुत योग्य व्यक्ति हैं और वह इस समस्या को हल करने की चेष्टा कर रहे हैं। परन्तु उनको इस उद्योग के संबंध में करोड़ों आदमियों पर भरोसा करना पड़ता है और उनके कोओपरेशन पर ही उनकी सफलता निर्भर करती है। यदि सब लोग मिल कर के इस प्रश्न पर प्रैगमैटिक तरीके से विचार करें और सोचें कि किस तरह से इसको हल किया जा सकता है और माननीय मंत्री जी को पूर्ण सहयोग प्रदान करें तो यह समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती है।

आज समस्या हमारे सामने यह है कि चीनी का उत्पादन जो बढ़ गया है, और जो चीनी पड़ी हुई है, उसको किस तरह से खपाया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि चीनी की खपत में बेशी होने से डर है कि बीमारी न हो जाए। इससे बीमारी बढ़ने का डर है। यह बात ठीक हो सकती है। लेकिन जो आंकड़ा दिया गया है अन्य देशों के सम्बन्ध में कि वहां इतनी खपत होती है, उसके मुकाबले में हमारे यहां बहुत कम खपत चीनी की होती है। इसके साथ ही साथ यह बात भी सच है कि अन्य देशों में शायद इतनी गुड़ की खपत नहीं होती है जितनी कि हमारे यहां होती है। इस वास्ते हमें ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी जिससे चीनी की खपत और बढ़े। चीनी के व्यापार को हम चीनी की खपत बढ़ा कर ही जिन्दा रख सकते हैं। जब तक चीनी की खपत नहीं बढ़ेगी तब तक इस व्यापार में बराबर हलचल मचती रहेगी।

[श्री झुनझुनवाला]

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि किसानों को कम कीमत गन्ने की न मिले । यह बात ठीक है। लेकिन किसान को भी मंत्री महोदय से सहयोग करना चाहिये। यदि हम गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ा दें तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो सकती है । साथ ही साथ ऐसा गन्ना पैदा करें कि जिस में से चीनी अधिक निकल सके । हमें चाहिये कि हम देखें कि गन्ने के नीचे एकरेज भी बेशी न हो और अगर एक एकड़ में दो सौ रुपये का गन्ना निकलता है, तो उस में से अधिक रुपये का गन्ना पैदा हो। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि तीन सौ मन अगर एक एकड़ में पैदा होता है तो उसको हम आसानी से छः सौ मन कर सकते हैं और उस में इस प्रकार का गन्ना बो सकते हैं जिस में से चीनी की मात्रा भी पहले से अधिक आए। यह भी एक उपाय है जिस से यह समस्या हल हो सकती है । हमें ऐसा उपाय करना चाहिये जिस से किसान को पैसा भी बेशी मिले और हमारे देश को भी लाभ हो और यह समस्या जो बार बार उत्पन्न होती है, उत्पन्न न हो । अगर गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ा दिया जाए और उस में चीनी भी अधिक निकले तो किसान को भी पैसा अधिक मिलेगा, चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपभोक्ता को भी चीनी सस्ते भाव में मिलेगी। इस काम में मैं समझता हूं कि सभी के सहयोग की आवश्यकता है। केवल टीका टिप्पणी करने से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। अगर हम करना चाहें तो पचास टीका टिप्पणियां कर सकते हैं। इस में किसी का कुछ लगता नहीं है (**अन्तर्बाधा**) हमें इस दृष्टि से इस पर विचार करना होगा कि किस तरह से यह समस्या हल हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वे इस तरीके से यहां पर भी काम करें जिस से देश को लाभ हो और इस दृष्टि से न करें जिस से कोढ़ में खाज हो ---

श्री ब्रजराज सिंह : देश का लाभ आपका ठेका है ।

श्री झुनझुनवाला : हम नहीं, आप ठेका ले कर आए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप जिस तरह से काम करते हैं, वह सही नहीं है । आप किसानों को उभाड़ते हैं। अगर इस तरह से आप न करें तो कुछ फायदा हो सकता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि हम देखें कि चीनी सस्ती कैसे हो सकती है । यह लांग टर्म प्राबलैम है और इस बात को माननीय मंत्री जी बराबर कहते आए हैं । जब तक इस काम में सभी लोग सहयोग नहीं देंग, लाभ नहीं हो सकता है । जो अभी मसला हमारे सामने पैदा हो गया है और उसको हल करने के लिय मंत्री महोदय ने जो इलाज सुझाया है उस से तो मैं समझता हूं कि और उलझनें पैदा होंगी। इस से मसला सुधरेगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है । आपने कहा है कि जो चीनी मिलें अधिक चीनी पैदा करेंगी उन पर अधिक एक्साइज ड्यूटी आप लगा देंगे । अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि चीनी के दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़ने का नतीजा यह होगा कि चीनी की खपत कम होगी । ऐसी सूरत में कैसे वह इस मसले को हल करेंगे, यह हमारी समझ में तो नहीं आया है। अगर आप अधिक एक्साइज ड्यूटी उस चीनी पर लगाते हैं जो कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक चीनी पैदा होगी तो इसका नतीजा यह होगा कि जो फक्ट्रियां हैं वे कम पदा करेंगी क्योंकि एक तो उनको ड्यूटी अधिक देनी पड़ेगी और दूसरे चीनी के दाम बढ़ जाएंगे और उस के साथ ही साथ चीनी की खपत कम हो जाएगी। ऐसी सूरत में जितनी कम चीनी वे तैयार कर सकती हैं करेंगी और यदि ऐसा हुआ तो गरीब किसानों

के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, उन पर बड़ी भारी आफत आ जाएगी। माननीय मंत्री जी का हृदय कितना भी कोमल किसानों के प्रति क्यों न हो और चाहे उनको कितना भी दुःख क्यों न होता हो यह देख कर कि किसानों को नुकसान हो रहा है, परन्तु मैं उन से पूछना चाहता हूं कि यह जो डाइलीमा है, इस से बाहर आप कैसे निकलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मिलें अधिक चीनी बनायेंगी तो वह उन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे जिसका नतीजा यह होगा कि दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़न से खपत कम हो जाएगी। ऐसी हालत में मिलें यही चेष्टा करेंगी कि जितनी कम से कम चीनी तैयार की जा सकती है, तैयार करो। जब वे कम चीनी तैयार करेंगी तो किसानों के पास जो गन्ना है, वह कहां जाएगा? उसका आप क्या सौल्यूशन सोचते हैं? हमारे तो एक ही बात समझ में आती है कि यदि आप आखीर तक गन्ना पड़ा रखना चाहते ह, अगर आप चाहते हैं कि गन्ना अप्रैल, मई तक पेरा जाय तो किसानों को भी नुक्सान होगा और मिलों को भी नुक्सान होगा। कंज्यूमर्स को भी नुक्सान होगा। मैंने इस बात पर विशेष सोच विचार नहीं किया है लेकिन मेरी क्षुद्र बुद्धि में यह आता है कि अभी आप यह कर दीजिये कि मिलें जो हैं वे बेस्ट पीरियड में गन्ना पेरें, जिस वक्त कि गन्ने में सुक्रोज अधिक से अधिक हो, अभी चीनी मिलें न पेरें।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये।]

इस से यह होगा कि प्रभो चाहे जो कुछ तकलीफ हो लेकिन कम से कम आखीर में गन्ना पड़ा नहीं रहेगा जब कि वह सूख जाता है और उसमें से न गुड़ बन सकता है और न चीनी निकल सकती है। आप यह कर दें कि हम आरम्भ में मिलों को न चलायें। अभी किसानों को गुड़ बनाने में सुभीता होगा। जाड़े के दिनों में ज्यादा गुड़ आसानी से बन सकता है और मिल तब चलेगी जब कि वेस्ट पीरियड रहेगा। अगर उस वक्त मिल चलेगी तो चीनी अधिक निकलेगी और मिल वालों को वह किफायत में पड़ेगी। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने पहले रेगुलेशन बनाया था कि मई में चीनी बने और चीनी बना कर उस में जितना सुक्रोज मिले उसके लिये . .

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य अब अपना स्थान ग्रहण करें वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा का कार्य •

†**अध्यक्ष महोदय**: संसद-कार्यमंत्री ने बताया है कि ८ तारीख के बाद कोई अधिक काम नहीं रहेगा। उन्होंने लिखा है कि जिस स्थिति में आजकल काम हो रहा है उससे यह प्रकट है कि उस तारीख के बाद काम नहीं रहेगा। चूंकि कोई विवादास्पद विधेयक भी नहीं है, अतः ८ तारीख को सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो जायेगी।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): प्रश्नों का क्या होगा? मैं चाहता हूं कि प्रश्न काल अंतिम सप्ताह के लिये बढ़ा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: कितने दिन तक?

†**श्री तंगामणि**: इनके उत्तर सभा पटल पर रख दिये जायें। वर्ना तो ये समाप्त समझे जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस प्रकार संकल्प, तथा विधेयक व्यपगत होंगे उसी प्रकार ये प्रश्न भी व्यपगत समझे जायेंगे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : कोई उपाय ढूंढना चाहिये । वर्ना तो जनता तो यह समझेगी कि पहले १५ ता० तक सत्र होने की घोषणा की गई थी । लेकिन ऐसी मालूम होता है कि सदस्य अपने आगामी चुनावों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अवकाश ही नहीं मिला ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यदि आवश्यकता समझें तो अपने प्रश्नों को आगामी सत्र के लिये भेज सकते हैं । अब सभा कल के ११ बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोमवार, २७ नवम्बर, १९६१
६ अग्रहायण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . .	७४१–६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
३०४	शक्ति के साधनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन . .	७४१–४२
३०५	संघ राज-क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था में परिवर्त्तन	७४३–४५
३०६	उड़ीसा में छावनी	७४५
३०७	पश्चिमी बंगाल में नदी कोयला खानें . .	७४५–४७
३०९	सुई गैस	७४७–४८
३१०	एयर फोर्स कालिज, हैदराबाद . . .	७४८–५०
३११	भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान विभागों का पुनर्गठन . . .	७५०–५२
३१२	दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग	७५२–५६
३१३	दिल्ली के स्कूलों में निशुल्क शिक्षा . . .	७५६–५७
३१४	झरिया और रानीगंज में पीने के पानी की कमी	७५७–५९
३१५	जमीन के भीतर आग बुझाने की मशीनें . .	७५९–६१
३१६	जीवन बीमा निगम की विनियोजनीय निधियां	७६१–६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	७६३–८३५
तारांकित प्रश्न संख्या		
३०८	कानपुर में धातु मिश्रित इस्पात का कारखाना . .	७६३
३१७	अग्रविधिक विषयों में प्रशिक्षण के लिये बाहर जाने वाले विद्यार्थी	७६३
३१८	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के गायब नक्शे . .	७६४
३१९	पठानपुरम् में तेल	७६४
३२०	कोरबा कोयला क्षेत्र में केन्द्रीय वर्कशाप की स्थापना . .	६४–६५
३२१	पंजाब राज्य में सीमा व्यय . . .	७६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या		
३२२	न्यायाधीश मुल्ला द्वारा की गई आलोचना	७६५
३२३	दुर्गापुर में धातु मिश्रित इस्पात संयंत्र	७६६
३२४	दिल्ली में अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह	७६६–६७
३२५	लिग्नाइट का प्रयोग	७६७–६८
३२६	मुस्लिम सम्मेलन	७६८
३२७	दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग पर पटाखे का विस्फोट	७६८–६९
३२८	हिन्दी का प्रचार	७६९–७०
३२९	दक्षिण भारत में तेल शोधक कारखाना	७७०
३३०	भारतीय विमान बल के वायुयान की तेजपुर के निकट दुर्घटना	७७०–७१
३३१	सशस्त्र सेना मुख्यालय में निर्धारित समय के बाद बैठने के लिये भत्ते	७७१
३३२	सिंगरेनी कोयला खान	७७१
३३३	युवक होस्टल के लिये डलहौजी में पोर्टलैंड हाल का अर्जन	७७१–७२
३३४	छावनी निधि कर्मचारी नियम	७७२–७३
३३५	इस्पात उत्पादन	७७३
३३६	इस्पात का निर्यात	७७३
३३७	मानव के वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विकास का इतिहास	७७३–७४
३३८	दिल्ली में प्लाट	७७४–७५
३३९	उच्च वायुमण्डल के भौतिक तत्वों का अध्ययन	७७५–७६
३४०	निवेली परियोजना	७७६
३४१	शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व युवक कल्याण समन्वय समिति	७७६
३४२	प्रतियोगी प रीक्षाओं में ऐच्छिक माध्यम के रूप में हिन्दी	७७७
३४३	आन्ध्र प्रदेश में इस्पात संयंत्र	७७७
३४४	प्रतिरक्षा उत्पादन सम्मेलन	७७७–७८
३४५	विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	७७८–७९
३४६	राष्ट्रीय शिक्षा संस्था	७७९–८०
३४७	स्टैनवैक द्वारा पश्चिम बंगाल का भूतत्वीय सर्वेक्षण	७८०
३४८	केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड	७८०–८१
३४९	मध्य प्रदेश में मेंगनीज अयस्क कारखाना	७८२
३५०	सरदार पटेल की प्रतिमा की स्थापना	७८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३५१	दिल्ली में एक क्लर्क द्वारा आत्म हत्या	७८३
३५२	भावात्मक एकता	७८३–८४
३५३	कोयला धोने के कारखानों का निर्माण	७८४
३५४	विश्वविद्यालयों के कर्त्तव्यों और अधिकारों का अतिक्रमण	७८४–८५
३५५	राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण	७८५
३५६	पंजाब में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का पुनर्वास	७८६
३५७	अश्लील सिनेमा पोस्टर	७८६
३५८	गुजरात तेल शोधक कारखाना	७८६
३५९	कोयला लाना ले जाना	७८७
३६०	शस्त्र सेना पदाधिकारियों की सेवा-निवृत्ति आयु में वृद्धि	७८७
३६१	अशोधित तेल का उत्पादन	७८८
३६२	तेल खोज कार्यक्रम	७८८
३६३	दुर्गापुर इस्पात परियोजना में हड़ताल	७८८
३६४	उत्तर पश्चिम भारत में गैस क्षेत्र	७८९
३६५	आम चुनाव	७८९

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
५९८	विश्व बैंक दल का प्रतिवेदन	७८९
५९९	साहित्य अकादमी	७८९–९०
६००	'वन्डर वर्ल्ड आफ साइन्स'	७९०
६०१	महिलाओं के लिये पालीटेक्नीक	७९०–९१
६०२	दिल्ली में हत्यायें	७९१
६०३	इस्पात का उत्पादन	७९१
६०४	महाराष्ट्र के लिये इस्पात का आवंटन	७९१–९२
६०५	हिन्दू सम्मेलन	७९२
६०६	डिप्लोमा तथा डिग्री होल्डरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये वृत्तिकायें	७९२–९३
६०७	रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये ऋण सुविधायें	७९३
६०८	मंत्रियों का दौरा	७९३–९४
६०९	"ख" श्रेणी के नगर	७९४
६१०	अखिल भारत पुलिस साइन्स कांग्रेस	७९४–९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६११	अधिवक्ताओं के नाम लिखने के लिये स्टाम्प शुल्क	७९५
६१२	असम में पहाड़ी आदिम जातियों के लिये आयोग	७९६
६१३	बैंकों का पुनर्गठन	७९६
६१४	बीकानेर डिवीज़न में पुरातत्वीय खुदाई	७९६
६१५	गोंडल नरेश	७९६–९७
६१६	हिमाचल प्रदेश का ठेकेदार	७९७
६१७	विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से सम्बन्धित मामले	७९७
६१८	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक कर्मचारी	७९८
६१९	इस्पात उत्पादन की लागत	७९८
६२०	पलाई और लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान	७९८–९९
६२१	उड़ीसा में कोयले के भंडार	७९९
६२२	राज्यों में अधिकारी	७९९–८००
६२३	हिन्दी सीखने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	८००
६२४	पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	८००
६२५	कोयला उत्पादन में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता	८००–८०१
६२६	स्क्रैप (रद्दी लोहा)	८०१
६२७	टर्निंग्स और बोरिंग्स	८०२
६२८	दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम	८०३
६२९	मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा	८०३
६३०	भारत में ंगलैण्ड द्वारा विनियोग	८०३
६३१	सट्टे पर प्रतिबन्ध	८०३–०४
६३२	न्यायालय के अपमान सम्बन्धी विधि का संशोधन	८०४–०५
६३३	पंजाब में नाट्य संगठनों को सहायता	८०५
६३४	दुर्गापुर में एक्सिल्स और ह्वील्स का उत्पादन	८०५–०६
६३५	पंजाब में कलाकारों और साहित्यिकों को सहायता	८०६
६३६	पंजाब के लिये कोयला	८०६–०७
६३७	दिल्ली की अनधिकृत बस्तियां	८०७
६३८	दीवान हाल के निकट विस्फोट	८०७–०८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३९	दिल्ली विश्वविद्यालय में अफ्रीकी विद्यार्थी	८०८
६४०	राष्ट्रमंडलीय देशों को जाने वाले भारतीय विद्यार्थी	८०९
६४१	विदेश जाने वाले विख्यात वैज्ञानिकों को सहायता	८०९
६४२	क्लर्कों की असिस्टेंटों के पद पर पदोन्नति	८०९–१०
६४३	स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रचलन	८१०
६४४	कोयला खानों द्वारा रायल्टी	८१०
६४५	रासायनिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र	८११
६४६	गिरीडीह खानों का कोयला	८११
६४७	मणीपुर में डी० एस० पी० को मुअत्तल करना	८११
६४८	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर	८१२
६४९	उड़ीसा को बाढ़ सहायता	८१२
६५०	उड़ीसा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता	८१२–१३
६५१	उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार	८१३
६५२	दिल्ली में हिन्दी जानने वाले अध्यापक	८१३
६५३	धन कर	८१३
६५४	कोयले के लिये वैगन	८१४
६५५	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण	८१४–१५
६५६	रूरकेला संयन्त्र के 'रोल्ड कोल्ड' उत्पाद	८१५
६५७	एशियाई देशों के विद्यार्थियों को भारत में छात्रवृत्तियां	८१५
६५८	चुनाव व्यय	८१५–१६
६५९	राम रूप विद्या मन्दिर, सब्जी मंडी (दिल्ली) की गतिविधियों की जांच	८१६
६६०	भिलाई इस्पात संयंत्र	८१६
६६१	इस्पात नियंत्रण में कमी करना	८१६–१७
६६२	प्रधान मंत्री की लखनऊ और कानपुर यात्रा	८१७
६६३	दिल्ली के अधिकारियों को दिया जाने वाला नगर प्रतिकर भत्ता	८१७–१८
६६४	स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया के डायरेक्टर के विरुद्ध न्यायनिर्णय कार्यवाही	८१८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६६५	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	८१८
६६६	तेल की पाइप लाइन	११८–१९
६६७	भिलाई इस्पात संयंत्र . . .	८१९
६६८	बरौनी के तेल शोधक कारखाने में निर्माण कार्य	८१९
६६९	प्रविधिक संस्थाओं के शिक्षकों का वेतन क्रम . .	८१९–२०
६७०	बेलहोंगल (मैसूर) में रानी चेनामा की समाधि के आस-पास का बाग . .	८२०
६७१	दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारी	८२०–२१
६७२	दिल्ली की पुलिस . .	८२१
६७३	अहिन्दी भाषाभाषी राज्यों में हिन्दी के अध्यापक	८२१–२२
६७४	छुट्टियों में विद्यार्थियों को रोजगार	८२२
६७५	स्टेनलेस स्टील . .	८२२
६७६	जम्मू तथा काश्मीर में कोयले की खानें . . .	८२३
६७७	दिल्ली की कालेजों में न जाने वाली छात्राओं के लिये माध्यमिक कक्षाएं	८२३
६७८	बस्तर में गद्दी से उतारे गये शासक को भत्ता	८२३
६७९	अन्य पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति	८२४
६८०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति	८२४
६८१	जम्मू तथा काश्मीर में खनिज पदार्थ .	८२४
६८२	पाकिस्तान द्वारा भारतीय आकाश सीमा का अतिक्रमण	८२४–२५
६८३	अभिलेखों का जनता द्वारा देखा जाना .	८२५
६८४	लन्दन में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्यालय	८२५
६८५	अखिल भारतीय माध्यमिक अध्यापक सम्मलन	८२५–२६
६८६	शिल्पियों के लिये उच्च शिक्षा . .	८२६
६८७	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को वृत्तिकाएं	८२६
६८८	कोणार्क के पुरातत्वीय अवशेष .	८२७
६८९	मैसूर उच्चन्यायालय में लेख याचिकायें . . .	८२७–२८
६९०	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के कपड़ों पर उत्पादन शुल्क . .	८२८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९१ सेना यांत्रिक परिवहन गाड़ियों के लिये पुर्जे ८२८

६९२ हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी, कानपुर में जूते बनाने का संयंत्र ८२९

६९३ द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें ८२९

६९४ धर्म प्रचार कार्यों में लगे हुए विदेशी ८३०

६९५ 'विक्रान्त' विमानवाहक पोत . . ८३०

६९६ श्रीनगर में अग्निकांड . . . ८३०

६९७ नई दिल्ली में भारत के रक्षित बैंक में चोरी ८३०

६९८ लड़कियों की शिक्षा . . . ८३१

६९९ विजयनगर साम्राज्य के समय की वस्तुओं का संग्रहालय ८३१

७०० संगीत नाटक अकादमी . ८३१–३२

७०१ नये विश्वविद्यालय . . . ८३२

७०२ भारतीय विश्वविद्यालयों में पाकिस्तानी विद्यार्थी ८३२–३३

७०४ भारत के रक्षित बैंक की महंगी मुद्रा नीति ८३३

७०५ हिन्दी विश्व कोष . . ८३३

७०६ दिल्ली के स्कूलों में संस्कृत की शिक्षा . . . ८३४

७०७ शिक्षा पद्धति . . . ८३४

७०८ मदुरै विश्वविद्यालय ८३४–३५

७०९ पब्लिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक . . . ८३५

स्थगन प्रस्ताव ८३५–३७

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामनें बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(एक) अंजदीव द्वीप पर तैनात पुर्तगाली सेना द्वारा मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव पर गोली चलाने की कथित घटना, जिसके फलस्वरूप एक नाविक मारा गया; तथा

(दो) कोयले की कमी के कारण गाड़ियों का लेट चलाना ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८१७-१८

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के वर्ष १९५९–६० के वित्तीय लेखे और उनके बारे में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, १९६१।

(दो) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत ३१ दिसम्बर, १९५९ को भारत के जीवन बीमा निगम का दूसरी मूल्यांकन प्रतिवेदन ।

(२) भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ की धारा ४–क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ६ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४२७ की एक प्रति।

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ११९१।

(ख) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२७।

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२८।

(घ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२९।

(ङ) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३०।

(४) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक ३० सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९३ की एक प्रति।

(५) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(क) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३३०।

(ख) दिनांक ४ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० सं० १३३१।

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	(६) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—	८३८
	(क) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५–छ के अन्तर्गत पलाई सैंट्रल बैंक लिमिटेड (जिसे बंद किया जा रहा है) के सरकारी समापक का प्रतिवेदन (संख्या १९२ अनुबन्धों सहित)।	
	(ख) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५–छ के अन्तर्गत पलाई सैंट्रल बैंक लिमिटेड (जिसे बन्द किया जा रहा है) के सरकारी समापक का अतिरिक्त प्रतिवेदन (संख्या २४२)।	
	विधेयक पर रायें	
	श्री अजित सिंह सरहदी ने हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० पर, जिसे १५ जुलाई १९६१ तक उस पर राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या १ सभा पटल पर रखा।	
	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
	वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६१–६२ के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में एक विवरण पेश किया।	
	अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
	रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने वर्ष १९६१–६२ के बजट (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनपूरक मांगों के बारे में एक विवरण पेश किया।	
	मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	८३९—४२
	(१) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने इडियन इंस्टीट्यट आफ टेक्नोलोजी, मद्रास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ पर श्री सुबोध हंसदा द्वारा ७ सितम्बर १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।	
	(२) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलोजी, कानपुर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ पर श्री सुबोध हंसदा द्वारा ४ सितम्बर, १९६१ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।	
	(३) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने हाल की अपनी यात्रा के बारे में एक वक्तव्य दिया और सितम्बर, १९६१ में आकरा में हुई राष्ट्रमंडलीय सलाहकार परिषद् की बैठक की समाप्ति पर जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी।	

विषय: पृष्ठ

पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . . . . ८४२—६१

श्री तंगामणि द्वारा २५-११-६१ को पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। श्री तंगामणि ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।

अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प—विचाराधीन . . . ८६२—७९

श्री ब्रजराज सिंह ने चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ को अस्वीकार करने के बारे में एक संविहित संकल्प प्रस्तुत किया। इस संकल्प पर चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक के साथ साथ विचार किया गया।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ८६२—७९

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पर विचार किया जाये। इस विधेयक पर श्री ब्रजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत संविहित संकल्प के साथ साथ विचार किया गया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१ / ७ अग्रहायण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ पर अग्रेतर चर्चा तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा उसे पारित करना। इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

GIPND—LS III—1598 (Ai) LSD—28-12-61—125.